सर्व शिक्षा अभियान

परस्पेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - फर्रूखाबाद

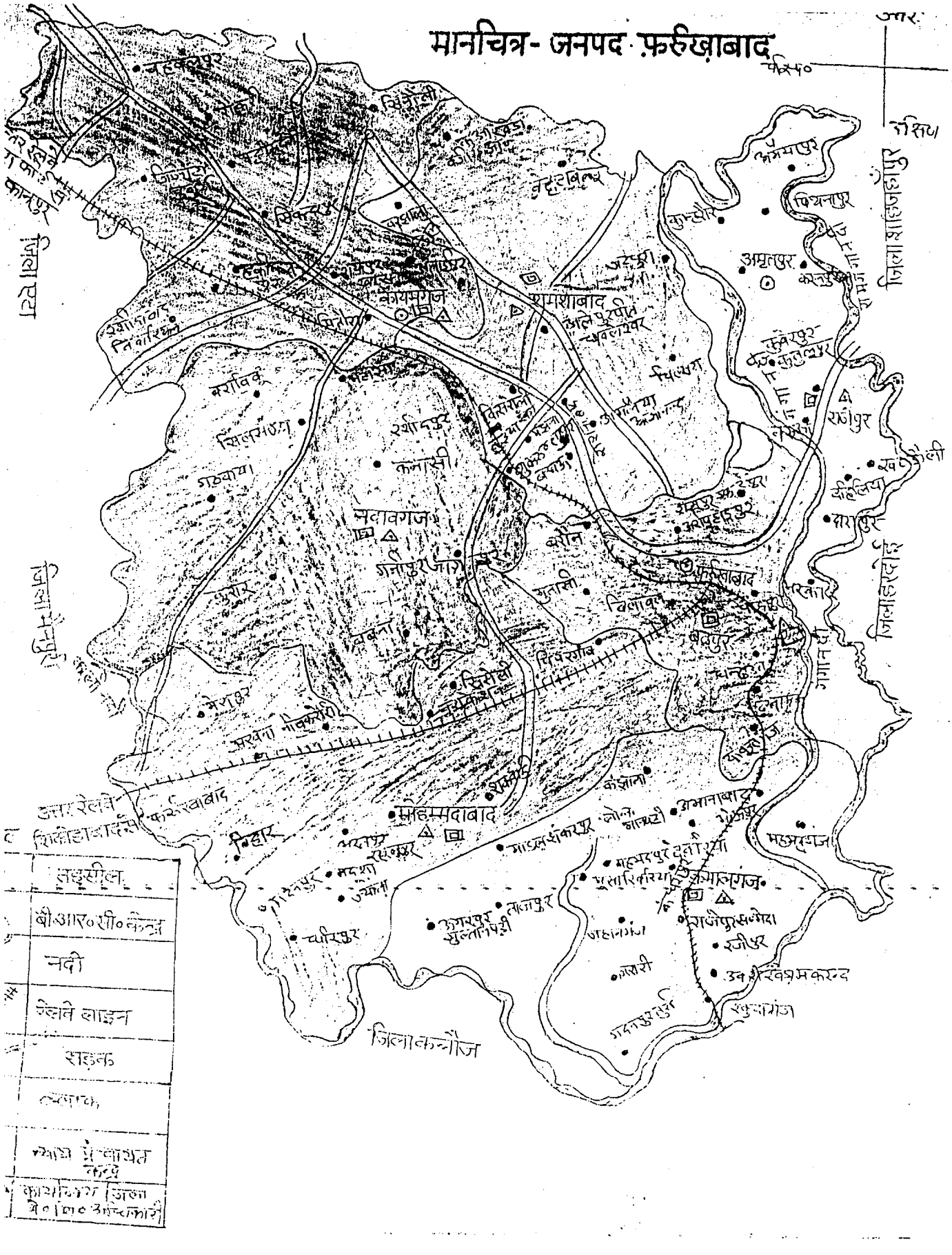

मानचित्र- जनपद फ़र्रुखाबाद

सर्व शिक्षा अभियान
जनपद - फर्रुखाबाद

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	01-04
2.	शैक्षिक परिदृश्य	05-14
3.	नियोजन प्रक्रिया	15-31
4.	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	32-37
5.	समस्यायें एवं रणनीतियाँ	38-44
6.	शिक्षा की पँहुच का विस्तार (नवीन विद्यालय)	45-49
7.	शिक्षा की पँहुच का विस्तार (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0) केन्द्र	50-61
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	62-84
9.	शैक्षिक गुणवत्ता के लिए नियोजन	85-113
10.	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	114-120
11.	परियोजना लागत एवं बजट	121-126
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2002-2003	127-128

अध्याय–1

जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः--

भारतीय संस्कृति की गरिमामयी ऐतिहासिक विरासत को संजोये महाभारत कालीन ऋषियों, मुनियों की तपोभूमि में स्थित उत्तर प्रदेश, अपने देश में अभिन्न स्थान रखता है। प्रदेश के मध्यस्थ स्थित कानपुर मण्डल का फर्रूखाबाद जनपद ऐतिहासिक धरोहरो से भरा पड़ा है। यह जनपद पूर्व में कन्नौज,पश्चिम में एटा,उत्तर में हरदोई और शाहजहॉपुर तथा दक्षिण में मैनपुरी जनपद के मध्य बसा है। मध्य कालीन समय से पूर्व यहॉ एक हिन्दू राज्य था। शाहजहॉ के समय में फर्रूखशियर ने यहॉ पर एक राज्य की स्थापना की,जिसका नाम फर्रूखाबाद रखा। जिस के अवशेष यहॉ पर कादरीगेट,लालसराय,जसमई दरवाजा एवं मऊ दरवाजा के रूप में आज भी मौजूद है। फतेहगढ. जनपद का मुख्यालय है। यहॉ जनपद स्तरीय सभी कार्यालय रिथत है। समुद्र तट से लगभग 550 फीट उॅचा सामान्य धरातल वाला यह जनपद जलवायु की द्रष्टि से भी सामान्य है। यहॉ सामान्य रूप से ऋतुओं का आवागमन होता रहता है।जनपद की प्रमुख नदियॉ गंगा,रामगंगा,कालीनदी एवं बूढ़ी गंगा है। 81.02 प्र0 जनसंख्या गॉव में निवास करती है। सघन जनसंख्या वाले यह गॉव छोटे व बडे. कहीं कहीं गंगा कटरी क्षेत्रा में दूर दूर तक बसे है। गंगा व रामगंगा का कटरी क्षेत्रा दस्युओं से भयाक्रान्त रहता है। जनपद से राष्टीय मार्ग 30 किमी0 पूर्व की दिशा में स्थित है । आवागमन के साधन सामान्य है। सड़कों का जीर्णोद्वार प्रगति पर है। कटरी क्षेत्रा को छोड़ कर सारी भूमि उपजाऊ हैं जिसमें कृषक भाई तीन फसलें साल भर में लेते हैं। यह जनपद अर्द्धकाशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जनपद में माघ के महीने में पवित्रा गंगा नदी के तट पर रामनगरिया मेला लगता है। जो पूरे एक माह तक चलता है। इस मेले में दूर–दूर से श्रद्धालु आकर कल्पवास करते हैं। आलू की विशाल पैदावार होने के कारण इस जनपद को आलू नगरी भी कहा जाता है।

जनपद में सामान्य प्रशासन की व्यवस्था हेतु 03 तहसीलें , कमशः कायमगंज , सदर व अमृतपुर हैं। जनपद मे 07 विकास खण्ड,02 नगरपालिकाएं तथा 04 टाउन एरिया है। विकास खण्ड बढ़पुर, मोहम्मदाबाद व कमालगंज सदर तहसील के अन्तर्गत आते हैं। विकास खण्ड कायमगंज, शमसाबाद व नबाबगंज तहसील कायमगंज के अन्तर्गत आते हैं। विकास खण्ड राजेपुर अमृतपुर तहसील के परिक्षेत्रा में आता है। जनपद के नगर क्षेत्रा फर्रूखाबाद ,कायमगंज तथा नगर पंचायत शमसाबाद ,कमालगंज,कम्पिल तथा मोहम्मदाबाद हैं।

भूमि :– सामान्य रूप से जनपद का भूमि समतल तथा उपजाऊ है, जनपद की अधिकतर भूमि मटियार,दोमट व बलुई स्तर की है, जिस में सामान्य रूप से किसानों द्वारा बैलों व ट्रैक्टरों से जुताई की जाती हैं।

फसलें :– तहसील सदर व कायमगंज में आलू,गन्ना,तम्बाकू तथा मक्का की पैदावार वृहद स्तर पर होती है। सामान्यतः तिलहन तथा दलहन की भी खेती की जाती है। तहसील कायमगंज में बागवानी का कार्य कृषकों द्वारा उच्च स्तर पर किया जाता है,जिसको प्रदेश के बाहरी जनपदों में भी नर्सरी के रूप में निर्यात किया जाता है। भूसम्पदा व वन सम्पदा का वृहद स्तर पर शोषण किया जा रहा है, जिस के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। भारत में कुल आलू उत्पादन का 10 प्र0 अकेले जनपद फर्रूखाबाद में किया जाता है।

सिंचाई के साधनः– सामान्य रूप से नहरों तथा सरकारी नलकूपों के जल से सिंचाई का आच्छादन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कृषक भाईयों के स्वयं के प्रयास से भी नलकूपों की व्यवस्था कर भूमि की सिंचाई के संसाधन विकसित किये गये हैं।

कारखानेः– जनपद में चीनी,साबुन बनाना,पीतल के बर्तन,आम की नर्सरी,चाकू, तम्बाकू , छपाई, जरी का काम , प्रशीतन/कोल्ड स्टोरेज पर आधारित छोटे व बडे. उद्योग हैं। नदियों के किनारे की बालू व रेत का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। गॉवों में अधिकांश गरीब एवं मजदूर वर्ग

के लोग बीड़ी उत्पादन एवं जरदोजी कार्य में संलग्न हैं। यहॉ पर वृहद उद्योग/ कारखाने लगाये जाने की आवश्यकता है।

पर्यटन स्थलः– जनपद में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध कम्पिल द्रोपदी की जन्म भूमि , जैनियों के तेरहवें तीर्थकर भगवान विमल नाथ का दिगम्बर जैन मन्दिर, भगवान बुद्ध का स्वर्गावमरण स्थल संकिसा, श्रृंगी ऋषि की तपो भूमि श्रृंगीरामपुर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उल्लेखनीय हैं, जिनमें देश–विदेश के पर्यटक भ्रमण हेतु प्रतिवर्ष आते हैं।

शिक्षाः– जनपद में शिक्षा की स्थिति सामान्य है। महिलाओं की साक्षरता स्थिति को सुदृढ. व मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कटरी क्षेत्रा में महिलाओं की शिक्षा का स्तर अत्यन्त दयनीय है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 111 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु सफल प्रयास जारी है, एवं छात्रा– छात्राओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्यः– लगभग समस्त विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के सहयोग से सुधार हेतु कई कार्यक्रम जनपद स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद के विकास में संलग्न योजनायेंः– जनपद में शिक्षा गारन्टी रोजगार योजना , औद्योगिक विकास योजना ,महिला डेरी योजना, नेहरू युवा कल्याण रोजगार योजना, डबाकरा,कुक्कुट पालन, वैकल्पिक उर्जा,राष्ट्रीय टीकाकरण, सामाजिक वानिकी योजना,पेयजल योजना,महिला उत्थान योजना,उत्तर साक्षरता एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 111 एवं बाल विकास योजनाएँ अपना सतत् कार्य कर जनपद के समस्त नागरिकों के विकास में संलग्न है। समस्त नागरिकों को उक्त योजनाओं से परिचित करा कर उन्हें सामान्य शिक्षा,सुनिश्चित रोजगार एवं आर्थिक विकास की सीढि.यों पर कदम रखने के लिए प्रेरित

किया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जनपद की प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक एक नऐ आयाम को जोड़ कर पूर्ण साक्षरता की ओर अग्रसर करने का सफलतम प्रयास किया जायेगा।

<u>जनपद का प्रशासनिक ढॉचाः—</u> जनपद फर्रूखाबाद 04 तहसीलों एवं 14 विकास खण्डों में विभाजित था। कन्नौज इस जनपद की तहसील थी। वर्ष 1997 में प्रदेश के भौगोलिक मानचित्रा पर नवसृजित जनपद कन्नौज अस्तित्व में आने पर वर्तमान प्रशासनिक दृष्टि से जनपद में एक तहसील अमृतपुर का नवगठन होने के पश्चात 03 तहसीलो एवं 07 विकास खण्डों में विभाजित है।

प्रशासनिक ईकाइयॉ	संख्या
तहसील	03
विकास खण्ड	07
न्याय पंचायत	87
ग्राम सभायें	512
राजस्व ग्राम	881
ग्राम/बस्तियों की संख्या	1420
नगरीय क्षेत्रा	02
नगर निगम	0
नगर पालिका	0
टाउन एरिया	04
छावनी परिषद	01
बार्ड	54

स्रोत – जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका

<u>जनसंख्या :—</u>वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 15.77 लाख है जिसमें 8. 48 लाख पुरूष एवं 7.29 लाख महिलायें है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.3 है। जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 18.56 प्रतिशत है। जनपद का जनसंख्या धनत्व 692 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जनपद में अनु0 जनजाति का प्रतिशत नगण्य है। जनपद क क्षेत्राफल 2288.3 वर्ग किलोमीटर है।

सारणी – 1.2

<u>विकास खण्ड वार/ नगर क्षेत्रावार जनसंख्या</u>

क्र0	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	बढ़पुर	69982	57031	127013	16781	13674	30455
2	कमालगंज	118699	103409	222108	20113	18430	38543
3	मोहम्मदाबाद	128454	109403	237857	25126	20088	45214
4	राजेपुर	83047	67597	150644	10337	8961	19298
5	कायमगंज	93582	86457	180039	17652	14187	31839
6	नवावगंज	71007	59319	130326	14523	11788	26311
7	शमसाबाद	101003	87340	188343	36003	32447	68450
	योग	665774	570556	1236330	140535	119575	260110
	नगर क्षेत्रा	182314	158593	340907	34408	26173	72581
	महायोग	848088	729149	1577237	174943	145748	320691

वर्ष 2001 मे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जनपद की कुल जनसंख्या का 21.6 प्रतिशत है। जो राष्ट्रीय औसत 25.7 से काफी कम है। नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की भागीदारी 53.48 प्रतिशत एवं

महिलाओं की 46.52 प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.8 प्रतिशत है जो प्रमाणित करता है कि इस वर्ग की नगरीय क्षेत्रा में भागीदारी अत्यन्त कम उनके पिछड़ेपन का द्योतक है।

सारणी – 1.3

नगर क्षेत्रावार जनसंख्या

क्र0	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	फर्रूखाबाद	120783	107093	227876	16909	12851	29760
2	कायमगंज	16790	14337	31127	4798	3621	8419
3	कमालगंज	7963	6696	14659	4908	3325	8233
4	मोहम्मदाबाद	10969	9535	20504	2277	2113	4390
5	कम्पिल	4544	3931	8475	395	241	636
6	शमसाबाद	12440	11144	23584	3624	3085	6709
7	छावनी परिषद	8825	5857	14682	1497	937	2434
	योग	182314	158593	340907	34408	26173	60581

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य :–

जनपद की 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 51.44 प्रतिशत है। इसमें पुरूष साक्षरता 60.11 प्रति0 तथा महिला साक्षरता 41.36 प्रति0 है। जनपद के अनुसूचित जाति के पुरूषों की साक्षरता 41.8 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 28.9 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से 13 प्रतिशत कम है। साक्षरता की दृष्टि से विकास खण्ड मोहम्मदाबाद ,राजेपुर एवं नवाबगंज सर्वाधिक पिछड़ा है। यहां पर कुल साक्षरता दर क्रमशः 45 एवं 48 प्रतिशत है।

जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुरूष साक्षरता दर 70.23 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 42.98 प्रतिशत तथा कुल साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है।

सारणी–2.1

साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता दर	वर्ष 2001
कुल साक्षरता	51.44
ग्रामीण साक्षरता	48.70
नगरीय साक्षरता	61.38
कुल पुरूष साक्षरता	60.11
कुल महिला साक्षरता	41.36
ग्रामीण पुरूष साक्षरता	58.30
ग्रामीण महिला साक्षरता	37.50
नगरीय पुरूष साक्षरता	66.64
नगरीय महिला साक्षरता	55.25

स्रोत–जिला सांख्यिकी पत्रिका

विकास खण्डवार साक्षरता:–

साक्षरता की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रा में विभिन्नता है विकास खण्डवार साक्षरता निम्नलिखित सारिणी संख्या 2.2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड मोहम्मदाबाद मे महिला साक्षरता दर 31.9 प्रतिशत है जो अत्यन्त कम है। इसकी अपेक्षा विकास खण्ड बढपुर की महिला साक्षरता दर 49.

4 प्रतिशत है। कम साक्षरता वाले ब्लाकों को चिन्हान्कित करके अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु साक्षरता उन्नयन कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया हैं।

सारणी 2.2

(2001 की जनगणना के आधार पर)

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	पुरूष	महिला	योग
1	बढ़पुर	64.4	49.4	57.5
2.	कमालगंज	58.6	41.7	51.8
3.	मोहम्मदाबाद	57.5	31.9	45.1
4.	राजेपुर	54.5	42.3	48.4
5.	कायमगंज	60.0	53.7	54.3
6.	नबाव गंज	59.6	58.8	48.8
7.	शमशाबाद	58.3	48.4	53.4
	योग	58.30	37.50	48.70

स्रोत जनपदीय वेस लाइन सर्वे।

शैक्षिक संस्थायें :–

जनपद में कुल 927 परिषदीय/शासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा 309 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 160 परिषदीय तथा 212 मान्यता विद्यालय संचालित हैं। जनपद में 61 हाईस्कूल एवं 76 इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं। जनपद में 8 स्नातक और 4 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। जो छत्रापति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय है जो नगर क्षेत्रा फर्रूखाबाद में स्थापित है तथा एक नवोदय विद्यालय संचालित है जो विकास खण्ड मोहम्मदाबाद में स्थापित है। जनपद में एक आई0टी0आई0 तथा एक पालीटेक्निक तकनीकी संस्थान ,एक विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए मूक बधिर विद्यालय नगर क्षेत्रा फर्रूखाबाद में स्थित है। जनपद में एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विकास खण्ड मोहम्मदाबाद में संचालित है।

शिक्षकों की उपलब्धता:–

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3141 शिक्षकों के पद सृजित हैं। जिन के सापेक्ष कुल 2370 शिक्षक कार्यरत है। मानक के अनुसार जनपद में 771 प्राथमिक स्तर पर परिषदीय शिक्षकों के पद रिक्त है। जनपद में अब तक 279 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किये गये हैं। जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 755 शिक्षकों के पद सृजित हैं। जिन में 521 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 234 पद रिक्त हैं।

सारणी –2.3

शिक्षकों की उपलब्धता– परिषदीय विद्यालय

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र	कार्यरत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	3141	2370	771	858	279
उ0 प्रा0 परिषदीय विद्यालय	755	521	235	0	

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , फर्रूखाबाद

शैक्षिक संस्थायें

सारणी-2.4

क्र0 सं0		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रा0 विद्यालय	900	72	972	177	132	309	1077	204	1281	122	32	154
2	मा0 वि0 से सम्बद्ध	– +45	4	4	–	2	2	–	6	6	–	–	–
3	उच्च प्रा0 विद्यालय	214	14	228	144	68	212	358	82	440	32	4	36
4	मा0 वि0 से सम्बद्ध उ0 प्रा0 अनुभाग	+6	4	4	97	24	121	97	28	125	–	–	–
5	केन्द्रीय वि0	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
6	नवोदय वि0	1	–	1	–	–	–	1		1	–	–	–
7	हाईस्कूल				48	13	61	48	13	61	–	–	–
8	इण्टरमीडिएट	–	3	3	58	15	73	58	78	76	–	–	–
9	महाविद्यालय	–	–	–	3	5	8	3	4	7	–	–	–
10	स्नोकोत्तर वि0	–	–	–	–	4	4	–	4	4	–	–	–
11	विश्व विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकि संस्थान	–	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–
	आई0टी0आइ0 / पालि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थाए	–	–	–	2	2	4	2	2	4	–	–	–
14	आंगनवाड़ी केन्द्रो की सं0	108	–	108	–	–	–	108	–	108	–	–	–
15	मकतब / मदरसे	–	–	–	1	1	2	1	1	2	29	4	33
16	संस्कृत पाठशालाए	–	–	–	2	1	3	2	1	3	1		1
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
18	बालश्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	आश्रम वि0	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
20	डायट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	वी0आर0 सी0	7	–	7	–	–	–	7	–	7	–	–	–
22	एन0 पी0 आर0 सी0	87	–	87	–	–	–	87	–	87	–	–	–

स्रोत–बी0एस0ए0 कार्यालय

परिषदीय / मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता:–

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली बस्तियों की संख्या 1046 है। इसमें से 728 बस्तियों में 1 कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 1 कि0मी0 से अधिक तथा 1.5 से कम दूरी पर 181 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर विद्यालय उपलब्ध हैं, साथ ही 137 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर 1.5 कि0मी0 सं अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं।

जनपद में 300 से कम आबदी वाली 374 बस्तियां है इनमें से 168 बस्तियों में 1 कि0मी0 त
परिधि में प्राथमिक विद्यालय । 156 बस्तियों में 1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी प
प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा 50 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी प
प्राथमिक विद्यालय अवस्थित हैं।

सारणी–2.5

परिषदीय / मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयोंकी उपलब्धता

	1कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय	प्रस्तावित प्राथमि विद्यालय / ई0 जी0एस0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबदी 300 से अधिक है।	828	218	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	168	156	50	50

स्रोत –वर्ष 2001 की जनगणना के आधारपर प्रक्षेपण

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता:–

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाली बस्तियों की संख्या 737 हैं । इनमें 632 ऐसी बस्तियां
जहां पर 3 कि0मी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा 105 ऐसी बस्तियां हैं जहां
कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। जनपद में 800 से कम आबादी वाल
447 बस्तियों में 3 कि0मी0 .की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा 236 ऐसी बस्तियां
जहां 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

सारणी–2.6

परिषदीय / मान्यता प्राप्त उ0 प्रा0 विद्यालयों की उपलब्धता

	3 कि0मी0 से कम दूरी पर परि0 /मा0प्राप्त उ0 प्रा0वि0उपलब्ध	3 कि0मी0 से अधिक दूरीपर परि0 /मा0प्राप्त उ0प्रा0वि0उपलब्ध	आवश्यकउ0प्रा0वि0 क संख्या /ए0आई0ई0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	737	0	0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम है।	567	16	16

स्रोत –वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रक्षेपण

सारणी–2.7

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष						भवनहीन	जर्जर	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	हैण्ड पम्प		शौचालय		चाहरदीवारी	
		1	2	3	4	5	5+					हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
1	बढ़पुर	0	43	35	0	0	0	0	0	0	0	69	9	46	32	2	76
2	कमालगंज	0	77	67	1	5	0	0	0	0	0	133	17	63	87	14	136
3	मोहम्मदाबाद	3	118	27	0	0	0	5	7	35	7	134	16	57	93	6	144
4	राजेपुर	8	76	47	1	0	0	0	0	12	8	114	10	53	71	5	119
5	कायमगंज	0	130	0	0	0	0	2	0	18	16	132	0	49	83	3	129
6	नवाबगंज	3	70	20	0	0	0	0	0	44	0	89	4	44	49	3	90
7	शमशाबाद	4	75	45	5	4	0	0	0	50	40	116	13	51	78	21	108
8	न0क्षे0फर्रूखाबाद	4	8	6	2	0	0	43	1	3	3	15	5	10	10	3	17
9	न0क्षे0कायमगंज	1	1	0	0	0	0	7	0	1	0	1	1	1	1	1	1
	योग–	23	598	247	9	9	0	57	8	163	74	803	75	374	504	58	820

सारणी–2.8

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष						भवनहीन	जर्जर	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	हैण्ड पम्प		शौचालय		चाहरदीवारी	
		1	2	3	4	5	5+					हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
1	बढ़पुर	0	0	1	7	5	0	0	0	0	0	12	1	7	6	4	9
2	कमालगंज	0	1	0	12	7	1	3	0	2	0	21	3	18	6	6	18
3	मोहम्मदाबाद	0	0	2	14	4	0	1	1	3	5	13	8	7	14	6	15
4	राजेपुर	0	0	0	18	7	1	1	1	0	1	19	8	17	10	3	24
5	कायमगंज	0	2	0	16	0	0	0	0	1	2	17	1	13	5	4	14
6	नवाबगंज	0	1	0	13	2	0	0	2	2	0	13	3	5	11	2	14
7	शमशाबाद	0	0	2	10	1	0	2	3	5	2	13	2	3	12	4	11
8	न0क्षे0फर्रूखाबाद	1	0	5	0	0	0	2	0	1	2	3	5	6	2	1	7
9	न0क्षे0कायमगंज	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	2	1	3
	योग–	1	5	11	90	26	2	11	7	16	12	113	33	78	68	31	115

उक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि जनपद में ऐसी 137 बस्तियां हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा जिनके 1.6 कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 80 से अधिक आबादी वाले 105 बस्तियां है जहां 3 कि0मी0 की परिधि में उ0 प्रा0 विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।

सूक्ष्म नियोजन करने पर यह स्पष्ट है कि 137 बस्तियों को प्राथमिक विद्यालय सुविधा से सेवित करने के लिये 45 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 90 उ0 प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

छात्रा नामाकंनः—

सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2003—04 में जनपद में कराये गये हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत 6—11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 244700 है जिनमें 135987 बालक एवं 108713 बालिकायें हैं जनपद का नामाकंन अनुपात 99 प्रतिशत है। जनपद में 6—11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 244700 के सापेक्ष परिषदीय /मान्यता प्राप्त /गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत अगस्त 2003 तक 242775 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है।

जनपद में 11—14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 104555 है जिनमें 58155 बालक तथा 4640 बालिकाओं की संख्या सम्मिलित है। 11—14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 104555 के सापेक्ष परिषदीय /मान्यता प्राप्त /गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 97907 बच्चे नामाकिंत हैं। जनपद में उ0 प्राथ0 स्तर पर नामांकन अनुपात 96.5 प्रतिशत है।

जनपद में प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन की दर 99 प्रतिशत है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर 31 प्रतिशत है।

सन 2001 की जनगणना क आधार पर मवार विस्तृत आकडें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एव जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

सारणी –2.9

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं में कमी

क0सं0	आइटम सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी0ई.पी.,वित्त आयोग जिला योजना व अन्य स्रोत	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी.,वित्त आयोग जिला योजना व अन्य स्रोत	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	0	0
2	विद्यालय पुनर्निर्माण	8	0	8	7	0	7
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्रति विद्या0 तीन कक्ष एवं नामाकन में वृद्धि के आधार पर	654	0	654	171	0	171
4	पेयजल सुविधा	75	0	75	33	0	33
5	शौचालय	504	0	504	54	0	54
6	चाहरदीवारी		0			0	
7	लघु मरम्मत		0			0	
8	वृहत मरम्मत		0			0	

स्रोत–जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें:–

जनपद के 927 प्राथमिक विद्यालयों के भवन उपलब्ध हैं। जिन में 45 भवनों का निर्माण होना है। तथा नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण होना है। प्राथमिक स्तर पर जनपद में 598 दो कक्षीय विद्यालय हैं। तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 247 है तथा 4 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 09 है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर 374 विद्यालयों में शौचालयों 803 विद्यालयों में हैण्डपम्प उपलब्ध हैं। जब कि प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी उपलब्ध है। 74 प्राथमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत व 163 में लघु मरम्मत की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जनपद में 138 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं जिनमें 127 पूर्व माध्यमिक भवन युक्त हैं। शेष 11 पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नवनिर्माण होना है। तथा 07 जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृहद मरम्मत, 17 में लघु मरम्मत की आवश्यकता है। 78 विद्यालयों में शौचालय, 113 विद्यालयों में हैण्डपम्प व 31 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है।

सारणी–2.10

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे 2003 के अनुसार बाल गणना 5+ से 11 तथा 11 से 14 वय वर्ग माह जून 2003

क.सं.	ब्लाक का नाम	5+ से 11 वय वर्ग के बच्चे									11–14 वय वर्ग के बच्चे								
		6–11वय वर्ग के बच्चों की सं0			6–11वय वर्ग के विद्या. जाने वाले बच्चे			5+से 11 वय वर्ग के विद्या. न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बढ़पुर	11086	9245	20331	10030	8171	18201	1918	1750	3668	5664	4257	9921	4951	3622	8573	666	621	1287
2	कमालगंज	22407	18105	40512	20869	16777	37646	3842	3271	7113	11928	8953	20881	11023	7895	18918	905	1058	1963
3	मोहम्मदाबाद	25382	15330	40712	25018	18676	43694	4783	3156	7939	12096	8792	20888	12040	8610	20650	485	345	830
4	राजेपुर	13491	12336	25827	11967	10421	22388	1597	2115	3712	2926	2842	5768	1916	1103	3019	1000	1739	2739
5	कायमगंज	16808	13206	30014	16103	12395	28498	705	811	1516	7468	6526	13994	7087	6075	13162	381	451	832
6	नवाबगंज	16749	13244	29993	16484	13024	29508	3344	2950	6294	7375	6170	13545	6668	5298	11966	707	872	1579
7	शमशाबाद	15342	13137	28479	14511	11509	26020	2882	2463	5345	7177	5699	12876	6710	4361	11671	706	793	1499
8	नगर क्षेत्र	14722	14110	28832	14381	13793	28174	341	317	658	3521	3161	6682	3435	3094	6529	86	67	153
	योग	135987	108713	244700	129363	104766	234129	19412	16833	36245	58155	46400	104555	53830	40058	94488	4936	5946	10882

सारणी–2.11

हाउस होल्ड सर्वे 2003पर आधारित 5+ से 11 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन

6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			नामांकन												स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			नामांकन अनुपात
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			कुल योग						
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135987	108713	244700	101470	95122	196592	31572	11612	43184	2042	957	2999	135084	107691	242775	903	1022	1925	99

सारणी–2.12

हाउस होल्ड सर्वे 2003पर आधारित 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन

11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			नामांकन												स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			नामांकन अनुपात
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			कुल योग						
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58155	46400	104555	14609	12450	27059	41126	31666	72792	721	406	1127	56456	44522	100978	1699	1878	3577	96.5

एन0 ई0 आर0 एवं ड्राप आउट दर प्राथमिक स्तर

एन0 ई0 आर0			ड्राप आउट दर		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
99.33	99.05	99.19	30	33	31

· उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक ·

1998–99 से 2002–03 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्त प र नामांकन

वर्ष		नामांकन			प्रति शत	
	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
1998–99	8959	5402	14361	62.40	37.60	100
1999–2000	9573	5941	15514	61.63	38.27	100
2000–01	9547	6180	15727	60.70	39.30	100
2001–02	9603	6239	15842	60.62	39.38	100
2002–03	9758	6405	16163	60.37	39.63	100

स्रोत– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद मे वर्ष 1999–2000 से डी0पी0ई0पी0–।।। परियोजना से आच्छादित है। परियोजनाके कार्यक्रमों से प्राथमिक स्तर पर नामांकन मे वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्रा0 स्तर पर भी नामांकन मेंवृद्धि हुई है ।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि :–

वर्ष	कक्षा –6	कक्षा –7	कक्षा –8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1998–99	5471	4721	4169	14361	
1999–2000	6068	5178	4268	15514	8.02
2000–01	5731	5481	4515	15727	6.20
2001–02	5761	5497	4584	15842	0.73
2002–03	5891	5585	4687	16163	1.98

स्रोत – कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

उपरोक्त सारणी मे उच्च प्रा0 स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसका उपरोक्त विशलेषण करने से यह ज्ञात होता है कि 1999–2000 मे 8.02 प्रतिशत 2000–01 मे 6.20 प्रतिशत 2001–02 मे प्रतिशत तथा 2002–03 मे प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

परिषदीय प्रा0 वि0 का ट्रांजिशन दर कक्षा 5 से कक्षा 6 मे निम्नलिखित है।

परिषदीय प्रा0 वि0 का ट्रांजिशन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा –5	कक्षा –6	ट्रांजिशन दर
1998–99	18237	5471	30.1
1999–2000	18597	6068	32.6
2000–01	18319	5731	31.3
2001–02	18889	5730	30.33
2002–03	20085	7976	39.71

स्रोत – कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त सारणी के विशलेषण से यह ज्ञात होता है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा मे नामांकित होते है । जनपद के परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों का ट्रांजिशन दर लगभग 1.5 पतिशत है। सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लगभग 32 बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते है ।

अध्याय -3

नियोजन प्रकिया

शिक्षा विकास का आधार है,और बेसिक शिक्षा,मानव के समग्र विकास की आधार शिला है। यही कारण है कि स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् सरकार,बेसिक शिक्षा को जन-जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है।

नियोजन प्रकिया बस्तियों की कार्य योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इसमें लिंग-भेद को समाप्त करने का लक्ष्य है।

यह एक सुद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है,जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है,साथ ही साथ शालात्याग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है। पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमो मे शालात्याग शून्य करने के कई प्रयास किये गये,परन्तु इसमे अपेक्षित सफलता प्राप्त नही हुयी । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शतप्रतिशत नामांकन 2004 तक एवं शालात्याग की दर 2007 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना:-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया,इसका प्रयोजन यह है कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वयवर्ग के बालको तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करनें हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों,ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी । इस जनपद में सर्व प्रथम 2001-02 में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं,जिनकी सूची पहले से तैयार थी,का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/ आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गयी । सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी-

- ग्राम में 6-11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
- विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चो के विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में न जाने का कारण ।
- यदि ग्राम में विद्यालय/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नही है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संस्थाय पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो इनके सुधार के लिये ग्रामवासियों के क्या सुझाव है।
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है? छात्र/ अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/ शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्नलिखित कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये-

1- परिवार सर्वेक्षण।
2- स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र।
3- सूचनाओं का विश्लेषण।
4- ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्रामशिक्षा योजना निर्माण की तैयारी: -

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों, शिक्षकों /शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूह द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात् शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी। शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम की निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी: -

- बस्ती की पूरी जनसंख्या।
- विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या।
- स्त्री-पुरुष की जनसंख्या।
- विद्यालयों में पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- बालश्रमिकों का चिन्हांकन।
- विकलांग बच्चों का चिन्हांकन।
- बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये परिवारों/ बस्तियों के विवरण को संकेतित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी इस योजना को अध्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गयी ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। वर्ष 2001-02 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अध्यावधिक बनाने साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग ग्राम स्तर पर आसानी से हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय निर्माण हेतु प्रस्तावित किये गये है। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचनायें एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुये उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2002-03 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/ सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना 2003-04 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया

विद्यालय न जाने वाले बच्चो का विवरण

क0सं0	ब्लाक का नाम	5+ से 11			11–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बढ़पुर	96	102	198	153	103	256
2	कमालगंज	264	112	376	222	264	496
3	मोहम्मदाबाद	145	118	264	213	259	312
4	राजेपुर	118	197	315	198	350	548
5	कायमगंज	107	192	299	234	342	576
6	नबाव गंज	93	98	191	167	806	353
7	शमशाबाद	56	149	205	256	165	421
8	नगर क्षेत्रा	23	54	77	246	169	415
योग		903	1022	1925	1699	1878	3577

स्रोत – कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

जायेगा। जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकडो का सम्बन्ध है , इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडो का सारणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षो का उपयोग वर्ष 2003–04 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते समय मुख्यतः दो उद्देश्य रखे गये है –

1– शिक्षा का सार्वजनीकरण

2– गुणावत्तापूर्वक शिक्षा

ग्राम शिक्षा योजना बनाने की निम्नलिखित विधि अपनायी गयी –

1– ग्रामो का सर्वेक्षण

2– आंकडो का एकत्रीकरण

3– प्राप्त सूचनाओं का विशलेषण

4–सहभागी आंकलन विधियों द्वारा प्राथमिकताओं का निर्धारण

योजना का अनुश्रवण ग्राम , ब्लाक , एवं शिक्षा समितियों तथा समुदाय द्वारा किया गया और इसका मूल्यांकन ब्लाक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति द्वारा किया गया।

स्कूल चलो अभियान :–

जनपद के 6–14 वयवर्ग के बच्चो का शतप्रतिशत नामांकन एवं विशेष रूप से बालिकाओं , अल्प संख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालकों / बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं विद्यालय मे सत्रा पर्यनत ठहराव के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये 11–05–2003 से 20–05–2003 तक तथा 25–06–03 से 31–07–2003 तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया।

जिलाधिकारी महोदय , फर्रूखाबाद की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से दिनांक 29–06–2003 का बैठक मे लिये गये संकल्पों एवं निर्देशों के अनुसार स्कूल चलो अभियान 2003 के सफल कियान्वयन एवं प्रचार –प्रसार के लिये दो चरणों मे शासन / विभाग की मंशा के अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर अधिकारियों , कर्मचारियों , जन प्रतिनिधियों , ब्लाक समन्वयको , सह समन्वयको , न्याय पंचायत समन्वयको , ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों तथा शिक्षको को दायित्व सौपे गये ।

उक्त कार्यक्रम के अनुसार स्कूल चलो अभियान 2003 से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार हेतु मीडिया , ग्राम शिक्षा समिति के जागरूक व्यक्तियों , जनवतिनिधियों , शिक्षकों एवं शिक्षा जगत से जुडे प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा अल्प संख्यक– बाहुल्य क्षेत्रो एवं मलिन बस्तियों मे जनजागरण किया गया। जनपद के समस्त ब्लाक समन्वयको , सह समन्वयको , न्याय पंचायत समन्वयको द्वारा विद्यालयो की ओर बच्चो को आर्कषित करने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों , नगर शिक्षा अधिकारी ,समस्त जिला समन्वयकों तथा स्वैच्छिक संगठनो के द्वारा उनको सीधे सौपे गये दायित्वों के तहत जागरूक रहकर प्रचार–प्रसार एवं जन संपर्क का कार्य किया गया।

अल्पसंख्यक बाहुल्य ,मलिन बस्तियों तथा कटरी क्षेत्रों में जन सम्पर्क कर 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु प्रेश्रित करने एवं चिन्हीकरण करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के अभिभावकों ,प्रबुद्ध ग्रामवासियों एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया गया।

जनपद स्तर, ब्लाक स्तर ,नगर क्षेत्रो ,न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरियों का आयोजन करके शिक्षा के प्रति जन जागरण किया गया। जिसमें खण्ड विकास अधिकारी ,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ,नगर शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी / अधिकारी , जिला समन्वयक , ग्राम प्रधान ,जनप्रतिनिधियोंशिक्षकों ,छात्रा–छात्राओं ने प्रतिभाग कर स्कूल चलो अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया।

द्वितीय चरण में दिनांक–25–6–2003 से 31–7–2003 तक स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन किया गया। दिनांक–31–7–2003 तक चिन्हित किये गये एवं नामाकिंत किये गये बच्चों की संख्या को निम्नलिखित सारणी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है–

सारणी–3.1

क.सं.	वय वर्ग	सर्वेक्षण अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जानेवाले चिन्हितबच्चों की सख्या	चिन्हित बच्चों में सेविद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की सं.	अवशेष बच्चों की संख्या जो विद्यालय जाना प्रारम्भ नहीं किये	प्रतिशत 4 का 3 से
1	6–11	36245	34320	1925	6.0
2	11–14	10882	7305	3577	49.0
3	6–14	47127	41625	5502	27.5

स्रोत – कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

31 अगस्त 2003 तक स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त तालिकानुसार 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या 47127 में से 41625 बच्चों का नामाकंन किया गया।अवशेष 5502 बच्चों का ग्रीष्म कालीन शिविर ,ब्रिज कोर्स , शिक्षा गारण्टी योजना ,ए0आई0ई0 तथा अभिभावकों से जन सम्पर्क के माध्यम से प्रवेश कराने का लक्ष्य है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वयवर्ग के समस्त बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन वर्ष 2006-07तककराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2007 तक अनिवार्यतः कक्षा 5 उत्तीर्ण करना तथा वर्ष 2010 तक कक्षा 8 उत्तीर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गांव स्तर की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के निमित्त नवम्बर-2001 से जन-जागरण अभियान जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चलाये गये। सहभागितापरकप्रक्रिया के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड को इकाई मानकर प्रत्येक विकास खण्ड को सेक्टरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सेक्टर में नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यवहारिक एवं फलापेक्षी बनाने के लिये एक नोडल अधिकारी नामित किया गया। इतना ही नहीं सभी नोडल अधिकारियों के कार्यों के सुपरविजन हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक जोनल अधिकारी को नामित किया गया और इन्हें प्रत्येक न्याय पंचायत के त्रि-स्तरीय एवं त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का दायित्व सौंपा गया-

1- सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वातावरण सृजित करना।

2- ग्राम सभा की खुली बैठकें आहूत करना और सर्व शिक्षा की विशिष्टताओं और लक्ष्य को जनसामान्य में प्रभावी ढंग सेप्रसारित करना।

3- शिक्षकों, बहु उद्देश्यीय कर्मियों के द्वारा बालगणना कराना।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन-

1- कोर समिति

2- अभियान समिति (कैम्पेन कमेटी)

1- कोर समितिः -

कोर समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है।

2- अभियान समितिः -

अभियान समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करना, विद्यालय न आने वाले एवं ड्राप आउट बच्चों तथा उनके अभिभावकों की समस्या पर विचार विमर्श करना तथा समस्याओं के निराकरण का विकेन्द्रित उपाय ढूढना ही इस समिति का मुख्य उद्देश्य है।

इस प्रकार सर्व प्रथम जनपद में अभियान कार्य की योजना तैयार करने हेतु एक सात सदस्यीय कोर टीम का गठन किया गया।

1-प्राचार्य डायट

2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

3-लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,डी०पी०ई०पी०- ।।।

4-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी

5-नगर शिक्षा अधिकारी

6-वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

7-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त कोर टीम ने सीमैट,द्वाराआयोजित प्रशिक्षण में 5-6 नवम्बर 2001 को भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया।तत्पश्चात जिले स्तर पर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक 12 नवम्बर 2001 को आहूत की गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों चिन्हांकन विकास खण्ड वार आयोजित

बस्तियों स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण, शालात्यागी बच्चों का चिन्हीकरण, कामकाजी बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। तत्पश्चात कोर ग्रुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में एफ० (एफ०जी०डी०) की जिसमें बस्ती-विशेष की मूल समस्यायें उभर कर आयीं जिसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसके पश्चात प्रत्येक ब्लाक स्तर पर ग्राम प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बुलायी गयी जिसमें समुदाय में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य उभर कर आये साथ ही शिक्षकों के साथ की गयी बैठक में समुदाय की अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श किया गया एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ। इसके पश्चात विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग लिया गया। तत्पश्चात योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका।

इस प्रकार जनपद फर्रुखाबाद में सर्व शिक्षा अभियान को सार्थक एवं सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रित नियोजन के माध्यम से बस्ती स्तर से शैक्षिक योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात विकास खण्ड तथा जिला स्तर की समेकित योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को विद्यालयों में लाया जा सके। इस प्रकार जिले में परियोजना नियोजन हेतु-

1- विकास खण्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया।
2- बस्तियों में फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया।
3- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया गया।

बिन्दु 2 व 3 के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष क्षेत्र की विशिष्ट समस्यायें उभर कर आ सकें और उन्हीं के परामर्श से इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जा सके। इसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्यायें एवं सुझाव उभर कर सामने आये -

1- भौतिक संसाधनों की कमी।
2- अध्यापकों की कमी।
3- अध्यापकों की अनुपस्थिति।
4- अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का लिया जाना।
~~5- शिक्षकों में शिक्षण कला का अभाव।~~
6- प्रभावी निरीक्षण - पर्यवेक्षण का अभाव, शैक्षिक गुणवत्ता का अभाव एवं जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव।
7- विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव।
8- शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप।
9- फोकस ग्रुप डिस्कशन में विभिन्न क्षेत्रों / वर्गों से प्राप्त विशिष्ट समस्यायें व सुझाव।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी। विभिन्न बैठकों (एफ०जी०डी०) में उभर कर आये मुद्दे तथा सुझाव निम्न सारणी में दिये गये है-

नियोजन प्रक्रिया-सारांश

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
12-11-01	नरेन्द्र सरीन प्रा0वि0 फतेहगढ़	कुल प्रतिभागी-जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, जिला सूचना अधिकारी, सहा0अभि0 आर0ई0एस0, जि0बे0शि0अधि0 प्राचार्य डायट, प्रवक्ता डायट, उप बे0शि0अ0, न0शि0अ0, समस्त जिला समन्वयक एवं समस्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कुल सं0 115	(क) जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्रा0वि0, नवाचार केन्द्र खोलने के लिये बस्तियों का एक बार पुनर्सर्वेक्षण करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई बस्ती असेवित न रह जाये। (ख)विद्यालय भवन निर्माण में अभिभावक वर्ग द्वारा इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये कि भवन मानक के अनुरूप हो तथा निर्माण कार्य में अभि0 वर्ग की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिये। (ग)योजना बनाने में असेवित बस्तियों के चिन्हांकन पर विशेष बल दियाजाना चाहिये।
19-11-01	बे0शि0अ0 का0 फ0ई0	जिला बे0शि0अ0, उ0बे0शि0अ0 न0शि0अ0, स0बे0शि0अ0समस्त समस्त समन्वयक, प्रवक्ता डायट/ जी0आई0सी0, स्वयं सेवी संगठन कुलसं0 33	(क)अभिभावकों की जागरूकता में कमी एवं समन्वय के अभाव के कारण योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नही हो पाता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अभिभावक ज्यादा लापरवाह होते हैं जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं बल्कि रोजमर्रा के कार्यों में लगा देते हैं। अभिभावकों को भी समुचित रूप से अभिप्रेरित किया जाना चाहिये। (ख)सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों में जन समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिये कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।उक्त कार्यक्रम वी0ई0सी0 स्तर पर अधिक से अधिक संचालित होने चाहिये।

20.11.01	प्रा0वि0 कुटरा विकास खण्ड बढ़पुर	सहा0 बे0 शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी एन0पी0 आर0सी0 ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्य। शिक्षक एवं शिक्षकाएं कुल 26	(क) नवीन प्रा0वि0 व उच्च प्रा0 विद्यालयों की स्थापना की जाय। (ख) परिषदीय विद्यालयों को भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तरह आकर्षक बनाया जायें। (ग) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्या केन्द्र खोलें जायें। (घ) प्रा0 विद्यालयों की भाँति उच्च प्रा0वि0 के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करायी जायें।
20.11.01	उच्च प्रा0 वि0 पलरा नगर क्षेत्र फर्रु0	नगर शिक्षा अधिकरी सहायक नगर शि0 अ0 2, सभासद गणमान्य नागरिक शिक्षक व शिक्षकाएं कुल एंव 69	(क) शत प्रतिशत नांमाकन सुनिश्चित हो (ख) ड्रापआउट रोकने हेतु रुचिपूर्ण विशेष सामग्री की व्यवस्था हो (ग) प्रत्येक मीटिंग में जागरूक अभिभावकों को आमंत्रित किया जाये।
26.11.01	बी0 आर0सी0 कमालगंज	सहायक बेसिक शिक्षा अधि0 प्रधान बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 अभिभावक शिक्षक स्वयंसेवी संगठन कुल 55	(क) प्रधानों को शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए। (ख) मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था उच्च प्रा0वि0 के बच्चों को भी देय हो। (ग) प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक कक्षा कक्ष हो एवं विद्यालयों को सतत् निरीक्षण हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए।
29.11.01	एन0पी0आर0 सी0 कुम्हरौर वि0क्षे0 राजेपुर	सहायक बेसिक शिक्षा अधि0 बी0 आर0 सी0 समन्वयक एन0पी0आर0सी0 प्रधान व ग्राम शिक्षा समिति सदस्य एवं शिक्षकाएं कुल 26	(क) प्रत्येक बच्चों का कक्षा 1 से 8 तक की पूरी शिक्षा ग्रहण करने हेतु संरक्षकों को प्रेरित किया जाये एवं सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

27.11.01	जि0 बे0 शि0 अधिकारी डी0 पी0 इ0 पी0 ।।। कार्यालय फतेहगढ़	उप0 बे0 शिक्षा अधिकारी सहा0 बे0 शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक नगर शिक्षा अधिकरी वी0आर0सी0 कुल 17	(क) वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाये। (ख) सर्व शिक्षा अभियान की संरचना को पूरे दशक के छात्र हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाये।
21.11.01	जिजौटा बुजुर्ग कायमगंज	सहायक बे0 शिक्षा अधि0 प्रधान व सदस्य वी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 शिक्षक अभिभावक	(क) बीहड़ांचल में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए विशेषकर बालिकाओं के लिए। (ख) कटरी क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिक से अधिक शिक्षा मित्रों की तैनाती हो।
25.11.01	कुरार वि0 खं0 नवाबगंज	सहायक बे0शि0 अधिकारी प्रधान अभिभावक ए0वी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 शिक्षक एवं अभिभावक कुल 40	(क) गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर पर नहीं पहुंच पाया है इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। (ख) पोषाहार वितरण के स्थान पर मध्यान्ह अल्पाहार योजना लागू की जाये। (ग) छात्रों को ड्रेस आवंटित की जाये। (घ) रुचि पूर्ण शिक्षण हो।
22.11.01	मंझाना शमसाबाद	सहायक बे0 शि0 अधि0 वी0आर0सी0/ए0व 10आर0सी0, एन0पी0आर0पी0, वीईसी सदस्य, शिक्षक, अभिभावक कुल 76	(क) बच्चों को खेल-खेल में प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। (ख) प्रारंभिक शिक्षा में सैद्धान्तिक का प्रतिशत कम व्यावहारिक/प्रायोगिक का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। (ग) बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण विधिवत् कराया जाए। (घ) सभी बच्चों को 1 से 8 तक यूनिफार्म विभाग/सरकार द्वारा वितरित किया जाये। (ङ) छात्रसंख्या के आधार पर कक्षों की व्यवस्था की जाये।

25.11.01	बी0 आर0सी0 मोहम्मदाबाद	जि0 बे0शि0 अधि0 खण्ड वि0अधि0 बी0आर0सी0 ए0बी0 आर0सी0 शिक्षक अभिभावक	(क) महिलाओं की सामाजिक स्थिति विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी निम्न स्तर की है जिसमें वे बालिकाओं के साथ भेदभाव करती हैं। महिला जागरूकता के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। (ख) शिक्षा के प्रति उदासीन एवं बच्चों को विद्यालय न भेजने वाले अभिभावकों को दण्डित किया जाना चाहिए। (ग) सभी बच्चों को 1 से 8 तक निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं छात्रवृत्ति वितरित की जाये।

दिनांक 12.11.2001 से 25.11.2001 तक विकास क्षेत्रवार ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों का आयोजन करके, अपने आने वाली समस्याओं/बाधाओं को ध्यान में रखकर जनपद-फर्रुखाबाद में सोशल एसस्मेन्ट स्टडी/(फोकस ग्रुप) के सुझाव प्राप्त किये गये।

तालिका

नगर क्षेत्र/ ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें

क्र0सं0	विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम	12.11.2001 से 25.11.2001 तक की गयी खुली बैठकों की संख्या
1.	बढ़पुर	32
2.	कमालगंज	38
3.	मोहम्मदाबाद	39
4.	राजेपुर	35
5.	कायमगंज	34
6.	शमशाबाद	37
7.	नवाबगंज	30
8.	नगर क्षेत्र फर्रुखाबाद	28
9.	नगर क्षेत्र कायमगंज	11
	योग -	284

सोसल एससमेन्ट स्टडी :-

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं, बाधाओं को अभियान में रखकर जनपद फर्रुखाबाद में सोसल एसेसमेन्ट स्टडी में निम्न सुझाव प्राप्त हुए-

1. बी.सी. एवं एस.सी. समुदाय के अभिभावक प्रायः निरक्षर है। अतः इन आपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना है।
2. आपवंचित समुदाय के क्षेत्र में स्थिति विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर मोटिवेशन दिया जाय।
3. विद्यालयों में मानके के अनुसार शिक्षक दिये जायें और उनकी विद्यालय मे नियमित तथा क्रियाशील उपस्थिति बनी रहे।
4. समुदाय तथा शिक्षकों के बीच समस्याओं पर डिस्कशन होता रहे।
5. पिछड़े तथा गरीब समुदाय के बच्चों को निः शुल्क शिक्षण सामग्री और पोशाक दिये जायें।
6. पिछड़े तथा गरीब परिवार के बच्चों के प्रति शिक्षक सहृदयता का व्यवहार करें।
7. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. द्वारा उचित पर्यवेक्षण किये जायें
8. सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय।
10. विकलांग बच्चों को विद्यालय जाने तथा उनसे प्रेम का व्यवहार करते हुए हीनभावना समाप्त करने का प्रयास किया जाय।
11. कक्षा में विकलांग बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था हो।
12. कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण कार्य रोचक हो।
13. रुढ़िवादी परम्परा को समाप्त करने में अभिभावक को प्रेरित कर बालिकाओं का विद्यालय लाया जाय।
14. ड्रापआउट को समाप्त किया जाय।

उपर्युक्त सुझावों को सर्वशिक्षा परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों में समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है-

1. आँगनवाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आँगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आँगनवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिकित्सा रोगी छात्र-छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य बोर्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती है। चिकित्सकों के आने-जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग में समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च विद्यालयों के अनु0 जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/- व 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों के समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ0प्र0 जल निगम/यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय - 4
सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य व लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान विद्यालयों के कार्यों एवं सुधार तथा समुदाय के कार्यों एवं सु तथा समुदाय आधारित कोटिपूरक प्रारम्भिक शिक्षा अभियान के रूप मे प्रदान करने सम्ब आवश्यकताओं की पूरा करने का एक सफल प्रयास है। इस अभियान के माध्यम सामाजिक असमानता स्त्री पुरुष के अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों 'सर्व शिक्षा अभियान' संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान व पुरोनिधानित योजना के रूप मे चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक व सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85: 15, दशम् पंचवर्षीय योजना अंशदान का प्रतिशत 75: 25 तथा उसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा रा सरकार का प्रतिशत 50: 50 रहेगा।

- <u>सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?</u>
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम
- बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना
- ग्रास रूट से जुड़ी संस्थाओं: पंचायत, बी.ई.सी., पी.टी.ए. तथा एम.टी.ए. आदि की विद्या प्रबन्धन मे सकिय भागीदारी सुनिश्चित करना
- समस्त भारत के प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रबल राजनैतिक इच्छाशक्ति
- केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच एक गठबन्धन
- प्रारम्भिक शिक्षा का अपना विजन विकसित करने का राज्यों को अवसर प्रदान क

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1-8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद पर मुख्य रूप से निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं: -

- वर्ष 2004 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पि स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शतप्रतिशत नामांकन ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- सन्तोषजनक गुणवत्तापरक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना।
- बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथ स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति अन्तर समाप्त करना तथा 2007 तक प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट शून्य करन

वर्ष 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का विद्यालयों मे शत प्रतिशत ।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्य के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं -

नामांकन के लक्ष्य : -

नामांकन के प्रोजेक्शन वर्तमान जी.ई.आर. को आधार मानकर नीपा, नयी दिल्ली प्रतिपादित 'इनरोलमेन्ट रेशियो मेथड से 2002 से 2007' तक का जी.ई.आर. प्रक्षेपित कि गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी.ई.आर तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के

नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिये वर्ष 2004 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 के लिये वर्ष 2007 तक शत - प्रतिशत नामांकन लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन मे कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चो भी शामिल होगें अतः जी.ईआर का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाछ जी.ई.आर. मे वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष मे बढ़ेगे उतने ही लगभग नामांकन मे बढ़ेगें। जी.ई.आर. को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है ।

उपरोक्त उल्लेखानुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003-2004 मे शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य है। जनपद का सकल नामांकन का अनुपात 99 प्रतिशत है। अतः वर्ष 2004-2005 मे अनुपात 100 प्रतिशत तक लाने के लिये सकल नामांकन 105 प्रतिशत तक लाना होगा। जनपद मे बाल गणना के अनुसार वर्ष 2003-2004 मे 6-11 आयु वय वर्ग के बच्चो की संख्या 244700 है। 2001-2010 तक उक्त आयु वर्ग के बच्चो की संख्या मे 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर प्रेक्षित की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 मे छात्र नामांकन 242775 है, जो 6-11 वय वर्ग आयु के बच्चों का 99 प्रतिशत है। इसे वर्ष 2004-05 मे 101 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान मे उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन 96.5 प्रतिशत है, इस स्तर पर सामान्यतया सकल तथा शुद्ध नामांकन दर मे विशेष अन्तर नही होता है। इसलिये इस स्थान पर सकल नामांकन के लक्ष्य रखे गये हैं। बाल गणना के अनुसार जिले मे 11 से 14 आयु वयवर्ग के 104555 बच्चे हैं। इनके सापेक्ष 100978 बच्चे नामांकित हैं। वर्ष 2002-03 से 2006-2007 तक 11-14 आयु वय वर्ग के बच्चो की संख्या मे 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर प्रक्षेपित की गई है। जहॉ तक नामांकित वच्चो की संख्या का प्रश्न है वर्ष 2003-04 के पश्चात इन्हें 2 प्रतिशत के आधार पर अनुमानित किया गया है तथा सकल नामांकन दर इसी आधार पर निकाली गई है, जिसका विवरण निम्नवत सारणी मे है :-

सारणी 4.1

प्राथमिक स्तर नामांकन लक्ष्य

वर्ष	6-11वयवर्ग के बच्चोकी संख्या			नामांकन			सकल नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात GER
2003-04	135987	108713	244700	135084	107691	242775	99.1
2004-05	138707	110887	249594	140094	111996	252090	101
2005-06	141481	113105	254586	145018	117205	262223	103
2006-07	144310	115367	259677	150082	122578	272660	105

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर नामांकन लक्ष्य

वर्ष	11-14 वयवर्ग के बच्चो की संख्या			नामांकन			सकल नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात GER
2003-04	58155	46400	104555	56456	44522	100978	96.5
2004-05	59077	47619	106646	58403	46750	105153	98.6
2005-06	60258	48521	108779	60550	48882	109432	100.6
2006-07	61317	49637	110954	63462	50820	114282	103

श्रोत- जिला परियोजना कार्यालय

ड्रापआउट दर :

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट ई0एम0आई0एस0 प्रणाली से किया गया है तथा उ प्राथमिक स्तर का ड्रापआउट जनपद स्तर के तीन विकास खण्ड बढ़पुर, राजेपुर, कमालग के पांच-पांच विघालयों के आंकड़े एकत्र कर तथा उनका विश्लेषण करके ड्रापआउट दर ज्ञात किया गया है।

सारणी 4.3

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक बच्चों का ड्रापआउट दर

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002-03	31	27
2003-04	22	22
2004-05	15	15
2005-06	7	10
2006-07	2	5

स्रोत - कार्यालय जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद

सारणी 4.4

प्राथमिक विघालय

FARRUKHABAD

क्रमांक	वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/ गैरमान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विघालय से बाहर जो बच्चे विघालय में नहीं जा रहे हैं 'वर्षवार'	NER	बालिका+ अन्य जातिवालक प्रतिशत परिषदीय
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2003-04	244700	242775	46183	196592	1925	99.1	105833
2	2004 05	249594	249594	49070	200524	0	100	111124
3	2005-06	254586	254586	50052	204534	0	100	126997
4	2006-07	259677	259677	51052	208625	0	100	129516

सारणी 4.5

उच्च प्राथमिक विद्यालय

FARRUKHABAD

क्रमांक	वर्ष	11-14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैरमान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय उ. प्राथमिक नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं 'वर्षवार'	NER	बालिका+ अनु0 जातिबालक का प्रतिशत परिषदीय
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2003-04	104555	100978	73919	27059	3577	96.5	16837
2	2004 05	106646	105153	75930	29223	1493	98.6	17173
3	2005-06	108779	108779	77219	31560	0	100	17517
4	2006-07	110954	110954	78132	32822	0	100	17867

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्राथमिक स्तर (आवश्यकता)

FARRUKHABAD

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय में कक्षा कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष 1:40	1:3 के अन्तर्गत आवश्यक कक्ष	एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित कक्ष
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2003–04	196592	4915	2037	90	2127	2788	2781	0
2	2004–05	200524	5013	4915	0	4915	96	0	250
3	2005–06	204534	5113	5013	0	5013	100	0	204
4	2006–07	208625	5215	5113	0	5113	102	0	200

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक /शिक्षा मित्र की वर्तमान स्थिति तथा आगामी वर्षों में आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग (3+4)	40:1 की दर से शिक्षक	आवश्यकता	आवश्यक शिक्षक	आवश्यक शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2003–04	196592	3141	858	3999	4915	916	458	458
	2004–05	200524	3599	1316	4915	5013	98	49	49
	2005–06	204534	3648	1365	5013	5113	100	50	50
	2006–07	208625	3698	1415	5113	5215	102	51	51

अतिरिक्त कक्षा कक्ष उच्च प्राथमिक स्तर (आवश्यकता)

FARRUKHABAD

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष	एस0एस0ए0 में प्रस्तावित कक्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003–04	158	70	912	754	158	18
2	2004–05	228	0	912	772	140	70
3	2005–06	228	0	912	842	70	70
4	2006–07	228	0	912	912	0	0

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परषिदीय कुल विद्यालय की संख्या	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	2001–02	138	20	790	755	35
2	2002–03	158	0	790	790	0
3	2003–04	158	70	1140	790	350
4	2004–05	228	0	1140	1140	0
5	2005–06	228	0	1140	0	0
6	2006–07	228	0	1140	0	0

अध्याय-5
समस्यायें रणनीतियां

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की वियोजन की प्रक्रिया पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत रूप से अपनाई गयी है और बस्ती आधारित कार्यक्रम का वियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार-विमर्श के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां निम्नलिखित सारिणी में वर्णित की गयी है।

प्रमुख बिन्दु
क- शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी

प्रमुख बिन्दु	मुख्य समस्यायें	रणनीतियां
क-शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी	1-अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी।	1-सामुदायिक सहभागिता का अधिक से अधिक कार्यक्रम में समावेश किया जायेगा। 2-सामाजिक चेतना बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किये जायेंगे ताकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।
	2-बालिकाओं की प्रति असुरक्षा की भावना।	1-बालिकाओं के लिये प्राथमिक स्तर पर ही व्यावसाय शिक्षा का योजना में समावेश किया जायेगा।
	3-संसाधनों की कमी।	1-मांगक के अनुरूप संसाधनों की कमी की पूर्ति की जायेगी। 2-स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।
	4-कटरी क्षेत्र में दस्युओं के आतंक के कारण शिक्षकों के पहुंच की समस्या।	1- कटरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की शिक्षा मित्र के रूप में अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति की जायेगी।
	5-असेवित बस्तियोंमें विद्यालय उपलब्ध नहीं।	1-असेवित बस्तियों में 60 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 105नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयखोले जायेंगे।

	6- पिछड़ी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं ।	1-इन बस्तियों में 90 ई0जी0एस0 केन्द्र तथा 300 ए0 आई0ई0 केन्द्र खोल कर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जायेगा ।
	7-कामकाजी बच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव ।	1-समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । ईंट के भट्टो, बीड़ी उद्योग एवं जरदोजी उद्योग में लगे हुए परिवार के बच्चों के लिये प्रौढ़कालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा ।
ख-नामांकन -सम्बन्धी	1-शिक्षा का रोजगारपरक होना ।	1-शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिये कार्ययोजना में विशेष पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जायेगा ।
	2-रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समुदाय में बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता ।	1-रूढ़िवादी समुदाय को विशेष अभियान चलाकर जागरूक किया जायेगा ।
	3-विद्यालय की उपलब्धता ।	1-अधिक नामांकन प्राप्ति हेतु मानक के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना की जायेगी ।
	4-समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित हैं ।	1-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को,बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा । शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उनके बच्चों को विद्यालयों के प्रति आकर्षित कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्य-जैसे बांस की टोकरी बनाना, पंखा बनाना, गुड़िया बनाना, खिलौना बनाना, मिट्टी का कार्य, सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र बनाना आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा ।
	5-बालिकाओं का घरेलूकार्यों में व्यस्त होना ।	1-अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बालिकाओं को अधिक समय तक

		बालिकाओं से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिये समय देने हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं विद्यालय में प्रवेश हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
	6-छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी।	1-विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद की दृष्टि से दिये जाने वाले स्कूल पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा।
ग-ठहराव -समस्याएँ	1-विद्यालयों में सुविधाओं की कमी।	1-विद्यालयों में रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को आकर्षित किया जायेगा।
	2-बालिका शिक्षा के कार्यक्रम में कमी।	1-योजना में बालिका शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा-मीना कैम्पेन, ग्रीष्मकालीन शिविर आदि के द्वारा बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश हेतु आकर्षित किया जायेगा।
	3-विकलांग बच्चों के लिये विशेष योजना का अभाव।	1-योजना में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग बच्चों के अभिभावकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को आकर्षित करने हेतु जनजागरण अभियान चलाया जायेगा।
	4-अध्यापकों का अध्यापन कार्य के प्रति रुझान कम होना।	1-सभी अध्यापकों को तीन वर्ष में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एवं दस वर्ष में एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया जायेगा।
	5-जनसहयोग एवं समर्थन की कमी।	1-सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जनसहयोग

		प्राप्त बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा।
	6-विद्यालयों की सुरक्षा का अभाव।	1- विद्यालयों को चहारदीवारी का निर्माण कराकर सुरक्षित एवं बागवानी के द्वारा आकर्षक बनाया जायेगा।
	7-पेयजल एवं शौचालयों का अभाव।	1-पेयजल सुविधाविहीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प तथा शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जायेगा।
	8-उपयुक्त कक्षा कक्ष तथा शिक्षकों की कमी।	1-प्राथमिक स्तर पर 2712 कक्षा कक्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 517 कक्षा कक्षों के निर्माण के साथ ही प्राइमरी स्तर पर 767 शिक्षकों की एवं 769 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 590 शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।
घ-गुणवत्ता-सम्बन्धी	1-नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी।	1-नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत शिक्षकों प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जायेगा।
	2-विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षक-प्रशिक्षण का अभाव।	1-सामाजिक रीति-रिवाज, स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा।

	3-निरीक्षण अधिकारियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण न होना।	1-नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूपशिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों की गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
	4-समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया के समुचित ज्ञान की कमी।	1-शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, माता शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा।
	5-शिक्षकों में सहायक शिक्षक सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना।	1-पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों में विषय वस्तु को समझाने में आसानी हो साथ ही शिक्षण रुचिकर हो सके, इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा। विज्ञान/गणित किट का समुचित प्रयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
	6-शिक्षकों का गैर-शिक्षक कार्यों में व्यस्त होना।	1-विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्यास गैर विभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा निश्चयात्मक [illegible]

		हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा, तथा समस्त प्रबन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।
ड.संस्थागत क्षमता सम्बर्धन सम्बन्धी	1-न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमतायें होना। विद्यालयों को सतत् रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना।	1-न्याय पंचायत तथा ब्लाक संसाधनों केन्द्रों के समन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में बिताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरूचि उत्पन्न करने, विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों व शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिये क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।
	2-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना।	1-जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी क स्थिति में बहुकक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायेगा।
	3-प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की कमी।	1-प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें, प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाये गये तरीकों का उपयोग

	4-विद्यालय सांख्यिकी तथा इन्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग।	करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा। 1-ई0एम0आई0एस0 को और सुदृढ़ बनाया जायेगा और आंकड़े नियमित रूप से विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्य योजना निर्माण में किया जायेगा।

अध्याय 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन औपचारिक विद्यालय)

यह सर्वमान्य सत्य है कि 6–11 वय वर्ग के बच्चे अत्याधिक छोटे होने के कारण विद्यालय नहीं आते हैं , वर्तमान समय में स्कूल चलो अभियान या पोशाहार योजना के फलस्वरूप बच्चों का प्रवेश तो विद्यालय में कर तो दिया जाता है लेकिन ऐसे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं एवं कालान्तर में विद्यालय छोड़ जाते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ भाासन द्वारा प्रति 1.5 किमी. पर तथा 300 से अधिक जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया गया है। इस उद्दे य को पूरा करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–111 के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में कुल 113 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये है। जनपद फर्रूखाबाद में बस्तियों की कुल संख्या 1420 है जिनमें 137 बस्तियाँ ऐसी है। जिनकी आबादी 300 से अधिक है एवं 1.5 किमी. की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों को सेवित करने की दृश्टि से देखा गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – 111 के अन्तर्गत के नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के उपरान्त 45 विद्यालय खोले जाने पर 300 से अधिक आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अतः 45 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

समस्त नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शि क्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण हो सकें इस हेतु प्रस्तावित विद्यालय भवनों में भौचालयों , पेयजल ,चहारदीवारी , शिक्षण सामग्री , काश्ठोपकरण , उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी ।

जनपद फर्रूखाबाद में विकास खण्ड व नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सारणी 6.1 में प्रदशि त है।

सारणी 6.1

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

क्रसं0	वि0 खण्ड का नाम	नवीन प्राथमिक विद्यालय	भौचालय	चहारदीवारी	शि क्षण सामग्री	काष्ठोपकरण , उपस्कर	हैण्डपम्प	शि क्षकों की सं0	व्यवस्था शिक्षा मित्र
1	बढ़पुर	–	–	–	–	–	–	–	–
2	कमालगंज	7	7	7	7	7	7	7	7
3	मोहम्मदाबाद	6	6	6	6	6	6	6	6
4	नवाबगंज	6	6	6	6	6	6	6	6
5	श्राजेपुर	7	7	7	7	7	7	7	7
6	कायमगंज	8	8	8	8	8	8	8	8
7	श मश ाबाद	8	8	8	8	8	8	8	8
8	न0क्षे0फर्रू0	–	–	–	–	–	–	–	–
9	न0क्षे0 कायमगंज	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	45	45	45	45	45	45	45	45

स्त्रोत :– सर्वेक्षण बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 45 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में 45 शि क्षकों तथा 45 शिक्षा मित्रों की आव यकता होगी साथ ही रू0 500/– की दर से प्रति शिक्षकव शिक्षा मित्र को शि क्षण सामग्री हेतु अनुदान दिया जायगा एवं विद्यालयों की काश्ठोपकरण हेतु रू0 10,000/– प्रति विद्यालय दिया जायेगा ।

प्रस्तावित कार्यक्रम का वर्षवार नियोजन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में कुल 45 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं। जिनमें वर्श 2003–2004 में 45 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

सारणी – 6.2

वर्षवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

वर्श	नवीन प्रा0वि0	शि क्षक	शिक्षामित्र
2003–2004	45	45	45
योग	45	45	45

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

जनपद फर्रूखाबाद में ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है। 11–14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समस्त असेवित बस्तियों जहाँ 3 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय सुविधा उपलब्ध है तथा बस्ती का जनसंख्या 300 से अधिक है ,सर्वेक्षण के दौरान कुल 105 असेवित बस्तियाँ चिन्हित की गईं हैं। नगर क्षेत्र में निर्धारित मानक 2:1 में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय की आव यकता नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लक्ष्यरत वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा प्राप्त हो सके इसके लिए निर्धारित मानक 2:1 (दो प्राथमिक विद्यालय अनुपात एक उच्च प्राथमिक विद्यालय) के अनुसार 90 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आव यकता है।

विकास खण्डवार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है –

सारिणी 6.3

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रंसं0	वि0 खण्ड का नाम	प्रस्तावित विद्यालय
1	बढ़पुर	13
2	कमालगंज	01
3	मोहम्मदाबाद	22
4	नवाबगंज	21
5	राजेपुर	05
6	कायमगंज	12
7	श मश ाबाद	16
8	न0क्षे0फर्रू0	–
9	न0क्षे0 कायमगंज	–
	योग	90

स्त्रोत :– बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फर्रूखाबाद

इन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ भौचालयों ,चहारदीवारी , शि क्षण सामग्री , हैण्डपम्प ,काश्ठोपकरण , उपस्कर एवं शि क्षकों की आव यकता होगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शि क्षण सामग्री की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि खाते में हस्तान्तरित की जाएगी जिससे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उक्त सामग्री क्रय की जाएगी ।

वर्षवार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कार्य योजना

सारिणी 6.4

वर्श	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उच्च प्रा0वि0	20	70	.....	.....	.....

बर्ष 2002–03 में 20 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है एवं 2003–04 में 70 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने की योजना प्रस्तावित है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार एवं विषयवार शि क्षकों की आव यकता होती है जिनके लिए प्रत्येक विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक एवं 4 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। वर्श वार प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों का विवरण सारणी 6.5 में प्रदशि त है ।

सारणी 6.5

विकास खण्डवार/वर्षवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

वर्ष	नवीन उ0प्रा0विद्या0	प्रधानाध्यापको की सं0	सहायक अध्यापकों की सं0
2002–03	20	20	80
2003–04	70	70	280
2004–05	–	–	–
2005–06	–	–	–
2006–07	–	–	–
2007–08	–	–	–
योग	90	90	360

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयो पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतभूमि,भवन,हैण्डपम्प,श ौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयास किया जाएगा कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्राथमिक विद्यालय के परिसर में की जाएगी जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि,भवन,हैण्डपम्प,श ौचालय, चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके , जिसके फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में हैण्डपम्प,श ौचालय आदि मदों में बचत की जा सके।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जाएगी। बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य के लिए रू0 2 लाख का वित्तीय प्राविधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष में किया जाएगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण–

प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों अतिरिक्त कक्षाकक्ष , चहारदीवारी, शौचालयों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित करने का प्राविधान किया गया है तथा निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

महिला शिक्षिकाओं के चयन में वरीयता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने वाले नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में चयन किये जाने वाले शिक्षकों/शिक्षा मित्रों में से 50 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को वरीयता दिये जाने का प्राविधान प्रस्तावित है।

नवीन प्रा0 विघालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विघालय को सुसज्जित करने तथा विघालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज़, कुर्सी, वाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यापट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्टे (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलो मे विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी ।

<u>नवीन उ0प्र0 विघालय साज सज्जा-</u> ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा- मेज, कुर्सी, वाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूप्मेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मेटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी) ।

अध्याय- 7
शिक्षा की पहुँच का विस्तार - ।।

अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा: -

भारतीय संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिये जो अनौपचारिक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नही ले पाते। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था रही है। यह शिक्षण सुविधा से वंचित 6-14 वयवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का एक सशक्त विकल्प है।

जनपद में पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-14 वयवर्ग के जो बच्चें बीच में पढ़ाई छोड़कर बैठ गये, पैतृक व्यवसाय में अभिभावकों की कदद करने में लगे, कारखानों में लगे, बाल श्रमिक बच्चें वे बालिकायें जो माता-पिता के काम पर चले जाने के बाद अबोध शिशुओं की देखभल में लग गई । ऐसे अपवंचित अबोधवस्त बालक-बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था रही है। वर्तमान में इन बच्चों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम -।।। के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/ वैकल्पिकशिक्षा केन्द्रो के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा: -

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा एक से पांच तक के पाठ्यक्रम को संचालित करने अंश कालिक शिक्षा दो घन्टे प्रतिदिन छः माह के चार सत्रेस्टरों में प्रदान की जा जाती है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर समतुल्य प्रमाण-पत्र प्रदान कर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जनपद फर्रुखाबाद में सात विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा की परियोजना संचालित रही है। आच्छादित विकास खण्डों के नाम इस प्रकार है- बढ़पुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, राजेपुर, शमसाबाद, और कायमगंज है। समस्त विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खण्ड में 100-100 केन्द्र संचालित किये गये थे। प्रत्येक केन्द्र में 25-25 बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति की मांग, आवश्यकता एवं 6-14 वयवर्ग आयु के निरक्षर बच्चों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ न्यायपंचात स्तर पर संख्या का निर्धारित किया जाता है, अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल पर आरक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक योग्यता वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है। अनुदेशक के चयन के उपरान्त दस दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इन केन्द्रो का निरीक्षण परियोजना अधिकारी स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता था। अनुदेशक को रूपया 200 प्रतिमाह हो मापदेय ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा दिया जाता था।

अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा कक्षा 5 उत्तीर्ण करके बच्चों को कक्षा 6 में औपचारिक विद्यालय में प्रवेश दिला करके मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। अनौपचारिक शिक्षा योजना 31मार्च 2001 को समाप्त कर दी गयी है।

शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम

जनपद फर्रूखाबाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अर्न्तगत शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2000–01 से संचालित है, शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि जनपद के ऐसे गाँव/मजरों में जहाँ 1 किमी. के अन्तर्गत कोई परिषदीय विद्यालय नहीं है तथा 6–11 वय वर्ग आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों, शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था सुलभ कराई जाएगी।

जनपद फर्रूखाबाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के द्वारा शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कुल 50 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा गारंटी योजना के तहत खोले गये केन्द्रों को विद्या केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। इस केन्द्र में उसी ग्राम का हाईस्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति शि क्षण कार्य करता है जिसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, आचार्य का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा उसी गाँव के हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल के प्राप्तोंको के आधार पर किया जाता है। एक आचार्य का चयन एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जाता है। आचार्य का कार्यकाल शैक्षिक सत्र के अन्त में 31 मई को स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा अगले शैक्षिक सत्र के लिए आचार्य के सन्तोषजनक होने पर नवीनीकरण कर सकती है, कार्य सन्तोषजनक न होने पर ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुमत से हटा सकती है। आचार्य का मानदेय रू0 1000/– माह है। एक शैक्षिक सत्र में कुल 10 माह का मानदेय देय है। मानदेय की धनराशि जिला परियाजना कार्यलय से ग्राम शिक्षा निधि खाते में एक साथ 6 माह की धनराशि हस्तान्तरित कर दी जाती है। जिसे ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक माह समय से आचार्य को मानदेय प्रदान कर दिया जाता है। केन्द्र के संचालन हेतु शि क्षण अधिगम सामग्री हेतु रूपया 2350 तथा पुस्तकों के कय हंतु रूप्या 1000 की धराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांन्तरित की जाती है जिसे ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा कय करके विद्या केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसे जिला स्तरीय गठित समिति अनुमोदन प्रदान करती है। शिक्षण कार्य हेतु स्थान व पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत उपलब्ध कराती है। शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 50 केन्द्र संचालित हैं, इन केन्द्रों में विकास खण्डवार पंजीकृत बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

सारणी – 7.1

ई0जी0एस0/केन्द्रों में पंजीकृत बच्चे (AIE प्राथमिक स्तर)

क्रसं0	वि0 खण्ड का नाम	EGS केन्द्रों की सं0	AIE प्राथमिक स्तर	पंजीकृत छात्रों की सं0
1	बढ़पुर	8	5	425
2	कमालगंज	8	10	529
3	मोहम्मदाबाद	7	4	655
4	नवाबगंज	7	5	580
5	राजेपुर	6	5	412
6	कायमगंज	8	8	425
7	श मश ाबाद	6	5	408
8	न0क्षे0फर्रू0/कायमगंज	–	8	242
	योग	50	50	3676

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत ई0जी0एस0/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से कम है और 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा है ऐसी बस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही 300 से अधिक की आबादी और 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय वाली बस्ती में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। जनपद फर्रूखाबाद में 7 विकास खण्ड है। – बढ़पुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, राजेपुर, कायमगंज, शमशाबाद, नवाबगंज हैं । विकास खण्ड कायमगंज व शमशाबाद का दक्षिणी क्षेत्र गंगा की कटरी क्षेत्र एवं दस्यु प्रभावी क्षेत्र होने के कारण शैक्षिक स्तर निम्न है। जनपद का दूरस्थ विकासखण्ड कायमगंज भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुँच से दूर है। विकासखण्ड मोहम्मदाबाद में साक्षरता दर सबसे न्यून है।

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 9–14 वयवर्ग के बच्चे है। इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वयवर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों अथवा ई0जी0एस0 केन्द्रों में प्रवेश दिलाया जाएगा। 9–14 वयवर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालय से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, सड़कछाप व घुमन्तू बच्चों, बालश्रमिक, कामकाजी बच्चों को वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ब्रिजकोर्स या ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिलाया जा सकेगा। जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होगें ।

<u>सर्वेक्षण / चिन्हाकन: -</u>

ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ एक किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है 6-11 वयवर्ग के कम से कम 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 01 और 02 के लिये ई0जी0एस0केन्द्र खोले जायेगें। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो का निर्धारण माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया जायेगा। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र में ई0जी0एस0 केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहां पर ए0आई0ई0 केन्द्रों के खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जाये। क्योंकि सर्व प्रथम यह प्रयास होना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में या ई0जी0एस0 केन्द्रो में प्रवेश ले।

ड्रापआउट होने के फलस्वरुप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेप/ मनोवैज्ञानिक दबाब के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें,विशेषकर बालिकायें,कामकाजी तथा बालश्रमिकों कों प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों,अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों,ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा।इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/ मदरसों में <u>बालक/बालिकाओं</u> को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए0आई0केन्द्र खोले जायेगें।

मुख्यतः झुग्गी-झोपड़ी,मलिन वस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहां पर 9-14 वयवर्ग के ड्रापआउट एवं विद्यालय न जाने वाले न्यूनतम 20 बच्चें उपलब्ध होगें,नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। इन केन्द्रों मे बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढाई 'जिस स्तर के बच्चे होगें' पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे यह बच्चें अतिशीघ्र मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दे।

<u>रणनीति: -</u>

सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना,वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले 6-8 व 9-14 वयवर्ग के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें 2003 से 2007 तक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु समय का कोई प्रतिबन्ध नही है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन करने वाले छात्र किसी भी समय मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं,जिस योग्य वे हैं।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

1- अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में।
2- ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।
3- ऐसे क्षेत्र जहां ड्रापआउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4- ऐसी असेवितबस्तियां जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालय न हो
5- ऐसे क्षेत्र जहां आंशिक रुप से बाल श्रमिक,गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।
6- गंगा नदी का कटरी क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

केन्द्रो का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जा सकता है जो पहुँच की दृष्टि से वंचित वर्गों के बच्चों के लिये उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समयः -

ई0जी0एस0 व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घन्टे संचालित किये जायेगें। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रो के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं किया जायेगा।

अनुदेशक चयनः -

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हो उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरीयता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य सन्तोष जनक न होने की स्थिति मे ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्तावों का संकलनः -

माइक्रोप्लानिंग से सम्बन्धित पत्र जातों का विश्लषण एवं समीक्षा करने के पश्चात ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी। विकास खण्ड स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा।

1-	अध्यक्ष-	खण्ड विकास अधिकारी
2-	सदस्य/ सचिव	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक।
3-	सदस्य	ग्राम प्रधान।
4-	सदस्य	वरिष्ठ प्रधानाध्यापक

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ब्रिजकोर्स या ग्रीश्मकालीन शि विरों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिलाया जा सकेगा। जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होगें

6–8 तथा 9–14 वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण –

क्रंसं0	वि0 खण्ड का नाम	6–8 वय वर्ग			9–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बढ़पुर	43	61	104	206	144	350
2	कमालगंज	184	59	243	312	317	629
3	मोहम्मदाबाद	97	68	165	262	349	611
4	नवाबगंज	72	113	185	244	434	678
5	राजेपुर	69	146	215	272	388	660
6	कायमगंज	61	67	128	199	217	416
7	शमशाबाद	38	108	146	274	206	480
8	न0क्षे0फर्रू0/कायमगंज	14	33	47	255	190	445
	योग	578	655	1233	2024	2245	4269

पर्यवेक्षण/निरीक्षण की व्यवस्था

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण का लक्ष्य निम्नवत् प्रस्तावित है–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य – प्रतिदिन।
2. एन0पी0आर0सी0 समन्वय सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र।
3. बी0आर0सी0 समन्वयक – 10 प्रतिमाह।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 5 प्रतिमाह।
5. जिला समन्वयक "बै0शि 0' 10 प्रतिमाह।
6. खण्ड विकास अधिकारी 5 प्रतिमाह।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 5 प्रतिमाह
8. जिला पशासन 2 प्रतिमाह।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक 2 प्रतिमाह।

अनुश्रवण की व्यवस्थाः–

प्रत्येक केन्द्र से वहाँ उपस्थित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति ड्राप आउट की स्थिति , ड्राप आउट को पुनः केन्द्र पर लाने की स्थिति , भौक्षिक स्तर मुख्य धारा से जुड़ाव , शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रख–रखाव , सामुदायिक सहभागिता , निरीक्षण मूल्यांकन तथा उनकी कठिनाइयों , बैठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक ,वार्शिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जाएगा।

डाइट पर प्रतिमाह ब्लाक समन्वयक की बैठक में निरीक्षण आख्याओं के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक
एवं
नवाचार शिक्षा योजना
हेतु चिन्हित स्थानों का विवरण
सारिणी-7.4

पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	ई0जी0एस0	ए0आई0ई0
1- बढ़पुर	05	12
2- कमालगेंज	06	15
3- मोहम्मदाबाद	09	19
4- कायमगंज	13	20
5- राजेपुर	08	18
6- नवाबगंज	07	10
7- शमसाबाद	12	18
8- नगरक्षेत्र फर्रुखाबाद	--	04
9- नगरक्षेत्र कायमगंज	--	04
योग	60	120

केन्द्र खोले जाने की प्रक्रियाः -

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,शिक्षा अधिक्षक नगरक्षेत्र,समासद सम्बन्धित वार्ड,नगरक्षेत्र का वरिष्ठतम प्र0अ0/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यतानुसार मकतब/ मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक होने की स्थिति में मकतबों/ मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रस्तावित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जा सकता है ।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टर ग्रेजुएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:-

एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार आरंभ पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्रों का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापक नियुक्त पत्र दिया जायेगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्त पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था:-

प्रत्येक ई0जी0एस0 /ए0आई0ई0 केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के ग्राम शिक्षा निधि खातें में हस्तान्तरित की जायेगी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी । केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

संलग्न सूची

ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 केन्द्रों को दी जाने वाली सामग्री का विवरण

(30 बच्चों पर अनुमानित)

क्रमसंख्या	सामग्री का विवरण	संख्या
1	टिन का बॉक्स, ताला सहित	01
2	लकड़ी का ब्लैक बोर्ड (स्टेन्ड सहित)	02
3	टाट पट्टी .	05
4	मानचित्र 1-जनपद 2- राज्य 3- देश	03
5	छात्र उपस्थिति पंजिका	02
6	रजिस्टर	02
7	चॉक	आवश्यकतानुसार
8	डस्टर	02
9	स्लेट (प्रति बच्चा)	01
10	पेन्सिल डिब्बा ((स्लेट हेतु)	30
11	कॉपी 120 पेज की	6कॉपी प्रति बच्चा-1वर्ष केलिये
12	फुटबाल	02
13	रस्सी कूदने के लिये	03
14	रिंग	03
15	स्केल	05
16	केयान कलर	20 पैकेट
17	एवेकस 'छोटा'	05
18	पेन्सिल	6 पेन्सिल प्रति बच्चा एक वर्ष हेतु।

शिक्षा गारंटी योजना/नवाचार केन्द्र :-

जनपद फर्रूखाबाद में 5+ से 14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है जिसमें बच्चो विभिन्न मान्यता प्राप्त/परिषदीय/राजकीय संस्थाओं में नामांकित हैं , शेष बच्चे कहीं भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। इनमें से 60 प्रतिश त बच्चे नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं औपचारिक विद्यालयों में लाये जाएंगे, शेष 40 प्रतिश त बच्चे अर्थात 8103 बच्चों के लिए ई0जी0एस0 व ए0आई0ई0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त ड्राप आउट बच्चों को ए0आई0ई0 केन्द्र में लाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्राविधान है।

सारिणी 7.4 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 120 जनपद में असेवित बस्तियाँ चिन्हांकित कीं गईं थीं जिसमें से 90 बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का ही प्राविधान किया गया है। शेष 30 बस्तियों में ए0आई0ई0 उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र खोले जाऐंगें।

सारिणी 7.5

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्रम सं0	वित्तीय वर्श	खोले जाने वाले केन्द्रों की सं0								
		ई0जी0एस0			ए0आई0ई0 प्रा0स्तर			ए0आई0ई0 उ0प्रा0स्तर		
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग
1	2002-03	50	0	50	50	0	50	0	0	0
2	2003-04	50	0	50	50	0	50	0	14	14
3	2004-05	50	30	80	50	20	70	14	16	30
4	2005-06	80	20	100	70	0	70	30	0	30
5	2006-07	100	0	100	70	0	70	30	0	30

हाउस होल्ड सर्वे 2003 में चिन्हित विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

5+ - 6+ , 7 —10+ तथा 11—14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+से6+		7—10+		11—14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1—अपने घर के कामों में लगे रहना	2594	2826	2898	2813	2132	3241
2—मजदूरी में लगे रहना	83	102	519	517	1183	513
3—भाई बहनों की देखभाल	1847	2297	801	1133	417	1024
4—विद्यालय दूर होने के कारण	1088	698	411	361	461	726
5— अन्य	8332	5573	839	513	743	442
योग—	13944	11496	5468	5337	4936	5946

जनपद में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण :-

इन बच्चों को औपचारिक विद्यालयों मे लाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न कोर्स संचालित किये जाने के का प्राविधान प्रसतावित किया गया है , जिनके द्वारा तालिकाओं मे दर्शाई गई संख्या मे बच्चों को विद्यालय मे लाया जायेगा ।

1- <u>घेरेलू कार्य मे लगे रहना</u>:- ऐसे बच्चों को विद्यालय मे लाने हेतु ब्रिज कोर्स एवं वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोडे. जाने का लक्ष्य है ।

क्र0सं0	कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
		सं0	बच्चे	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे
1-	ब्रिज कोर्स (न्याय पंचायत स्तर)	87	3480	87	3480	87	3480
2-	वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम	50	2000	50	2000	50	2000

2- <u>मजदूरी मे लगे रहना</u> :- मजदूरी करने वाले बच्चे मुख्यतः 09-14 आयु वय वर्ग के होते है जिन्हें प्राथमिक स्तर के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ए0 आई0 ई0 केन्द्र खोलकर विद्यालय मे लाने का प्राविधान किया गया है ।

क्र0सं0	कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
		सं0	बच्चे	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे
1-	ए0 आई0ई0 (प्राथमिक स्तर)	450	1350	70	2100	70	2100
2-	ए0 आई0ई0 (उच्च प्राथमिक स्तर)	14	560	30	1200	30	1200
3-	आवासीय ब्रिज कोर्स	01	60	01	60	01	60

3- भाई बहनो की देखभाल :- जनपद मे कुछ बच्चे मुख्यतः बालिकाये अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नही जा पाती हैं। ऐसी स्थिति मे या तो वे स्कूल मे प्रवेश नही ले पाती हैं या नियमित स्कूल न जाने से शाला त्याग देती हैं और शिक्षा से वचिंत हो जाती है। ऐसे बच्चों को स्कूल लाने के लिये ई0सी0सी0 केन्द्रो एव्र ग्रीष्म कालीन शिविरों की मदद से विद्यालयें मे लाया जायेगा।

क्र0सं0 कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे
1- ई0 सी0 सी0 ई0	70	2800	70	2800	70	2800
2- ग्रीष्म कालीन शिविर	25	100	35	1400	35	1400

4- अन्य कारण :- जनपद मे कुछ बच्चे रूढ़िवादिता, गरीबी, खराब भौगोलिक स्थितियो के कारण विद्यालय नही जा पाते हैं। इन बच्चों को विद्यालय मे लाने के लिये वर्ष 2003-04 मे 90 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा मकतब मदरसों मे अध्ययनरत बच्चों को विद्या केन्द्रों की मदद से मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ।

क्र0सं0 कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे	सं0	बच्चे
1- विद्याकेन्द्र	05	150	05	150	05	150
2- एस0 सी0 बच्चों हेतु ब्रिज कोर्स	07	280	00	00	00	00

इसके साथ-साथ विद्यालयों को आकर्षक बनाकर , मध्यान्ह भोजन , निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराकर बच्चों को स्कूल आने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्याय : — 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

डी० पी० ई० पी० — III योजना के अंतर्गत विगत वर्श से विध्यालयों के बच्चो के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिय अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है । योजना प्रारम्भ करते समय जनपद में भालात्याग की दर 31 प्रतिशत थी जो वर्श 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण के अनुसार शालात्याग दर मे कमी आयी है । परन्तु अभी भी शालात्याग दर बहुत अधिक है । डी० पी० ई० पी० — III के अन्तर्गत शालात्याग की दर को कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । जनपद के 810 प्रा० वि० में हैण्डपम्प उपलब्ध हैं, 300 विध्यालयों में भौचालय बनावाये गये है, पढते हुए छात्र नामाकंन को देखते हुए 350 अतिक्ति कक्षा कक्ष निर्मित कराये जा रहे हैं इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के प चात अध्यापक किया आधारित तथा बाल केन्द्रित शि क्षण द्वारा बच्चो को विध्यालय में रोक सकें इसके लिये प्रथम चक में बोधात्मक प्रशिक्षण तथा भाषा गणित एंव पर्यावरणी अध्ययन में विशयगत प्रशिक्षण दिया गया है । ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सकें इसके लिये ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रशिक्षण कराया गया वर्तमान में सभी प्राथमिक क्षिक अपर्युक्त प्रशि क्षण को प्राप्त कर चुके है । अच्च प्राथमिक विध्यालयों में यद्यपि पेयजल, भौचालय और अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की ब्यवस्था की गयी है, परन्तु सभी विध्यालय इससे आच्छादित नही हो पाये हैं प्राथमिक स्तर पर सभी वर्ग के बालकों एंव सभी वर्ग की बालिकाओं का निः भुल्क पुस्तके एंव अनुसूचित जाति, पिछडी जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के छात्र — छात्रायों को छात्र वृत्तियॉ दी जा रही हैं । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालक और सभी वर्ग की बालिकाओं को विध्यालय में ठहराव के लिये अनेको प्रयास किये जा रहे हैं ।

उपर्युक्त प्रयासो के बाबजूद अभी भी भालात्याग की दर बहुत अधिक हैं, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि भातप्रतिश त विध्यालय मूल भूत सुविधाओ से युक्त हों जिसके लिये जून, जूलाई 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण किया गया और गांव स्तर पर आव यकताओं का चिन्हिकरण किया गया ।

विध्यालय भवन का पुनर्निमाण :—

जनपद में भवन हीन/जर्जर विद्यालयों की संख्या 83 है जिनमें 65 प्राथमिक तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों की कक्षायें या तो पेड़ के नीचे लगती है अथवा खुले मैदान में जिसके कारण समान्यतः बच्चे मध्यावकाश के बाद बापस नही आते हैं साथ ही साथ कुछ महीनों तक अध्ययन करने के प चात विद्यालय आना बन्द कर देते हैं जिसे ड्राप आउट में वृद्धि होती है इसे रोकने के लिये 83 विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण प्रस्तावित है । जिसे योजना के तृतीय वर्श में पूर्ण का लिया जायेगा ।

अतितिक्त कक्षा — कक्ष :—

वर्तमान में जनपद के प्रा० वि० प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा — कक्ष की संख्या 1905 है प्रेत्यक अध्यापक के लिये एक — एक कक्षा — कक्ष का मानक पूरा करने हेतु प्रभावी नांमाकन के अनुसार 40:1 मानक में 2002–2003 में कुल 3930 अतिरिक्त कक्षा — कक्षों की आवश्यकता है इस प्रकार वर्श 2002–03 में कुल 2025 अतिरिक्त कक्षा — कक्ष की आव यकता होगी ।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा — कक्षों की आवश्यकता

जनपद में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप छात्र नामाकंन में अत्याधिक वृद्धि हुई है। अतः अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आव यकता शि क्षकों के ही अनुरूप होगी।

उक्त तथ्य को दृश्टिगत रखते हुये प्राथमिक विद्यालय के लिए 1:3 की दर से 2781 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये1:5 की दर से 158 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आव यकता होगी । छात्र संख्या वृद्धि के फलस्वरूप 2007 तक वांछित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आव यकता का विवरण निम्न तालिका में प्रद िात है –

सारणी – 8.1

कमांक	वर्श	प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों की मांग	नवीन प्राथमिक वि०	योग
1	2002–2003			
2	2003–2004		45	2127
3	2004–2005	250	0	250
4	2005–2006	204	0	204
5	2006–2007	200	0	200
योग		654	45	2781

स्त्रोत – 2001 की जनगणना पर आधारित प्रक्षेपण

उक्त सारिणी में दश ाये गये वर्षवार निर्मित होने बाले अतिरिक्त कक्षा कक्षां को 33 प्रतिश त की सीलिंग को ध्यान में रखते हुये वार्शिक कार्ययोजना एंव बजट में परिर्वतन किया गया है ।

वर्श	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्रा० स्तर			250	204	200	0	0	0
उ० प्रा० स्तर	10	18	70	70	0	0	0	0

स्त्रोत वर्श 2001 की जनगणना पर आधारित प्रेक्षण ।

शौचालय :–

वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय श ौचालय युक्म करने के लिये 504 विद्यालयों एंव 68 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 572 भौचालयो की आव यकता है, जिन्हे योजना मे प्रस्तावित किया गया है जिनका निर्माण निम्न वर्शो में किया जाना प्रस्तावित है –

वर्श	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
संख्या	0	14	324	234

स्त्रोत वर्श 2001 की जनगणना पर आधारित प्रेक्षण ।

हैण्डपम्प :–

जनपद में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कुल 906 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था है, किन्तु 108 विद्यालय ऐसे हैं जहॉ पेय जल की व्यवस्था नही है जिसके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नही हो पाती है । अतः 108 हैंण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव किया गया है –

वर्श	2002-03	2003-04	2004-05
संख्या	0	70	38

स्त्रोत वर्श 2001 की जनगणना पर आधारित प्रेक्षण ।

भवनहीन जर्जर पुनर्निर्माण (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर)

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	प्राथमिक	वर्ष	उच्च प्राथमिक	वर्ष
1.	मोहम्दाबाद	12	1971 से पूर्व	02	1970 से पूर्व
2.	कायमगंज	02	"	--	"
3.	कमालगंज		"	3	"
4.	राजेपुर	--	"	2	"
5.	नवाबगंज	--	"	2	"
6.	शमशाबाद	-	"	5	"
7.	नगर क्षेत्र	6	"	--	"
	योग	20	"	14	"

जनपद में नगर क्षेत्र में 45 प्राथमिक किराये के भवनां में तथा 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों किराये के भवनों में संचालित है। जहां स्थान उपलब्ध नही है। अत: 20 जर्जर/भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों तथा 14 जर्जर भवनहीन विद्यालयों के प्रस्ताव दिये गये है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक भौक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किये जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा में जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शि क्षकें को विशय सामग्री बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शि क्षकों तथा बच्चों दोंनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेशण के अवसर मिल सकेगें। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्श 10–10 विद्यालयों को चयनित किया जाएगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान एक मु त 60,000/– रू0 व्यय किये जायेगें।

वर्शवार	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
कम्प्यूटर हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों का सं0	–	–	10	10	10	10	–	–	–

आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र :–

प्रभावी नामांकन के सापेक्ष 1:40 के अनुपात में वर्षवार आवश्यकतअध्यापकों का विवरण दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त अध्यापक/शिक्षा मित्रों के चयन में 50 प्रतिश त महिलाओं को चयन करने का प्राविधान प्रस्तावित है। वर्षवार अरिक्त अध्यापक/शिक्षा मित्रों की आव यकता का विवरण निम्न सारणी में अंकित है–

सारणी 8.2

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में

आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र

वर्श	नामांकन	आवश्यकतअध्यापक	आवश्यकतशिक्षा मित्र
2002–03	157217	365	364
2003–04	195692	458	
2004–2005	200524	049	507
2005–2006	204534	050	050
2006–2007	208625	051	051

स्त्रोत :– वर्श 2001 की जनगणना पर आधारित प्रक्षेपण।

विद्यालय की सुविधायें (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक)

सुन्दर व आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चे उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे विद्यालय में उनका धारण बढ़ता है। वर्तमान में जनपद में 972 प्राथमिक विद्यालय तथा 138 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके मरम्मत तथा रखरखाव हेतु रू0 5000/-प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा.वि. सं0	138	198	1130	1200	1200

विद्यालय विकास अनुदानः-

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक /डस्टर की व्यवस्था ,स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिये रू0 2000/- प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा रू0 4000/- प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु धनराशि की मांग की गयी है।

YEAR	2002.03			2003.04			2004.05			2005.06			2006.07		
	Par	*Add.*	*Total*	*Par*	*Add.*	*Total*	*Par*	*Add.*	*Total*	*Par*	*Add.*	*Total*	*Par*	*Add.*	*Total*
Primary School	0	0	0	30	0	30	972	0	972	970	0	972	972	0	972
Upper Primary	138	0	138	158	0	158	228	30	258	228	30	258	228	30	258

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वर्ष वार वितरणः-

अनुसूचित बालक तथा सभी वर्गों की बालिकायें

Sl.No.	Year	Primary School	Upper Primary		
			Parisadya	Added	Total
1	2002-03	0	12743	0	12743
2	2003-04	0	16837	0	16837
3	2004-05	0	17173	2840	20013
4	2005-06	126977	17517	3076	20593
5	2006-07	129516	17867	3290	21157

बालिका शिक्षा:-

उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है परन्तु शिक्षा के मामले में यह अनुपात दो तिहाई और एक तिहाई हो जाता है।

जैसा कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर 65.38 और महिलाओं की 43.49 है। जनपद फर्रुखाबाद में कुल साक्षरता 51.44 है इसमें पुरुष साक्षरता 60.11 और महिला साक्षरता 41.3 प्रतिशत है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर क्रमशः 37.5 और 55.25 है। अनुसूचित जाति में ग्रामीण महिला साक्षरता मात्र 19.02 प्रतिशत है। इस स्थिति को देखते हुए हमें बालिका शिक्षा के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे। जिससे कि हम बालिकाओं कि शिक्षादर बढ़ा सके और महिला साक्षरता को पुरुषों के बराबर लाते हुए पूरे जनपद को शतप्रतिशत साक्षर बना सके।

इसके अलावा बालिकाओं की शालात्याग की दर को शून्य तक लाना हमारा एक और लक्ष्य होगा।

सारणी-8.3

ब्लाक वार महिला साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम	कुलसाक्षरताप्रतिशत	अनु०जा०साक्षरता%
1	राजेपुर	42.3	24.3
2	शमशाबाद	48.4	20.02
3	कमालगंज	41.7	32.0
4	मोहम्मदाबाद	31.9	21.09
5	बढ़पुर	49.4	39.0
6	नवाबगंज	35.8	40.0
7	कायमगंज	53.7	31.9

श्रोत-जिला सांख्यिकी पत्रिका

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा की दशा सुधारने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता के कई कार्यक्रम यथा मीना अभियान, मां बेटी मेला, ग्रीष्म कालीन शिविर आदि के माध्यम से बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में बढ़ाया गया इस हेतु जनपद में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 15 आदर्श न्याय पंचायतों का चयन किया जा चुका है तथा वर्ष 2002-03 में 10 और न्याय पंचायतों को बालिका शिक्षा आदर्श बनाने का लक्ष्य है।

फोकस ग्रुप डिस्कशन के पश्चात बालिका शिक्षा में आने वाली बाधायें:

जनपद में जगह-जगह पर बैठकें आयोजित होने के उपरान्त बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में निम्न तथ्य मुख्य रूप से उभर कर आये।

1- कायमगंज एवं राजेपुर के दस्यु प्रभावित तथा शमसाबाद के कटरी क्षेत्र में बालिका शिक्षा का प्रभावी न होना।

2- महिला शिक्षकों की कमी।

3- विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना।

4- व्यवसाय में हाथ बटाना।

5- छोटे भाई बहनों की देख-भाल एवं घरेलू कार्यों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जा पाना।

6- शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना।

7- लिंग भेद।

8- क्षेत्र विशेष में शिक्षा की कमी।

9- जाति विशेष हेतु शिक्षा व्यवस्था।

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शतप्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनायी गयी है।

बालिका शिक्षा के लिए प्रस्तावित रणनीतियां:-

अ- सामान्य रणनीतियां-

1- सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना।

2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

3- महिला शिक्षकों का चयन।

4- अध्यापकों का प्रशिक्षण।

5- अनुसूचित/अल्प संख्यक समूहों हेतु योजना।

6- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण।

7- निः शुल्क पुस्तक वितरण।

8- कार्य अनुभव आधारित केन्द्रो का चयन।

9- एन0जी0ओ0 से सहायता।

10- अनुसंधान।

11- विशेष नामांकन अभियान।

12- नवीन विद्यालयों की स्थापना।

13- प्रत्येक विद्यालय मे शौचालय की व्यवस्था।

14- सामुदायिक गतिशीलता के कारण।

ब- क्षमता संवर्द्धन के कार्यक्रम:-

1- जिला संदर्भ समूहों,ब्लाक संदर्भ समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण।

2 प्राथमिक/ उच्चप्राथमिक शिक्षकों/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षित करना इसके लिए 'अनन्त' नामक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3- ग्राम शिक्षा समितियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संकल्प एवं पसार माड्यूल द्वारा दिया जाता है।

4- महिला प्रेरक दल/माता शिक्षक संघ /अभिभावक शिक्षक संघ को भी प्रशिक्षित करने की योजना है। इसमें इन्हें असीम एवं [illegible] [illegible] प्रशिक्षण माड्यूल द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स- सामुदायिक सहभागिता/ गतिशीलता के कार्यक्रम:-

1- बालिकाओं की शिक्षा दशा सुधारने हेतु आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा। इस चयन हेतु निम्न मापदण्ड है:-

- महिलाओं की कम साक्षरता दर ।

- बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव।
- अनुसूचित जाति /अल्प संख्यक जन समुदाय की अधिकता।
- न्यायपंचायत में 10-12 गांव।
- सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियां।

आयोजनात्मक क्रियायें: -

1- ब्लाक एवं संकुल समन्वयों सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास अधिगम द्वारा बांटा जायेगा।
2- कोर टीम का गठन उन सदस्यों से किया जायेगा जो कि गतिविधियों में सक्रिय हैं।
3- गांव के निरीक्षण के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों एवं मुख्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
4- गांव में बैठकों का आयोजन।
5- बालिकाओं की शिक्षा के लिये पी0आर0ए0 तथा परिवार सर्वेक्षण के लिये विशेष प्रशिक्षण।
6- घरों के सर्वेक्षण/ पी0आर0ए0 द्वारा एकत्रित आंकड़ों व ग्राम विकास की विशेष योजनाओं के आंकड़ों की तुलना।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम: -

सामुदायिक गतिशीलता के अन्तर्गत पूरे जनपद में लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु न्यायपंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन किया जायेगा इस टीम में न्याय पंचायत समन्वयक के अलावा जिला समन्वयक तथा न्यायपंचायत के सक्रिय युवा सदस्यों/ महिलाओं को शामिल किया जायेगा।

केन्द्र दल को स्थापित करने में निम्न बातों का ध्यान दिया जायेगा-

- जिन व्यक्तियों का समूह अधिगम से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना।
- इस टीम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के लोगों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना।
- प्रारम्भिक गति विधियों को पूर्ण करने के पश्चात न्यायपंचायत में बालिका शिक्षा के लिये समुदाय के सहयोग से निम्न लिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- चयनित न्यायपंचायतों में विशेष नामांकन अभियान चलाया जायेगा।

विशेष नामांकन अभियान: -

- ग्राम शिक्षा समितियों /महिला प्रेरक समूह/ अभिभावक शिक्षक संघ के गठन कराये जायेंगे एवं उनके बैठकें आयोजित किये जायेंगे।

मीना कैम्पेन: -

इसके माध्यम से गांव स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जायेगी तथा इन गोष्ठियों में मीना फिल्म का प्रदर्शन करते हुये माता-पिता तथा जन समूह को बालिकाओं की शिक्षा के लिय अभिप्रेरित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष गाइड क्लस्टर में प्राविधान किया गया है।

<u>माँ बेटी मेला :-</u>

न्याय पंचायत स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसका उद्दे
माताओं को उनकी बेटियों को स्कूल भेजने तथा कक्षा-8 तक की शिक्षा पूरी करने
प्रेरित करना।

<u>ग्राम शिक्षा समितियों/माता शिक्षक संघों/महिला प्रेरक समूहों</u> व <u>प्रशिक्षण</u>: बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, नामांकन, ठहराव, सम्प्राप्ति वृद्धि हे ग्राम शिक्षा समिति, मां०शि०सं०, म०प्रे०स० को संवेदनशील बनाना तथा विद्यालय एवं विद्याल से बाहर की गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान कि जायेगा। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय उ०प्र० द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूलों के प्रयोग किया जायेगा।

<u>सेवारत अध्यापक/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों</u> व <u>प्रशिक्षण</u>: -समस्त अध्यापकों, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० को बालिका शिक्षा के प्र संवेदनशील बनाने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा-कक्ष गतिविधि हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

- पद यात्रा, प्रभात फेरी
- नारा लेखन
- नुक्कड़ नाटक
- महिला संसद
- ठहराव परिक्रमा
- समुदाय के साथ अन्य प्रेरक गतिविधियां

<u>विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समस्याओं हेतु विशेष रणनीतियां:-</u>

विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान हेतु विशेष रणनीति तैयार की गयी है, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार समस्याओ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इन क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की दशा सुधारने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे जिसके लिये निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं-

<u>1-माडल क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच:</u> -विशेष क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान हेतु बालिका शिक्षा के लिये चयनित आदर्श न्यायपंचायतों के चयन में इन क्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना है जिससे कि समस्त ग्राम सभाओं में 6-14 वर्ष वर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ समुदाय मे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व तथा भागीदारी विकसित करने के लिये तथा बालिकाओं में आत्मविश्वास, आत्मछवि एवं नेतृत्व के गु विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रीष्म-कालीन शि, किशोरी संघ, कार्यानुभव आदि सम्मिलित हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में 15 आदर्श न्य पंचायतों का चयन किया जायेगा। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर भी कार्यक्रमों को आयोजित किया जायेगा तथा वर्ष 2009-10 तक सभी 87 न्यायपंचा आच्छादित करने का लक्ष्य है।

<u>ग्रीष्म कालीन शिविर:</u> -जनपद में ड्राप आउट बालिकाओं और पुनः विद्यालय आने हिचक रही है, को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाने एवं मुख्य धारा में जोड़ने के लि आदर्श न्यायपंचायतों एवं अन्य क्षेत्रों में भी बालिकाओं का चयन कर उन्हें दस दिवसी ग्रीष्म-कालीन शिविर में लाकर विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। इन शिविरों के माध

से बालिकाओं के अभिभावकों, ग्राम प्रधान एवं जनसमुदाय को बालिकाओं को विद्यालय लाने हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं उनसे सहयोग लिया जायेगा। इसके लिये सर्व शिक्षा में प्रत्येक वर्ष 40 ग्रीष्म कालीन शिविर चलाने हेतु प्रस्ताव किया गया है, परिस्थितियों के अनुसार शिविरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
एन0पी0आर0सी0	–	35	35	35	35

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :– विद्यालय दूर होने या लड़कियां बड़ी हो जाने के कारण अभिभावकों द्वारा विद्यालय भेजने से हिचकने के कारण इन क्षेत्रों में विशेष रूप से वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रस्ताव हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकओं के लिये कार्यानुभव (SUPW) :-

जनपद में चिन्हाकित की गयी बस्तियों में बालिकाओं में शाला त्याग की दर अधिक है। इसका कारण प्रायः इनके माँ बाप होते हैं। जो इन्हे पैत्रक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते हैं। ऐसी बालिकाओं हेतु जनपद में कुछ कार्यानुभव आधारित शिक्षा योजना को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत परम्परागत और गैर परम्परागत ट्रेडों जैसे कि रंगाई, बुनाई, कढ़ाई, खिलौने बनाना की शिक्षा देने के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां बनाने, कृषि पशुपालन आदि की शिक्षा दी जायेगी।

जनपद के कुछ क्षेत्रों में कढ़ाई ,बुनाई जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहते है तथा कुछ क्षेत्रों में छपाई का कार्य होता है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके लिये अनुदेश कों का चयन किया जायेगा जिन्हें मानक के अनुसार मानदेय दिया जायेगा और तैयार माल को बाजार में बेचने की व्यवस्था की जायेगी और उस धन को बालिकाओं के ऊपर ही खर्च करने की योजना है जिससे कीं बच्चियों का उत्साह वर्धन हो सके।

प्रारम्भ में इस योजना को आदश ' न्यायपंचायतों में उच्च प्राथमिक स्तर पर शुरू करने के उपरान्त आने वाले वर्षों में पूरे जनपद में इस योजना को लागू किया जायेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उ0पा0वि0	–	08	08	08	08

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरणः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लड़कियों एवं अनुसूचित जाति के बालकों को प्राथमिक स्तर पर निःश ुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने की योजना है। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी निःश ुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी वर्ग की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालकों को प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीतिः–

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षणः–

–माता शिक्षक संघ– ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्याालय हैं उस गांव की 10–12 सक्रिय माताओं और शि क्षकों का समूह का निर्माण कर उन्हे उनके कार्य दायित्व के प्रति संवेदनश ील बनाने हेतु प्रशि क्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षकसंघ विश ेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

–महिला प्रेरक दल– ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होगे वहाँ बालिकाओं विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने के लिये महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशि क्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्याकेन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अनश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर कुछ और अच्छा करने के लिये दवाब बनाने का प्रयास करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन:-

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होगें। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय में कम उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगा कर बच्चों को विद्यालय आने के लिये अभिभावक तथा बच्चों पर दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों तथा बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों को 'हरा, पीला तथा लाल' तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर नामांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा

- माह में 15 दिन या उससे अधिक की उपस्थिति-- हरा निशान
- माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति-- पीला निशान
- माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति -- लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगें।

सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन:-

शिक्षा सत्र के मध्य मे अभिभावको की बैठक मे छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय मे उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चो के अभिभवको को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त मे सत्रांन्त समारोह मे गाँव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चो तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके बच्चे विद्यालय मे नियमित आ रहे है। सत्रान्त समारोह मे अगले सत्र के लिये बच्चो का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी :-

अधिकतम शाला दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों की सूची तैयार किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविरो के माध्यम से पुनः विद्यालय मे लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :-

ऐसे गांव / ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकाये शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी, उनमे 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय मे दाखिल कराया जायेगा।

'बेटी हो स्कूल में' कला जत्था अभियान :-

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाये बीच मे विद्यालय न छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये बेटी हो स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा, जिसमे स्थानीय कलाकारो को प्रशिक्षित कर गाँव-गाँव मे नाटको की प्रस्तुतिया की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों मे चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शालात्याग दर अधिकतम है।

शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षको का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण

कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों /बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

वी0ई0सी0 जेन्डर सेन्सटाइजेसन :–

जनपद में संचालित डी0पी0ई0पी0–III के अन्तर्गत जनपद की समस्त 512 ग्रा0शि 0स0 को तीन दिवसीय प्रशि क्षण वर्ष 2000–2001 तथा 2001–02 में दिया गया तथा वर्ष 2001–02 में जनपद के समस्त प्राथमिक शिक्षकों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिक शिक्षा के प्रति ग्रामीण समाज का नजरिया बदलने तथा लिंग संवेदनशील बनाने हेतु जनपद की 512 ग्रा0शि0स0 तथा 104 नगर शिक्षा समितियों को जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
वी0ई0सी0			616	616	616

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरणः–

जनपद फर्रूखाबाद में 3–6 वयवर्ग के बच्चों के लिये बालवाड़ी, आँगनवाड़ी,ई.सी.सी.ई. तथा आई.सी.डी.सी.एस. केन्द्र चल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और इन्द्रियों के विकास के लिये शिक्षा दी जाती है इसके उद्देश्य इस प्रकार हैः–

1. छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी बालिकाओं को मुक्त कर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
2. 3–6 आयु वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
3. उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देखरेख के लियें माताओं को योग्य बनाना। 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का चयन एवं उन्हे आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाये प्रदान करना।

इन केन्द्रो मे पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच,सन्दर्भ सेवायें, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जायेगी, जबकि 3–6 वयवर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं बौद्धिक भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे।इसमें औपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण क कार्य किया जाता है। सामान्यतया इनमें 3–6 वर्ष के बच्चे, 7 माह से 3 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें और किशोरियां लाभान्वित होंती हैं। प्रत्येक ई.सी.सी.ई. केन्द्र पर 3–6 वयवर्ग के 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है।वर्तमान में जनपद फर्रूखाबाद में विकास खण्ड नवाबगंज में आंगनवाडी केन्द्र संचालित है जिसका विवरण निम्न सारणी में अंकित हैः–

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	आई.सी.डी.एस. केन्द्रों की संख्या(आंगनबाड़ी)	विकास खण्ड की 3–6 वयवर्ग के बच्चो की संख्या
1	नवाबगंज	70	2820

जनपद में 4 अन्य विकास खण्डों बढ़पुर,मोहम्मदाबाद,राजेपुर,श मसाबाद में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने हेतु बाल विकास विभाग द्वारा सर्वे तथा अन्य आवश्यक कर्यवाही चल रही है। इन केन्द्रों का अन्तिम रूप से संचालन शुरू होने के बाद आने वाले वर्षों में उक्त ब्लाकों में भी सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत ई.सी.सी.ई. केन्द्र खेले जाने का प्रस्ताव है। जिन ब्लाकों में बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं ऐसे ब्लाकों में एन0जी0ओ0 द्वारा ई. सी.सी.ई. केन्द्र संचालित कराने का प्रस्ताव है।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	1	1	1	1	1

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव पुस्तिका, सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डी0पी0ई0पी0-।।। के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय की सहभागिता निर्धारित करने के लिये स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा छात्रों के तीन अभिभावकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य को भी प्रतिनिधित्व सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों के अभिभावकों को भी सम्मिलित किया गया है। विद्यालय की भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, भवन निर्माण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इस गुरुत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये सामुदायिक सहभागिता की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक जनसमुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरुह कार्य होगा। अतः अभियान को मूर्त रूप देने के लिये सामुदायिक गतिशीलता को बनाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य है।

डी0पी0ई0पी0-।।। फर्रुखाबाद में डायट के नेतृत्व में 511 ग्राम शिक्षा समितियों को द्विवसीय प्रशिक्षण दो चक्रों में प्रदान किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु जिला संसाधन समूह एवं ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये गये और ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्यों को डायट स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तत्पश्चात् प्रशिक्षित बी0आर0जी0 के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिये ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये। जो निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे-

1-प्रतियोगितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।

2-कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

3- समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4-प्रतिभागिता, उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और समीक्षण।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता-

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयंसेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिये जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

विश्लेषण: -

वर्तमान में जनपद फर्रुखाबाद डी0पी0ई0पी0-।।। से आच्छादित है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम को बनाये रखने एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

परिवार सर्वेक्षण एवं माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी जिसमें बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं व कार्यक्रमों में सुधार के लिये एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इस कार्ययोजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गांव के शतप्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके।

स्कूल चलो अभियान:

माह जुलाई 2000 तथा जुलाई 2001 में जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के संरक्षण में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में ग्राम स्तर,ब्लाक स्तर तथा जनपद स्तर पर बच्चों की रैलियां निकाली गयी,पोस्टर,बैनर,नारे के द्वारा जन-सम्पर्क अभियान चलाये गये हैं।घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहिचान की गयी जो विद्यालय में नामांकित नहीं हुये हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य,राजस्व,ग्राम विकास,पंचायती राज इत्यादि को जोड़ा गया और बच्चों का नामांकन कराया गया । आवश्यकतानुसार आगामी वर्षों में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नामांकनवृद्धि की जायेगी।

वातावरण सृजन: -

सभी लक्ष्यगत बच्चे विद्यालय में नामांकित हों, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिये सभी विकास खण्डों में ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है।यह कार्यक्रम प्रथम 3 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सत्र में जुलाई से सितम्बर तक नामांकन हेतु जन-जागरण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। तत्पश्चात समुदाय का विद्यालयीय व्यवस्था से सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिये शिक्षक-अभिभावक तथा माता-अभिभावक एसोसियेशन,बाल सभा, कुमारी सभा, युवक्रीड़ नाटक तथा विद्यालयों एवं संकुल केन्द्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। वातावरण सृजन हेतु जनपद में निम्नांकित आवश्यक कदम उठाये जायेंगे-

1-जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों,विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों,मशाल जुलूस आदि का आयोजन किया जायेगा।

2-समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।

3-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु युवक्रीड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।

4-ग्राम के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवाकर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

5-पोस्टर, गीत, नारे, कहानियों तथा चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

6-बालिकाओं के शिक्षा के सम्बन्धित अन्ध विश्वासों, पूर्वाग्रहों आदि को दूर किया जायेगा।

7-बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है-यह अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।

8-सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि 'वह भी कर सकती है आपके सपने पूरे,आपके परिवार का नाम रोशन'।

9-विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

10-क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाल मेलों व प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो-वीडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा।

11-अन्तर्कक्षीय/अन्तर्विद्यालयीय प्रतियोगितायें आयोजित कराई जायेंगी।

12-स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चलाया जायेगा।

13-न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना तथा बालिकाओं के नामांकन के लिये विशेष अभियान, मीना फिल्म प्रदर्शन एवं वार्ता तथा सामूहिक पीटी प्रतियोगिता। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना।

14-अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/ राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन/ त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो/प्रतियोगिताओ द्वारा गांव के प्रतिभाशाली बच्चो का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार-समाचार-पत्र, सार्वजनिक स्थान पर नारे लेखन,सूक्तियां, विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

15-नारे व सूक्तियों का निर्माण, आकर्षक स्कूल भवन रख-रखाव सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं-लेखन, सुन्दर पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

16-छात्रों में गणवेश, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, नाखून काटना, स्वच्छ दांत, प्रतिदिन स्नान करना, बालों की स्वच्छता एवं विन्यास, जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगितायें आयोजित करायी जा सकेंगी।

ग्राम शिक्षा समिति/ नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण: -

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भलीभांति समझे और उनका निर्वहन करें। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी कराया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रोप्लानिंग,पी0आर0ए0 तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है-

1-मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण:

यह प्रशिक्षण जनपद स्तर पर डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड से चार-चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी0आर0सी0 समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होंगे। डायट में यह प्रशिक्षण 40 सन्दर्भदाता प्रति बैच के हिसाब से चलाया जायेगा।

नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड एक सन्दर्भदाता के रूप में 80 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण दो बैच में पूर्ण किया जायेगा। नगर क्षेत्र के लिये वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा।

2-सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण: -

यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी0आर0सी0 पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों एवं न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों को एक बैच में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3-ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण: -

इनका प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर होगा जो ब्लाक पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की देख-रेख में कराया जायेगा। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान, 3 अभिभावक सदस्य, विकलांग बच्चों के अभिभावक एवं 20 अन्य शिक्षा के प्रति उत्साही सदस्य जिनमें कम से कम 10 महिलाओं का प्रतिभाग करना आवश्यक है, ग्रा0शि0स0 के प्रशिक्षण की कार्यवाही उस विद्यालय के प्र0अ0/सचिव द्वारा की जायेगी।

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित ब्लाक समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

अन्तर्विभागीय समन्वयन: -

स्वास्थ्य विभाग: -ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना, जांच में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहां दवाइयां, ओ0आर0एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियां आदि आसानी से मिल सकें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जांच, टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाना।

महिला एवं बाल विकास विभाग: -

यदि आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं हैं तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर केन्द्र खुलवायेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकत्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवाये जायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फोलिक ऐसिड गोलियां दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग: -

विकलांग बच्चों की पहिचान का प्रमाण-पत्र बनवाये जायेंगे और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

श्रम विभाग: -

श्रम विभाग के सहयोग से 6-14 वय वर्ग के बाल मजदूरों की पहिचान करायी जायेगी तथा उन बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

जल विभाग: -

खराब हैंडपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैंडपम्प की व्यवस्था करायी जायेगी।

वन विभाग: -

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपड़ में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग: -

बच्चों को छात्रवृत्ति की समय से वितरण व्यवस्था कराई जायेगी।

आपूर्ति विभाग: -

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

महिला समाख्या: -

बालिकाओं के जागरूकता, सम्पत्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सहयोग लिया जायेगा।

समेकित शिक्षा (विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा)

अवधारणा :-

समेकित शिक्षा से तात्पर्य विकलांग या अक्षमताग्रस्त बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है ,जिसमे उनकी सीखने की प्रक्रिया मे कमसे कम बाधा उत्पन्न आये,वे कक्षा मे सामान्य बच्चो की भाँति सीख समझकर आगे बढ.सके तथा उनका समुचित विकास हो सके । क्योकि शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक पूर्ण नही किया जा सकता है जब तक कि
विभिन्न प्रकार की विकलांगता सक ग्रसित बच्चो को विद्यालय मे न लाया जा सके । बच्चो की विकलांगता का प्रभाव बच्चो की मनोदशा एवं व्यक्तित्व दोनो को प्रभावित करती है । विभिन्न प्रकार की अक्षमताओ से ग्रस्त बच्चे भी समाज के महत्वपूर्ण अंग है तथा देश व समाज के विकास कार्यो मे भी सामान्य लोगो का भाँति योगदान कर सकते है । अतः यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि शैक्षिक आवश्यकताओ की प्रतिपूर्ति के लिये उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाये । इस दृष्टि से उन्हे समाज के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कार्यो मे भाग लेने का अवसर एवं प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है , जिससे कि सामान्य बच्चो तथा अक्षमता ग्रस्त बच्चो के बीच स्वस्थ सम्बन्ध विकसित हो सके और उनके प्रति भेदभाव दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो जैसे सुनने मे कठिनाई, देखने की क्षीण शक्ति ,शरीर के ऊपरी भाग में विकलांगता के कारण लिखने में कठिनाई,मानसिक अक्षमता के कारण संबोधों को समझने में कठिनाई,किसी विषय विशेष को भलीभाँति समझाने में कठिनाई अनुभव करने वाले हो सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।समेकित शिक्षा में अल्प एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा की व्यवस्था सुलभ कराने का प्रावधान किया जायेगा।

जनपद फर्रुखाबाद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में कराये गये 'परिवार सर्वेक्षण एवं गाइकोप्लानिंग' के आधार पर विभिन्न प्रकार की विकलांगता से सम्बन्धित 1431 विकलांग बच्चों को चिन्हित किया गया जो कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

सर्वेक्षण (विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण) : -

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। के अन्तर्गत 'परिवार सर्वेक्षण एवं गाइकोप्लानिंग' के द्वारा विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया तथा चिन्हित बच्चों का मेडिकल ऐसिसमेण्ट कैम्प जनपद में स्थापित डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल के चिकित्सकों की सहायता से कराया गया। ऐसिसमेण्ट कैम्प में विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों को वर्गीकृत कर उपकरण/उपकरण उपलब्ध कराने के लिये जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को 281 विकलांग बच्चों की सूची दी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण गाइकोप्लानिंग के द्वारा किया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जायेगी और उन्हे विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित किया जाएगा, इसमें ग्राम शिक्षा समितियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी।

विकलांगता के प्रकारः–

विकलांगता/अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैः–

1. दृश्टि विकलांगता।
2. श्रवण विकलांगता।
3. अस्थि विकलांगता।
4. मानसिक मन्दता।
5. सीखने की अयोग्यता।

दृश्टि सम्बन्धी विकलांगता बच्चों को असेसमेन्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जायेगा, श्रवण एवं वाणी सम्बन्धी विकलांग बच्चों का असेसमेन्ट ई0एन0टी0 सर्जन या स्पीच थैरिपिस्ट एवं ऑडियोलाजिस्ट के द्वारा किया जायेगा। अस्थि विकलांग बच्चों का परीक्षण हड्डी रोग विशेषज्ञ के द्वारा तथा मानसिक मन्दता एवं सीखने की अयोग्यता का परीक्षण मनौवैज्ञानिक एवं शिक्षा विशेषज्ञ के द्वारा किया जायेगा।

विकलांगता के प्रकार पर आधारित बालक–बालिकाओं की सारणी 8.5 (हाउस होल्ड सर्वे 2003 के आधार पर) :–

क्रम संख्या	विकलांगता के प्रकार	बालक		बालिका		योग
		6-11	11-14	6-11	11-14	
1	छृश्टि सम्बन्धी	72	17	33	12	134
2	सुनने/बोलने सम्बन्धी	117	45	64	26	252
3	अस्थि सम्बन्धी	630	268	391	155	1444
4	मानसिक मन्दता	76	37	35	25	173
5	सीखने की अयोग्यता /अन्य	70	69	57	31	227
	योग	965	436	580	249	2230

कक्षावार विकलांगत बालक–बालिकाओं की सारणी 8.6 वर्ष 2003 :–

क्रम संख्या	कक्षा	बालक	बालिका	योग
1–	1-	442	266	708
2–	2-	364	197	561
3–	3-	211	120	331
4–	4-	150	78	228
5–	5-	113	57	170
	योग	1280	718	1998

स्रोत– जिला परियोजना कार्यालय

नोटः– 232 बच्चों की सं0 स्कूल न जाने वाले हैं इसी सत्र में इनका नामाकंन करा दिया जायेगा।

विश्लेषणः—

विश्लेशण से ये तथ्य उभरकर सामने आये हैं कि अधिकतर अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शि क्षित–प्रशि क्षित करने के लिये विश`श तकनीकी की आव यकता होती है। जबकि अल्प एवं मध्यम श्रेणी के विशंष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिये विश`श तकनीकी की आव यकता नहीं होती है। जैसे विशेष प्रकार की तकनीकी की आव यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जो गम्भीर , अति गम्भीर रूप से विकलांगता से ग्रसित हैं। भोश बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

बच्चों मं कुछ विकलांगताये/अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित हो जातीं हैं। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। जैसे बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति, देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रयक्षीकरण, बवधान, स्मृति विशयक समस्यायें। इसके कई कारण होते है, जैसे माता–पिता के स्नेह की कमी। बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के सामान अवसर न मिलना, शिश ु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षकका विश`श बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना। अक्षमता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी, क्षमता का हृास होना तथा समाज में अपेक्षित होने का भय बना रहता है।

आवश्यकतायें एवं कार्ययोजनाः—

1. **वातावरण सृजन कार्यशाला** – समेकित शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में एक दिवसीय कायशाला जन जागरण हेतु की गयी है। प्रत्येक वर्श इस प्रकार की कायशालाओं का आयोजन प्रत्येक विकास खण्डों में किया जायेगा।

2. **मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण** – जनपद फर्रूखाबाद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत 12 मास्टर ट्रेनर्स एवं 04 फाउन्डेश न कोर्स प्राप्त प्रशि क्षकों की टीम तैयार की जा चुकी है।

3. **अभिभावक परामर्श** – सभी विकास खण्डों में तिथियों का निर्धारण कर विकलांग बच्चों के अभिभावकों को परामर्श एवं मार्गदर्शन किया जायेगा।
4. **आई.सी.डी.एस. वर्कर का प्रशि क्षण** – समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आई.सी.डी. एस. वर्करों को प्रशि क्षण दिया जायेगा जिससे कि गभींर रूप से विकलांगता से ग्रसित बच्चों की मदद की जा सके।
5. **सपोर्ट सविसेज** – विकलांग बच्चों को वेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृश्टिकोण परिवर्तन का है। इस हेतु आई.सी.डी.एस. वर्कर एवं मास्टर ट्रेनर्स एवं फाउन्डेश न कोर्स प्राप्त प्रशिक्षकों की मदद से सपोर्ट सविसेज दी जायेगी।

6. **सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण** – शिक्षकों के संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हे विश`श आव यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जाएगा। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशि क्षण (एडवान्स स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन)रूहेलखण्ड वि वविद्यालय बरेली , (अमर ज्योति रिहेब्लीटेश न एण्ड रिसर्च सेन्टर)कड़कड़डूमा विकास मार्ग नई

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र एवं रिसर्च सोसाइटी , 13 लुकरगंज इलाहाबाद द्वारा आयोजित किया जा सकेता है।

जनपद फर्रूखाबाद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के लिए चयनित दो विकास खण्डों कमालगंज एवं बढ़पुर में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशि क्षण हो चुका है और प्राथमिक विद्यालय के सेवारत शि क्षकों का समेकित शिक्षा का प्रशि क्षण कराया जा रहा है।

शि क्षकों के प्रशि क्षण हेतु विकसित प्रशि क्ष ण माड्यूल एवं सामग्री में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जाएगा :–।

1– विकलांग बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
2– विकलांग बच्चो की भौक्षिक आव यकताओं को समझना।
3– विकलांग बच्चो के समूह के लिय विशेष शिक्षण रणनीति विकसित करना।
4– विकलांग बच्चो के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।
5– विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में प्रेमभाव एवं जागरूकता उत्पन्न करना।
6– कक्षाकक्ष प्रबन्धन एवं मूल्यांकन ।

7–समुदाय का संवेदीकरण :– इसके अन्तर्गत जनसमुदाय की भ्रान्तियों को दूर कर विश ेश आव यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिये दो जिला स्तरीय तथा दो विकास खण्ड स्तरीय कायशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें गठित लिजा सन्दर्भ समूह तथा अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों तथा शिक्षा समिति के सदस्यों को आमत्रित किया जाएगा।

सामूहिक जनसभा करके परिवार के सदस्यों एवं भाई–बहनों को सवेंदीकरण एवं मार्गददश न किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि विकलांगता अभिश ाप नहीं है , उन्हें दया नहीं बल्कि समान अवसर एवं संसाधन चाहिए , जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें ।

8–मेडिकल असिसमेन्ट कैम्प – विकलांग बच्चों को उपस्कर /उपकरणों की आव यकता होती है। इसके लिये जनपद स्तर पर गठित जिला सन्दर्भ समूह द्वारा विश ेश आव यकता वाले बच्चों का असिसमेन्ट किया जाएगा। जिला सन्दर्भ समूह में निम्नलिखित सदस्य होगें –

1. हड्डी रोग विशेषज्ञ ।
2. ई0एन0टी0 सर्जन।
3. नेत्र रोग विशेषज्ञ ।
4. मनोवैज्ञानिक।
5. विश ेश शिक्षा विशेषज्ञ ।

सारणी 8.7

मेडिकल असिसमेन्ट कैम्प का विवरण :–

वर्श 2001–2002 चिन्हित बच्चों का विवरण

क्रम सं0	वि0ख0 की सं0	आच्दा0 न्याय पंचायत	दृष्टि सम्बन्धी	श्रवण सम्बन्धी	भाारीरिक	मानसिक	बालक	बालिका	योग
1	4	36	44	53	498	85	432	248	680

स्त्रोत – जिला परियोजना कार्यालय फर्रूखाबाद ।

9— **जिला फाउण्डेशन कोर्स :-**
समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड से एक ए0बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एक एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का 45 दिन का प्रशि क्षण कराया जाएगा। जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड कमालगंज एवं बढ़पुर से एक-एक एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशि क्षण उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र एवं रिसर्च सोसाइटी इलाहाबाद द्वारा आयोजित किया जा चुका है।

10— **साहित्य मुद्रण** —विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकहस्तपुस्तिका एवं फोल्डर्स का मुद्रण कराया जाएगा। शिक्षकहस्तपुस्तिका के माध्यम से विकलांग बच्चों को पढ़ाने में अध्यापकों को सुगमता होगी। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत समेकित शिक्षा हेतु चयनित कमालगंज एवं बढ़पुर के लिये शिक्षकहस्तपुस्तिका एवं फोल्डर्स का मुद्रण कराया जा चुका है। जिसे प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है।

11— **समेकित खेलकूद** — विकलांग बच्चों को प्रेरित करने के लिए समय-समय पर विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर समेकित खेलकूद का आयोजन किया जाएगा।

12— **उपकरण संयन्त्रों का वितरण** — असिसमेन्ट कैम्प के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री क्या है एवं किस उपस्कर व उपकरण की आव यकता है ,तत्प चात् आव यकतानुसार उपस्कर/उपकरण की आपूर्ति कराई जाएगी। उपस्कर/उपकरण की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जाएगी इसके लिए निम्न संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा।

1. राश्ट्रीय द्रि ट एवं विकलांग संस्थान ,116 राजपूत रोड , देहरादून।
2. एलिम्को जी0टी0 रोड कानपुर।
3. अमर ज्योति रिहेब्लीटेश न एण्ड रिसर्च सेन्टर, कड़कड़डूमा विकास मार्ग नई दिल्ली।
4. मंगलम ए-455 ,इन्दिरा नगर लखनऊ ।
5. उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र , 13 लुकरगंज इलाहाबाद।
6. राश्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद आन्ध्र प्रदेश ।
7. अलीयावरजंग राश्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा ,मुम्बई।
8. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा कम्पाजिट फिटमेन्ट सेन्टर।

सारणी 8.8

वर्षवार 2002-03 में वितरित उपकरणें का विवरण

क्रम सं0	उपकरण	संख्या
1	ट्राइसाइकिल	39
2	कैलीपर	46
3	बैश ाखी	22
4	कान की मश ीन	04
5	च मे	06
6	भूज	03
योग	कुल उपकरण	125

13:— स्वैच्छिक सगठनों की सहायता :—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करले हेतु सहायता प्रदान की जाएगी तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किये जाएगें। इनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति , अभिभावक तथा शि क्षकों का संवेदीकरण विश ेश आव यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शि क्षकों का कौश ल विकसित करना , छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण , अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराना ,विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शि क्षकों की सहायता प्रदान करने में सहयोग लिया जाएगा।

स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रकिया तथा पारदश ी व्यवस्था स्थापित है। जिसके तहत जनपद के अनुभवी , ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं तथा संस्था विकलांग अधिनियम 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। इन प्रस्तावों का डेस्क टाप अप्रेजल, फील्ड अप्रेजल, किया जाता है। कुश ल एवं अनुभवी संगठनों का चयन कर उनके प्रस्तावों को राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेशित किया जाता है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा चयन की कार्यवाही की जाएगी।

14 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :—

छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर विकास खण्ड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों के द्वारा जाँच दल गठित कर प्रत्येक विद्यालय के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

— चिकित्सा दल सन्दर्भित बच्चों के स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के साथ मिलकर छात्रों की जाँच पर विचार विमश कर अन्तर्श्रेणी सहयोग के महत्व पर बल दिया जाएगा ।

— छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए तकनीकी कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेगें।

— आव यकतानुरूप विशेषज्ञ ों को बुलाकर स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण कराया जाएगा।

—चिकित्सा दल एवं विशेषज्ञ ों को जलपान/भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत का छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण निम्नलिखित सारणी में प्रदशि त है :—

सारणी 8.9

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

क्रम संख्या / वर्श	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण हुआ	प्रगति प्रतिश त	छात्रों की सं0 जिनको विद्यालय में उपचार दिया गया	गम्भीर	कम गम्भीर	साधारण
2000—01	154030	144448	93.8	15269	321	3109	3529
2001—02	151323	136953	90.5	417	139	107	153
2002—03	153997	128145	83.3	151	101	110	111

स्त्रोत — जिला परियोजना कार्यालय फर्रूखाबाद ।

15— सुझाव :—

— ग्राम शिक्षा समितियों को समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दो दिवसीय प्रशि क्षण प्रति वर्श दिया जाना चाहिए। जिसमें ग्राम प्रधान तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा गाँव के 15 प्रौढ़ एवं उत्साही व्यक्ति होने चाहिए , जिसमें कम से कम 10 महिलाऐं अव य होनी चाहिए । उक्त प्रशि क्षण प्रशि क्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाना चाहिए।

— विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यकम तैयार किया जाना चाहिए।

अध्याय - 9

शैक्षिक गुणवत्ता के लिये नियोजन

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं उसकी स्थिति मे बदलाव के लिये भारत सरकार की वित्तीय सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के 38 जिलो मे वर्ष 1999-2000से चल रहा है।इस योजना के क्रियान्वयन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1 -विभिन्न समुदायो ,क्षेत्रो,तथा लिंग ,जन्म,अधिगम सम्प्राप्ति को 5 प्रतिशत तक सीमित करना ।

2 -ड्राप आउट की दर को 10 प्रतिशत तक सीमित करना ।

3 -भाषा व गणित विषयो मे सभी समुदायो के बालको,बालिकाओं की अधिगम सम्प्राप्ति को न्यूनतम 40 प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये इन विषयो मे प्रथम बेस लाइन सर्वेक्षण से प्राप्त अधिगम सम्प्राप्ति मे 25 प्रतिशत की वृद्धि परियोजना अवधि मे सुनिश्चित करना ।

4 -मानक के अनुसार लक्ष्य समूह (6-11) वयवर्ग के बालक , बालिकाओं की औपचारिक विद्याओ से कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा निः शुल्क एवं गुणवत्तापूरक सुनिश्चित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने की दृष्टि से 5 वर्ष की योजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओ तथा संसाधनो का सृजन तथा सम्वर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमो का संचालन किया जा रहा है । जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेत्रत्व मे प्रशिक्षण ,अकादमिक पर्यवेक्षण,शिक्षको को कार्यस्थल पर सहयोग सर्गथन देने हेतु योजनाबद्ध कार्य किये जा रहे है।इस कार्य मे जनपद मे स्थापित सात बी0आर0सी0 समन्वयको ,14 सहायक बी0आर0सी0 समन्वयको तथा 87 न्याय पंचायत समन्वयको की महत्वपूर्ण भूमिका है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट मे संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास सम्भव है। शिक्षण प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ मे डायट की क्षमता सम्वर्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियो,ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियो तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और एक्शन रिसर्च के क्षेत्र मे भी डायट मे मानव संसाधनो की बेहतर व्यवस्था प्रस्तावित है।

1-शिक्षकों को सहयोग,समर्थन की व्यवस्था-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर मे सुधार तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति मे गुणात्मक विकास करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये तीन लक्ष्य निर्धारित किये गये है -

क -सार्वभौमिक नामांकन

ख -सार्वभौमिक धारण

ग -गुणात्मक सम्प्राप्ति

प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यो को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य मे डायट बी0आर0सी0 समन्वयको,सहायक बी0आर0सी0 समन्वयको तथा न्याय पंचायत समन्वयको की महत्व पूर्ण भूमिका है।

जनपद मे प्राथमिक शिक्षा मे गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डायट पर है। इस दिशा मे डायट द्वारा बी0आर0सी0 समन्वयको, न्याय पंचायत समन्वयको को उनके कर्तव्य एव उत्तरदायित्वो से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको को रोचारत शिक्षक प्रशिक्षण ब्लाक स्तरीय प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणो मे विषयो की नवीनतम विधियो,सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग ,विद्यार्थियो का सतत् एव व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आर्कषक एवं आदर्श बनाने हेतु प्रयासो का सैद्धान्तिक एवं

व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षकों द्वारा अपने अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार कक्षा शिक्षण हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डायट, बी0आर0सी0 समन्वयक तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा किया जाना है।

डायट द्वारा जनपद के प्रत्येक ब्लाक में शैक्षिक गतिविधियों को सम्पन्न एवं उनकी समीक्षा हेतु मेन्टर्स नियुक्त किये गये है जिनके द्वारा ब्लाक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना। प्रत्येक मेन्टर्स की ब्लाकों से सम्बन्धित आवश्यकताओं का समीक्षा एवं शैक्षिक सुधार हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण प्रत्येक माह में कोर ग्रुप की बैठक में डायट प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते है एवं उन्हे श्रेणीकरण के मानक बिन्दुओं के आधार पर श्रेणी प्रदान करते है। प्रत्येक माह बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों पर डायट की (अकादमिक संसाधन समूह) बैठक में कठिनाइयों के निराकरण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उनके शिक्षक ,आशासकीय हाईस्कूल,इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 तथा 9-10 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं ,कठिनाइयों के निराकरण,शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार तथा शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया है ।

2- स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (स्कूल पूर्व शिक्षा) की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद फर्रुखाबाद में 40 शिशु शिक्षा केन्द्रो का संचालन आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय से संचालित है। बच्चो में स्कूल रेडिनेस लाने एवं बालिकाओ का नामांकन तथा ठहराव बढाने हेतु शिशु शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु जनपद के दो विकास खण्डो में 15 केन्द्र डी0पी0ई0पी0 ।।। के अर्न्तगत खोले जा रहे है तथा उन केन्द्रो की अनुदेशिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परियोजना के आंगनवाडी केन्द्रो में से केन्द्रो का चयन कर उन्हे शिशु शिक्षा केन्द्रो के रुप में विकसित किया जायेगा । इन केन्द्रो की कार्यकत्रियो तथा सहायिकाओं / सहायिको को सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाना है । इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित एन0पी0आर0सी0 समन्वयको को भी प्रशिक्षित किया जायेगा। इन केन्द्रो तथा समीपस्थ विद्यालयो की समय सारणी में अनुरुपता लायी जायेगी ।

प्राथमिक शिक्षा परियोजना में केन्द्रो की कार्यकत्रियो तथा सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण,केन्द्रो के लिये खेल सामग्री ,उपकरण,शिक्षण सामग्री हेतु रुपया 5000/00 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रुपया 1500/00 प्रदान किया जायेगा । शिशु शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षण से खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा जायेगा जिससे निम्नलिखित लाभ होगें-

क - शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित,अनुशासित,आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेगें।

ख -इन केन्द्रो का सकारात्मक प्रभाव बालक बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर होगा, विशेषतः केन्द्रो को प्राथमिक विद्यालयो में स्थानान्तरित करने के बाद ।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

ग -केन्द्रों का समय बढाये जाने से बालिकाओं के नामांकन एवं स्कूल मे भागीदारी मे वृद्धि होगी ।

घ - प्राथमिक विद्यालयो मे इन केन्द्रो से आने वाले बच्चो के ठहराव मे भी वृद्धि होगी ।

अतः जनपद मे शिशु शिक्षा केन्द्रो को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल पूर्व शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है ।

ग्राम शिक्षा समितिः - प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी0पी0ई0पी0 योजना ।।। के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन मे स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिये स्कूलो के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है तथा इसमे महिलाओ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अभिभावको,स्वयं सेवी संस्थाओ के सदस्यो को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति मे विकलांग बच्चो के अभिभावको को भी सम्मिलित करने के निर्देश है। विद्यालय भवन की मरम्मत ,अनुरक्षण,विद्यालय की अन्य सविधाओं,भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षको के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है ।

डी0पी0ई0पी0 ।।। योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद मे डायट के नेतृत्व मे 511 ग्राम शिक्षा समितियो को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये है। ग्राम शिक्षा समितियो के प्रशिक्षण के लिये जिला सन्दर्भ समूह(डी0आर0जी0) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन किया गया है। ब्लाक संसाधन समूह मे नेहरू युवा केन्द्रो के स्वयं सेवको,शिक्षको, स्वयं सेवी संगठनो के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। बी0आर0जी0 सदस्यो को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम मे बी0आर0जी0 के सदस्यो मे ग्राम शिक्षा समितियो के लिये विकेन्द्रीत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे :-

1-प्रतिभागिता परक विशलेषण और समस्या का समाधान अभ्यास कार्य
2-कौशल निर्माण अभ्यास कार्य
3-समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण
4-प्रतिभागिता उपागम,रोल प्ले ,केस स्टडी,क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण

जनपद मे ग्राम शिक्षा समितियो को अधिक क्रियाशील बनाने,विद्यालय की गतिविधियो मे उनकी प्रतिभागिता को बढाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयो मे योगदान देने के लिये आयोजित इस प्रशिक्षण मे स्कूल मैपिंग तथा माइक्रो प्लानिंग अभ्यास भी किये गये है तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाये तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संकलित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जायेगा ।

विद्यालय स्तर पर नियोजन,स्कूल न आने वाले बच्चो की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन व विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियो के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति-संकल्प एवं प्रयास' नामक मार्गदर्शक तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है,जिसमे सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित है। ग्राम शिक्षा समितियो के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों मे समुदाय की भागीदारी बढ़ी

है,स्कूल के क्रियाकलापो का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण मे सुविधा हुई है तथा स्कूल न आ पाने वाले बच्चो खासकर बालिकाओ के नामांकन मे लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहाँ बच्चो की शिक्षा मे परिवार के सहयोग का प्रश्न है,स्थिति संतोषप्रद नही ग्रामीण क्षेत्र मे अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीवकोपार्जन कार्य मे लगे रहते है। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चो को सशैक्षिक वातावरण नही पाते है तथा विद्यालय मे शिक्षको द्वारा दिये गृहकार्य मे बच्चो का सहयोग नही दे पाते है।

शिक्षकों की स्थिति एवं मुद्दे :-

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर मे वृद्धि करने और कक्षा प्रक्रिया मे बदलाव लाने मे शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ के नेतृत्व मे डी०पी०ई०पी०-।।। के अन्तर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने,उनके विषयवस्तु ज्ञान मे अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल मे अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। डी०पी०ई०पी० योजना के 'एस०ओ०पी०टी०'कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाईया अनुभव की गई,वे इस प्रकार है।

-प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षको की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुडी हुई न होकर सभी शिक्षको ,चाहे वे किसी भी स्तर के हो,के लिये एक समान थी तथा कक्षा वास्तविकताओ और प्रक्रियाओ से जुड़ने मे कठिनाई है।

-प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका,वरन सीमित संख्या शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान करना है।

-प्रशिक्षण के उपरान्त फालो-अप खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।

इन अनुभवों के आधार पर डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।ये प्रशिक्षण सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों,नवनियुक्त शिक्षकों सेवारत शिक्षामित्रों के लिये आयोजित किये जायेंगे। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा सक्षम व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

डी०पी०ई०पी०-।।। में दिये गये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का विवरण:-

डी०पी०ई०पी०-।।। के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक- प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं कौशल का विकास करने हेतु प्रस्तावित है। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बालक के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षा दे सकें,जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी,रुचि पूर्ण व बाल केन्द्रित हो शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जा रही है।

शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। डी०पी०ई०पी-।।। के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणों के प्रथम व आयोजित किया जा चुका है।प्रशिक्षण विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित-

सारिणी-9.1

आठ दिवसीय ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण

क्रमसं0	ब्लाक कानाम	प्रशिक्षित अध्यापक			प्रशिक्षित शिक्षामित्र			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	महायोग
1	बढ़पुर	191	129	220	05	05	10	280
2	राजेपुर	242	87	329	14	10	24	353
3	कमालगंज	267	169	436	10	9	19	455
4	मोहम्मदाबाद	362	105	467	05	11	16	483
5	नवाबगंज	210	37	247	03	09	12	259
6	शमशाबाद	259	94	353	08	08	16	369
7	कायमगंज	233	46	279	17	09	26	305
8	ब0क्षे0	62	117	179	--	--	--	179
9	राजकीयस्कूल	05	03	08	--	--	--	08
	योग-	1731	787	2518	62	61	123	2641

श्रोत-जिला परियोजना कार्यालय,फर्रुखाबाद।

इस सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण में जनपद के राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों एवं आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ-साथ समस्त बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

<u>प्रथम चक्रः -</u>

प्रथम चक्र में प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें । इस प्रशिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हैं-

1-शिक्षण-अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।

2-विद्यालय को आनन्दमयी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सकें।

3-स्कूली शिक्षा की तैयारी।नेतृत्व प्रशिक्षण,बहु कक्षा शिक्षण की विधियां तथा रणनीति।

4-विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना ।

5-स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तरीय समस्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों,शिक्षामित्रों के लिये आठ दिवसीय था।

प्रथम चक्र में योधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना।शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रुचिकर बनाना,बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना।स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है।

प्रशिक्षण के दूसरे,तीसरे और चौथे चक्र में क्रमशः अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जायेगा।भाषा की प्रमुख दक्षताओं सुनना,बोलना,पढ़ना,लिखना आदि के विकास की उचित विधियों की जानकारी दी जायेगी। भाषाओं की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण रोचक कहानियों एवं बालकविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा-1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जायेगा।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

__द्वितीय चक्र__ :- इस प्रशिक्षण मे निम्न बिन्दुओं पर बल दिया जायेगा ।

1- पर्यावरण मे पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओ से छात्र/छात्राओं को परिचित कराना ।
2- प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझाना ।
3- पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना ।
4- सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना ।
5- सामाजिक कुरीतियो के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिये प्रोत्साहित करना।
6- छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल ।
7- स्वयं सीखने पर बल ।
8- कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल।
9- स्थानीय संसाधनो से शिक्षण मे सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग ।
10- विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यो को प्रयोग द्वारा करके समझाने पर बल ।

__प्रशिक्षण के संचालन की व्यवस्था एवं अनुश्रवण__ :- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद मे 7 बी0आर0सी0 तथा 87 एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई है। बी0आर0सी0 स्तर पर एक ब्लाक समन्वयक तथा दो सह- समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन व पदस्थापन किया गया है,जो कार्यरत शिक्षको द्वारा भरे गये है। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है :-

1- बीआर0सी0 के कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आधारभूत 7 दिवसीय प्रशिक्षण जो 'समर्थन' माड्यूल आधारित था ।
2- अकादमिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण ।
3- ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर किये गये ।

बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 समन्वयको,सह-समन्वयको को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध मे 5 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ मे 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयको द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण,आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण,विद्यालयो का एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा उनके भौतिक-अकादमिक पक्षो के आधार पर श्रेणीकरण करना,एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठको मे शिक्षको की समस्यायों के समाधान,शिक्षण सामग्री मेलो का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जायेगे ।

__समन्वयको की भूमिका__ :- बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा वर्तमान मे निम्न लिखित कार्य किये जा रहे है ।

1- बी0आर0सी0 सन्दर्भ केन्द्र के रूप मे विकसित किया जायेगा,जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करेंगे ।

+ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन,आयोजन तथा फालोअप
+ विद्यालय भ्रमण,मासिक बैठको का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन व फीडबैक देना
+ वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करना ।
+ शिशु शिक्षा केन्द्रो तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का अनुश्रवण करना ।
+ एन0 पी0 आर0 सी0 स्तरीय क्रियाकलापो का पर्यवेक्षण करना।
+ ई0 एम0आई0 एस0 के आंकडो का संकलन ।
+ डायट के मार्गदर्शन मे विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमो, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण वातावरण सृजन आदि कार्यो का आयोजन करना है ।

एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों की भूमिकाः -

संकुल स्तर पर, शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन0पी0 आर0 सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना ,सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना ,शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते है ।

1- शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।

2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण करना तथा पर्यवेक्षण करना।

3- स्कूल चलो अभियान,बालगणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन

4-ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना

5- बी0 आर0 सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान

6- कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना

टी0एल0एम0 तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा, जिसका उद्देश्य बच्चों की भाषा अध्ययन में रुचि जाग्रत करना तथा उनकी मानसिक क्षमता का विकास करना है। इसके संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागिता पूरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है, तत्पश्चात इन पुस्तकों का वितरण प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा। इसके साथ-साथ रोचारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित प्रयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया जायेगा।

एक्सन रिसर्च-

शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र मानकर एक्सन रिसर्च का कार्य प्रस्तावित है। इसके लिये जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर क्षमता विकास हेतु जिला शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्गियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित कराया जाता है। एक्सन रिसर्च से प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा, कक्षा की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया जायेगा।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव-

-प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु पुनः प्राथमिक कक्षाओं की भाषा,गणित,अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षक सामग्री का निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण, अध्यापकों के क्रियाकलापों में प्रस्तावित हैं। बाल केन्द्रित शिक्षण पर अध्यापकों द्वारा विशेष बल दिया जायेगा तथा समूह आधारित गतिविधियों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में समय का अधिक लगना स्वाभाविक है। अतः पाठ्य क्रम को पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं, पाठ्य योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं यह तथ्य कक्षा अवलोकन के समय सामने आये हैं। उक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास जारी हैं।

शैक्षिक योग्यता-

जनपद में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति निम्नवत है-

सारिणी-9.2

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

क्रम सं0	शैक्षिक योग्यता	प्रा0 स्तर के शिक्षक	उच्चप्रा0स्तर के शिक्षक
1-	शिक्षकों की कुल संख्या	2523	592
2-	हाईस्कूलसेकमयोग्यताधारी शिक्षक	10	-
3-	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	342	11
4-	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	10	-
5-	स्नातक अप्रशिक्षित	5	-
6-	(क) विज्ञान शिक्षक	-	122
	(ख) संस्कृत शिक्षक/उर्दू शिक्षक	245	145
7-	परास्नातक अप्रशिक्षित	-	-
8-.	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1155	151
9-	स्नातक एवं प्रशिक्षित	592	58
10	परस्नातक	164	105

स्रोतः कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा प्रशिक्षित (बी0टी0सी0 अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 24.61 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाईस्कूल/इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या नगण्य है, जबकि इण्टर प्रशिक्षित 25.50 प्रतिशत, स्नातक प्रशिक्षित 9.79 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 17.73 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत हैं। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी. प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है, जबकि आंकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 55.57 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इण्टर मीडिएट प्रशिक्षित हैं या इससे कम योग्यताधारी हैं। अस्तु इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव-

जनपद में शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्नवत है-

सारिणी-9.3

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव

क्रम सं0	शिक्षण अनुभव	प्रा0 वि0 में	उच्च प्रा0 विद्यालय
1-	पांच वर्ष से कम	759	245
2-	पांच वर्ष से दस वर्ष तक	281	39
3-	दस वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक	257	37
4-	पन्द्रह वर्ष से बीस वर्ष तक	289	59
5-	बीस वर्ष से 25 वर्ष तक	261	48
6-	पचीस वर्ष से तीस वर्ष तक	321	57
7-	तीस वर्ष से अधिक	355	107

स्रोत- कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।

उपर्युक्त सारणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि जो अध्यापक बीस वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करते है। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

<u>शिक्षकों का पद स्थापन:</u>

जनपद फर्रूखाबाद में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं। निम्नलिखित सारणी में जनपद के परिषदीय शिक्षकों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति दर्शायी गयी है-

सारिणी-१.४

शिक्षकों की विद्यालयवार स्थिति

एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या	दो शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या	तीन शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या	चार शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या	पांच शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या	पांच से अधिक शिक्षक युक्त विद्यालयों की सं०
1-प्रा0 वि0-96	405	215	102	54	55
2-उच्च प्रा0वि0-15	14	31	28	25	25

स्रोतः कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी,फर्रूखाबाद

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 10.58 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग 44.65 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या अधिक है जहां प्रत्येक कक्षा के लिये एक-एक शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन,कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

<u>प्रोत्साहन योजनायें-</u>

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिये सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष आयु तक के समस्त बच्चों को निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित के बालकों तथा सभी बालिकाओं को वर्ष 2000-2001 में निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी थीं। वर्ष 2001-2002 में समस्त बालक-बालिकाओं को निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं। जिसके फलस्वरूप छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिये पोषाहार योजना चलायी गयी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला है।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः पन्द्रह हजार एवं दस हजार के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये हैं, जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में भी नई चेतना जाग्रत होगी।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का मानसिक स्तर-

बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिये कक्षा दो एवं कक्षा पांच के बच्चों का भाषा
गणित में परीक्षण किया गया। जनपद में एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा वर्ष 2000 में किये गये
की शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर स्थिति इस प्रकार है-

सारिणी-9.5

कक्षा- 2 एवं कक्षा- 5 में भाषा एवं गणित की मध्यमान उपलब्धि

क्रम संख्या	कक्षायें	भाषा		गणित	
		M	SD	M	SD
1-	कक्षा-2	62.17	23.32	66.96	23.74
2-	कक्षा-5	43.29	13.54	31.67	12.62

स्रोतः बेसलाइन सर्वे वर्ष 1999-2000

उपरोक्त सारणी में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा-2 एवं कक्षा-5 में मध्यमान उपलब्धि
मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा -2 भाषा में औसत उपलब्धि 62.17 प्रतिशत तथा मान
विचलन 23.32 है। जबकि कक्षा-2 गणित में औसत उपलब्धि 66.96 प्रतिशत एवं मानक विचल
23.74 है। सारणी यह दर्शाती है कि कक्षा-5 भाषा में औसत उपलब्धि 43.29 प्रतिशत है जबो
मानक विचलन मात्र 13.54 है, इसी प्रकार कक्षा-5 गणित में मध्यमान 31.67 प्रतिशत
मानक विचलन 12.62 है। कक्षा-5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन
कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारिणी-9.6

कक्षा-2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि-

क्रम संख्या	कक्षायें	बालक		बालिका	
		M	SD	M	SD
1-	भाषा	12.92	4.65	11.95	4.63
2-	गणित	14.15	4.42	12.65	4.94

स्रोत- बेस लाइन सर्वे 1999-2000

उक्त सारणी यह दर्शाती है कि कक्षा-2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 12.92 प्रतिशत
जबकि गणित में यह उपलब्धि 11.95 प्रतिशत है।

कक्षा-2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समान
पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 14.15 प्रतिशत तथा गणित में 12.65 प्रतिश
है।

सारिणीः- 9.7

कक्षा-5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

क्रम संख्या	कक्षायें	बालक		बालिका	
		M	SD	M	SD
1-	भाषा	31.43	10.37	29.09	8.27
2-	गणित	13.10	4.95	12.20	5.12

स्रोतः बेस लाइन सर्वे 1999-2000

उक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि कक्षा-5 भाषा में औसत उपलब्धि 31.43 प्रतिशत तथा गणित में 13.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 29.09 प्रतिशत तथा गणित में 12.20 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारिणी:-9.8

कक्षा -2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

क्रम संख्या	कक्षायें	SC/ST		अन्य	
		M	SD	M	SD
1-	भाषा	11.93	4.73	12.56	14.46
2-	गणित	12.21	5.16	14.45	4.23

स्रोत: बेस लाइन सर्वे 1999-2000

उक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि कक्षा-2 भाषा में अनुसूचित <u>जाति/जनजाति</u> के छात्रों की औसत उपलब्धि 11.93 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में 12.56 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा-2 गणित में अनुसूचित <u>जाति/जनजाति</u> बालकों की औसत उपलब्धि 12.21 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.16 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 14.45 एवं मानक विचलन 4.23 है।

सारिणी- 9.9

कक्षा-5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

क्रम संख्या	कक्षायें	SC/ST		अन्य	
		M	SD	M	SD
1-	भाषा	28.52	8.33	33.81	11.11
2-	गणित	12.40	5.18	13.24	5.10

स्रोत: बेस लाइन सर्वे 1999-2000

उक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित <u>जाति/जनजाति</u> के बालकों की कक्षा-5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित <u>जाति/जनजाति</u> के बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 28.52 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 33.81 प्रतिशत है। कक्षा-5 गणित में अनुसूचित <u>जाति/जनजाति</u> के बालकों की औसत उपलब्धि 12.40 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 13.24 प्रतिशत है।

<u>सामान्य निष्कर्ष-</u> बेस लाइन सर्वे से यह पता चलता है कि उक्त दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा एवं गणित के मध्यमानों का प्रतिशत लगभग समान है। चूंकि भाषा और गणित प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, इन दोनों में बच्चों ने लगभग समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के आधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है तथा बालिकाओं की संख्या एवं शिक्षा के स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा तथा गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है।

क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी,एस.सी.ई.आर.टी. (2000) के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं-

1-सेवा पूर्व एवं सेवारत दोनों प्रकार प्रशिक्षणों में कक्षा कक्ष प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिए।

2-शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही पर्याप्त नही है बल्कि शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक एवं आधुनिक सूचना तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिए।
3-प्राथमिक स्तर शिक्षकों को बी.आर.सी. स्तर पर सूचना तकनीक के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4-सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की डिजाइनिंग के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाये जाने के लिये निर्धारित विधियों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहिए।
5-कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये शिक्षकों को बी.आर.सी स्तर पर छह से दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक हैं।
6- शिक्षकों एवं बच्चों को सक्रियता प्रदान करने के उद्देश्य से डायट,एन.जी.ओ. और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षक सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास किया जाना चाहिए।
7-विद्यालयों में सामाजिक रूप से अपवंचित एवं अकादमिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की देखभाल के लिये बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।
8-शिक्षकों एवं बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।
9-विद्यालयों के अकादमिक, सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिये विद्यालयों का श्रेणीकरण निरन्तर जारी रखना चाहिए। इसके लिये डायट स्तर पर विस्तृत योजना निर्माण की आवश्यकता है।
10- शिक्षण में प्रयोग हेतु सहायक सामग्री निर्माण एवं अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के देने के लिये एन.पी.आर.सी. तथा बी.ईसी. स्तर पर उचित मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों/अन्य अधिकारियों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियो मे बच्चे है और बाल श्रमिक भी है बाल श्रमिको का जीवन गरीबी के शिकंजो से जकड़ा रहता है। जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते है,क्योकि इनके पास आय के श्रोत नही होते है। अभावग्रस्त मे भी माता पिता अपने बच्चो को पढाना चाहते है और विद्यालय मे प्रवेश कराते है, किन्तु परिस्थिति वश घर के काम मे अथवा बाहर के काम मे बच्चो को लगा देते है।
जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है।शहरी मलिन बस्तियो मे रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिये कूड़े कचरे से पालिथिन बटोर कर विक्रय कार्य मे लगे रहते है। जनपद मे कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ बच्चे कठिन परिस्थितियो मे बाल श्रमिक के रूप मे काम करते है।बीड़ी उत्पादन तथा आलू की खेती मे लगे हुये बच्चों के लिये शिक्षा का व्यवस्था करनी है। बाल श्रमिको तथा मलिन बस्तियों मे रहने वाले ऐसे बच्चो को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन हैं । अतः इन बच्चो के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है । ये बच्चे प्रा0 विद्यालय की निर्धारित समय सारणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने मे असमर्थ रहते हैं,और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा मे प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते है, अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 मे बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा मे कराना ही उपयुक्त होगा।बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों मे रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की

आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चो को जीवनोपयोगी कौशलो और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा ।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डो मे निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षको की अकादमिक समस्याये ज्ञात हुई-

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नही होते है। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने मे विश्वास करते है। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव मे बच्चो को सही शिक्षा नहीं दे पाते है। अध्यापको का कहना है कि नई विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नही किया जा सकता । उक्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयो मे न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नही कर पाते हैं।

<u>एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण</u> :-

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद फर्रूखाबाद मे 6-14 वयवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था मे गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा । कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है-

1- 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चो को स्कूल ई0जी0एस0 केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो मे लाया जायेगा।

2- सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करे,यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3- सभी बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करे ,यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा ।

4- गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलो पर बल देती हो प्रदान की जायेगी ।

5- प्राथमिक स्तर पर बालक - बालिकाओं ,समुदायो एवं समूहो के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा ।

6- लक्ष्य समूह (6-14) के सभी बच्चो का स्कूल मे ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

इन लक्ष्यो की प्राप्ति मे शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिये जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा ,जिसमे जनपद विकास खण्ड न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों का भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओ का आयोजन किया जायेगा । सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के कार्मियों,विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मिओं के लिये डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशालायें आयोजित की जायेगी , जिनमे मुख्यतः सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यो,बच्चो की वर्तमान स्थिति तथा उसमे बदलाव के लक्ष्यों,शिक्षको,विद्यालयो तथा कक्षा-कक्षो की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमे बदलाव के लक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेगी । इन कार्यशालाओ का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियो मे परिवर्तन के लक्ष्यो के प्रति समान

विचार-अवधारणा बन सके । शिक्षको के लिये भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन ब्लाक पंचायत स्तर पर किया जायेगा ।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल मे अभिवृद्धि ,उनके विषय आदि को बढ़ाने के लिये शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप मे संचालित किया जायेगा । शिक्षक प्रशिक्षणों को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 स्तर पर 6-8 दिवसो की अवधि के लिये तथा इसके अनुक्रम मे लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें बी0आर0सी0 और मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेगे । प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षको के लिये नियमित आधार पर अभिमुखीकरण मे सहायक सिद्ध होगी ।

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभवो वर्तमान मे अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा,बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी , वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना,प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक मे ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण :-

जनपद फर्रुखाबाद मे डी0पी0ई0पी0 का तृतीय चरण आरम्भ है और यह योजना वर्ष 2004-05 तक जारी रहेगी । वर्ष 2005 -06 से सर्वशिक्षा के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयो के शिक्षको को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण देने की योजना है। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रथम वर्ष पाठ्य पुस्तको पर केन्द्रित ब्लाक स्तरीय 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक अध्यापक,प्रधानाध्यापकों,शिक्षा मित्रों तथा जनपद मे स्थापित 3 राजकीय आदर्श स्कूलो के शिक्षको को प्रशिक्षण दिया जा चुका है,जिनका विवरण इस प्रकार है :-

1- विजनिंग कार्यशालाये 3 दिवसीय एन0पी0आर0सी0 स्तर की डायट मे।

2- शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशला 3 दिवसीय डायट मे।

3- इसके अतिरिक्त अन्य कार्यशालाये भी प्रस्तावित है।

प्रथम वर्ष के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रू-645/ की दर से व्यय अनुमानित है,अतः सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मे कुल व्यय लगभग रू-18लाख हो चुका है,इस प्रकार प्रति वर्ष 2005 तक प्रशिक्षणो का आयोजन होगा । उच्च प्राथमिक विद्यालयो का प्रशिक्षण वर्ष 2002-03 से ही सर्वशिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष मे इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तारतम्य मे लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाये आयोजित की जायेगी,जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1- बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा,जिसमे मुख्यतः शिक्षण विधियो , प्रथम के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवो के आधार पर सामग्री निर्माण,समय तथा सामग्री प्रबन्धन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे,जो वर्षके 7 महीनों आयोजित होगे तथा इनमे बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान मे रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा का उपयोग किया जायेगा।

3- वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिये शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष मे आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू-70/प्रति दिन की दर से अनुमानतः रू-71.33 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य मे बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेगी,जिनका विवरण इस प्रकार हैः -

1- बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने,सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2- बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3- बी0आर0सी0 स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आईटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4- प्रशिक्षणों के फालोअप के लिये एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें 5 माह मे आयोजित की जायेगी, जिनका एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष मे आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू-70/की दर से अनुमानतः रू-72.10 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष मे शिक्षण अधिगम प्रकिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य मे बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालायें भी आयोजित की जायेगी,जिनका विवरण इस प्रकार हैः -

1- प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाये वर्ष के 7 महीनो मे आयोजित की जायेगी,जिनका एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अध्यन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाये आयोजित की जायेगी,जिसमे न्याय पंचायत मे स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमन्त्रित किया जायेगा।

3- न्याय पंचायत स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4- कक्षा शिक्षण मे दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग संबन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू-70/ की दर से अनुमानतः रू-75.12 लाख प्रस्तावित है।

पांचवे वर्ष मे प्राथमिक शिक्षको के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नधोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा,जिसमे अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणो की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवो और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू-70/ की दर से अनुमानतः रू-77.07 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षको के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणो के अतिरिक्त शिक्षको के लिये अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे,जिनका विवरण इस प्रकार हैः -

1- प्रत्येक विद्यालय से एक-एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तको के कक्षा मे उपयोग तथा सामग्री निर्माण के सम्बन्ध मे होगा।

2- जिन प्राथमिक विद्यालयों मे उर्दू भाषा-भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं,ऐसे शिक्षकों के लिये उर्दू विषय शिक्षण के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3- जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडियेट अथवा उससे कम है,उनके लिये विषय वस्तु आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4- जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15-20 वर्षों से अधिक है उनके लिये नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5- नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिये 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा,जिसमे प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापकों -अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6- जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेगें उनके लिये तथा अन्य प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के लिए भी एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जो मुख्यतः नेतृत्व,समय-प्रबन्धन,विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव,स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण: -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक,प्रधानाध्यापक,हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा6-8 के शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेगें। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्य वस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गयी है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेगें।

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषयवस्तु,शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो आठ दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठो की प्रस्तुति,पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय-वस्तु,शिक्षण विधियों सामग्री निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसी अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर

प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय-वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा यह 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोंअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी जो वर्ष के 06 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्यन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिये हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदापन किया जायेगा जो आठ दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुत की जायेगी। इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोंअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 06 माह में सुनिश्चित की जायेगी, जिनका पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी शिक्षकों के अभिमुखी करण के उपरान्त इस तारतम्य में 'टेस्ट आइटम' बनाने हेतु दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालायें क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

पांचवे वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषयवस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिये कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है: -

1- कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण: -

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधार भूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये एक माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल्स का विकास डायट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार

प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्ध शिक्षण प्रदान करेंगे। पायलेट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्ता की कार्यवाही आगामी वर्ष से की जायेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1- शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षण:-

जनपद के 147 शिक्षा मित्रों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिये 30 दिवसी आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य के लिये 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2- वैकल्पिक शिक्षा:-

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 50 है। इन केन्द्रों के अनुदेशक के लिये आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा इसके अतिरिक्त दस दिवसीय रिफ्रेसर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यू का विकास डायट द्वारा तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 के समन्वयकों द्वारा किया जायेग तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर प आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया जायेगा।

3-ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की दृष्टि से ----- शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओ के लिये सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसि प्रशिक्षण मॉडियूल का उपयोग किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यत्रियों के प्रशिक्षणों हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजन कार्यालय द्वारा मॉडियूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉडियूल को अनुभू आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद तथा रा परियोजना कार्यालय लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार आधारशिला (भाग-1 व 11) प्रशिक्ष मॉडियूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित कि जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं- स्कूल रेडीनेस, बच्चों की देखभाल प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का सम्वेदीकरण, 3-6 वय वर्ग के बच्चों संज्ञात्मक, शारीरिक विकास, भाषायी कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक सम्वेदात्मक अ सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय और इसका चालीस प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के प्रयास में लगाया जाता तथा इसके अतिरिक्त पांच केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉडियूल सामग्री तीन-चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4- बी0आर0सी/एन0पी0आर0सी समन्वयकों का प्रशिक्षण-

डी0पी0ई0पी0-।।। के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के सहयोग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया चुका है। सर्व शिक्षा अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इण्टर कालेज, सहायत प्राप्त यूनियर हाईस्कूलों के 6-8 के शिक्षकों को भी आकदमिक सहयोग प्रदान किया जायेगा

बी0आर0सी/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके दायित्व एवं कार्य सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी0आर0सी,एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा मित्र तथा वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, ई0सी0सी0ई0 तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5.ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्रशिक्षण-

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0,एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरियन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 के लिये बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है- अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों, ई0जी0एस0 केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण इत्यादि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई0एम0आई0एस0, माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण-

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत-प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी0पी0ई0पी-।।। के अन्तर्गत किया गया है। जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित/परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, माडल क्लस्टर अप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्लू0एम0जी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0, युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनायें प्राप्त होती हैं इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतमत उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते है। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7- सर्व शिक्षा अभियान परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अधिकारियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम पांच वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्ष में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना-

प्रत्येक गाह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता हैं। वर्ष में कम से कम 220 दिवस के लिये प्रशिक्षण कार्य होना आवश्यक है तथा जिलाधिकारी के आदेश पर मौसमानुसार बारह दिन विशेष अवकाश दिया जा सकता है जिसकी सारणी निम्नवत है-

सारिणी-9-7 ए

क्रम संख्या		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1-	कुल कार्य दिवस	220 दिन	220 दिन
2-	परीक्षा	20 दिन	25 दिन
3-	अन्य कार्य	15	20
5-	नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
6-	समुदाय से सम्पर्क	---	---
7-	शिक्षक दिवस	175	165

श्रोत- डायट - छिबरामऊ, कन्नौज।

सारिणी-7 बी

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमि स्तर
	वादन / समय	वादन / समय
भाषा-1 हिन्दी	9 वादन/ 6 घन्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा-2 अंग्रेजी	5 वादन/ 3 घन्टे 20 मिनट	6 वादन/ 4 घन्टे 30 मिनट
भाषा-3 संस्कृत	5 वादन/ 3 घन्टे 20 मिनट	4 वादन/ 3 घन्टे
विज्ञान	6 वादन/ 4 घन्टे	6 वादन/ 4 घन्टे 30 मिनट
गणित	9 वादन/ 6 घन्टे	6 वादन/ 4 घन्टे 30 मिनट
सामाजिक विषय	6 वादन/ 4 घन्टे	6 वादन/ 4 घन्टे 30 मिनट
समाजोपयोगी कार्य	3 वादन/ 2 घन्टे	6 वादन/ 4 घन्टे 30 मिनट
कला शिक्षण	5 वादन/ 3 घन्टे 20 मिनट	8 वादन/ 6 घन्टे

श्रोत- डायट छिबरामऊ, कन्नौज।

उपर्युक्त सारिणी-6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 175 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन भी उपलब्ध हो पाते हैं। जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिये विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय में अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन; सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालयों-गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 1.51 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 226.50 लाख रुपये व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक-संदर्शिकायें जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गयी थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों को ए0बी0एस0ए0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी हैं तथा इस पर अनुमानित रुपया 1.50 लाख धनराशि व्यय हुई।

किशोरी बालिकाओं के लिये पठन सामग्री-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक में अध्ययन बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकायें जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका-

1-अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना-

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिये जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजनायें विकसित की जायेंगी। जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों समग्र लक्ष्य होगा। शिक्षकों का कक्ष स्तर पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना:-

जनपद स्तर पर डायट को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिये प्रशिक्षित करना, वैकल्पिक शिक्षा, बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकसित करने के लिये 'संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम' को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स मेटेरियल भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध मूल्यांकनों का प्रयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0/ एस0डी0आई0, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापक और बी0आर0सी0तथा एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। बाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवीय व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता / व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्धन तथा नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण:-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिये कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह गठित किया गया है, जिसमें उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें कुछ प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर ग्रेडिएट स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता सम्वर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालायें मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष पांच दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश अन्तर्गत स्थापित सरकारी संस्थाओं अथवा शैक्षिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता के विकास अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर बी0आर0सी समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनरों की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर प

अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किये जायेगें तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षणः -

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना-

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये आयोजित किया जायेगा। इसी कम में एन0पी0आर0सी0 स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा।

डी0पी0ई0पी0-।।। के अन्तर्गत शिक्षकों को रूपये पांच सौ शिक्षक अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में व्यय करेंगे। शिक्षक इस धनराशि से चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री विशेष कर गणित और विज्ञान के शिक्षण हेतु कय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यकम/पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष रूपया पांच सौ प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट एवं गणित किट उपयोग भी सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके लिये ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तरों पर मैटीरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी, तत्पश्चात जिला स्तर पर डायट में प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्राथमिक	130	1005	1089	4376	4464	-	-	-
उ0प्रा0	1182	942	1117	1117	1117	-	-	-

कार्यशाला/गोष्ठियों का आयोजन-

प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियां डायट स्तर पर आयोजित की जायेंगी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जो शिक्षण अधिगम प्रकिया पर केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी न्याय पंचायत स्तरीय मासिक गोष्ठियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु डायट स्तर पर वार्षिक कार्य योजना बनाने में एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 की सहायता ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा जो शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूति कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगी। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालायें तथा गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी-

1- बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग
2-अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण

3-विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिये अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करना
4-छात्र-छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण
5-स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिये कहानी कविता का संकलन

शोध एवं मूल्यांकन-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीगेट इलाहाबाद तथा एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से संक्षिप्त बताया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूति समस्याओं के निदान के लिये स्वयं अपनी कार्ययोजना बनायें और समाधान ढूढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा आवश्यकतानुसार विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है-
1-शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है?
2-विद्यालय में अपराह्न सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय
3-बहु कक्षा शिक्षा परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो?
4-बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5-कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6-शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7-कार्य-निष्पादन के आधार पर विभिन्न कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के मुद्दे।
8-विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9-महिला शिक्षकों का रोल-परसेप्शन परिवर्तित करने के लिये रणनीतियां।
10-कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिये कारगर शिक्षण तकनीक।

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये शोध का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम,कक्षा-शिक्षण,निरीक्षण विद्यालय प्रबन्ध,मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आकलन कर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं,शिक्षक,प्रशिक्षक,निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।शिक्षकों ,समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीगेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिये शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी,शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे।डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोगः -

डी0एल0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गांव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्रॉप आउट की अधिकता है, इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के सन्दर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिये रिपीटेशन रेट,कम्प्लीशन रेट,बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा,जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली:-

छात्रों के मासिक ,वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली जो व्यवस्था वर्तमान में है उचित है किन्तु सुधार के लिये आवश्यक है कि कक्षा-5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर की जाय तथा कक्षा-8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर होगी साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिये सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है।इस सतत् एवं व्यापे मूल्यांकन प्रणाली को अन्तिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई 2001 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक-प्रशिक्षण माड्यूल में एक अंश के रूप में रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्-विषयक प्रशिक्षण डायट ,बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत सारिणी द्वारा प्रदर्शित हैं-

क्र0स0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1	विजिनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य,डी0पी0ओ0 स्टाफ, ए0बी0एस0ए0,बी0आर0सी0 समन्वयक।	04 दिन
2	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण।	चुने हुए प्रशिक्षक।	10 दिन
3	शिक्षा मित्र/ आचार्य जी का प्रशिक्षण।	चयनित शिक्षा मित्र/ आचार्य ।	
'अ'	आधारभूत प्रशिक्षण ।		30 दिन
'ब'	रिफ्रेशर प्रशिक्षण।		15 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	चयनित अनुदेशक।	
'अ'	आधारभूत प्रशिक्षण ।		15 दिन
'ब'	रिफ्रेशर प्रशिक्षण।		10 दिन
5	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण।	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक।	03 दिन
6	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	कार्यकर्त्रियां एवं सहायिकायें।	07 दिन
7	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0	बी0आर.सी./एन0पी0आर0सी0	07 दिन

	समन्वयकों का प्रशिक्षण।	समन्वयक।	
8	ए0वी0एस0ए0/ एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण।	ए0वी0एस0ए0/ एस0डी0आई0।	05 दिन
9	बी0शि0स0 के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण।	बी0आर0जी0 के सदस्य।	03 दिन
10	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।	डायट स्टाफ उ0प्रा0वि0 के चयनित शिक्षक।	30 दिन
11	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण।	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण।	05 दिन
12	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण।	उर्दू शिक्षक।	05 दिन
13	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण।	नव नियुक्त सहायक अध्यापक।	10 दिन
14	नेतृत्व प्रशिक्षण।	प्र0अ0पद पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षक	05 दिन
15	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण।	डायट स्टाफ बी0आर0सी0/ एन0पी0 आर0सी0 के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक।	05 दिन
16	मैटीरियल गेला।	चुने हुये शिक्षक।	03 दिन
17	सतत् व्यापक मूल्यांकनहेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ डायट स्टाफ/ चयनित शिक्षक।	03 दिन
18	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण।	डायटस्टाफ, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक।	03 दिन
19	कार्यानुभव प्रशिक्षण।	चयनित ब्लाक समन्वयक/ न्याय पंचायत समन्वयक तथा शिक्षक।	05 दिन
20	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला।	चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिकायें।	03 दिन
21	प्राथमिक /उ0प्रा0कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास।	प्रा0/उ0प्रा0 /हा0स्कूल/इण्टर का0 के चयनित शिक्षक।	03 दिन
22	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला।	प्रा0/उ0प्रा0 /हा0स्कूल/इण्टर का0 के चयनित शिक्षक।	03 दिन
23	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला।	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य।	05 दिन
24	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला।	बी0आर0सी0 समन्वयक, विद्यालयों से चयनित शिक्षक।	02 दिन
25	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ टी0एल0 एम0का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक।	05 दिन
26	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य।	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट,बी०आर०सी०,एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका: -

अकादमिक सुपरविजन में डायट,बी०आर०सी०,एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका होगी। एन०पी०आर०सी० अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी०आर०सी० को देगा, तथा समीक्षा करके बी०आर०सी० प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा।डायट में एस०आर०जी० के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा प्राप्त करेंगें। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण,कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की अर्हविस्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों,हाई स्कूल,इण्टर कालेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने,वैकल्पिक शिक्षा,ई०सी०सी०ई०,ई०जी०एस० केन्द्र को भी लाया जायेगा।

बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन०पी०आर०सी० ,बी०आर०सी० का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों,संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी०आर०सी० की भूमिका: -

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेगें।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण-आयोजन करेगें।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेगें।
- वैकल्पिक शिक्षा,ई०जी०एस०,शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेगें।
- समुदाय के सदस्यों का बी०आर०सी० के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेगें।
- ई०एम०आई०एस० आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेगें।
- अकादमिक समस्याओं के निराकरण हेतु एन०पी०आर०सी०तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेगें।
- बी०आर०सी० स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेगें।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिये शिक्षकों सहयोग प्रदान करेगें।
- स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेगें।
- बी०आर०सी० स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेगें।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय,अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेगें।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयक की भूमिका:

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करगें।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेगें।
- वी0ई0सी0 के सदस्यों, डब्लू0 एम0जी0/ पी0टी0ए0 सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेगें।
- ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेगें।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेगें।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिये शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेगें।
- स्कूल डेवलप मेन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेगें।
- एन0पी0आर0सी0 अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिये एक श्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेगें।

बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकास खण्डों में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट में में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री/ उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों /कौशलों के लिये सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरान्त अन्तिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री का क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था: -

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्यायपंचायत, ग्राम पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जायेगा।

जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य निष्पादन वाले दो बी0आर0सी0 को रू0 10,000/- की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन0पी0आर0सी0 को रू0 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू0 15,000/- तथा रू0 10,000/- की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हे रू0 5000/- प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का आकलन

डी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता:-

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाई परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेगें,जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेगें। इस अवसर पर छात्र-छात्राओ के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेगें तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण:-

चूकि डायट छिबरामऊ जनपद कन्नौज में स्थित है अतः डायट सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्द्धन का प्राविधान कन्नौज जनपद के सर्व शिक्षा योजना में प्रस्तावित किया गया है।

अध्याय - 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण: -

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि 2001 से 2011 तक होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा एवं इसमें नवीनतम पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे. प्रबन्धन लोक तांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि वह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों में परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे।

संगठनात्मक ढांचा- नीतिनिर्धारण: -

जनपद स्तरीय समिति-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है , जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी हैं। मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं।

समिति का गठन निम्नवत है: -

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
4-	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5-	जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
6-	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
7-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
8-	अधिशासी अभियन्ता ,पी0डब्ल्यू0डी0	सदस्य
9-	अधिशासी अभियन्ता ,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
10-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11-	दो शिक्षा विद(विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालय से)	सदस्य
12-	दो शिक्षक (राष्ट्रपति/ राज्य पुरस्कार प्राप्त	सदस्य
13-	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष-सदस्य (वर्णमाला क्रम से क्रम एक वर्ष के लिये)	सदस्य
14-	स्वैच्छिकसंगठनों के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

(अ) यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति-नियामक समिति है। जनपद स्तर पर उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य,गुणवत्ता में सुधार तथा जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होंगें। प्रवेश,धारण,गुणवत्ता संवर्धन तथा निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण तथा प्रचार-प्रसार के सभी कार्य इसी समिति के द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान की संरचना,संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन कार्यक्रम के संचालन का अनुमोदन कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इस समिति का होगा।

(ब) जिला बेसिक शिक्षा समिति:- परियोजना के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थल चयन करने के लिये जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष है।तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सचिव है।

इस समिति का गठन निम्नवत् है-

1-	अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
2-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3-	जनपद के सभी माननीय सांसद एवं माननीय सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद	सदस्य
4-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
5-	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6-	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
7-	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
8-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
9-	दो विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित)	सदस्य
10-	दो सदस्य जिला पंचासत	सदस्य

2- क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति-

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सहालकार समिति गठित है जो सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण,अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तरीय गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:-

1-	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2-	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3-	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4-	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य

5- विकास खण्ड का एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व:-

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है इस समिति का मुख्य कार्य सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महिने में एक बैठक अनिवार्य है, यह समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा ए०आई०ई० के ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित केन्द्रो तथा सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यो के विषय में जिला शिक्षा परियोजना समिति को अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी और केन्द्रों के संचालन का अनुश्रवण करेगी। इसके अतिरिक्त यह ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। विद्यालय के विकास सम्बन्धी समस्त कार्य तथा विद्यालय परिसर में सुधार, विद्यालय भवनों का निर्माण, बाहर दिवारी निर्माण, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति, विद्यालय की स्वच्छता आदि कार्य इसी समिति के देख-रेख सम्पन्न किया जायेगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नामांकन, धारण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व होगा।

समिति का स्वरूप निम्नवत: -

1- ग्राम प्रधान — अध्यक्ष

2- प्रधानाध्यापक — सदस्य-सचिव

3- तीन अभिभावक जिसमें एक महिला होगी ए०बी०एस०अधिकारी द्वारा मनोनीत।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संवर्धन इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व होगा है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ का भुगतान ग्रामशिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा। छात्र वृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण पर नियंत्रण. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समितियों के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक तन्त्र: -

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के लिए पद सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगें: -

1-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ' पदेन जिला परियोजना अधिकारी		
2-	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)		
3-	समन्वयक ----	4	
4-	सलाहकार ----	2	रू0 10,000/- जिला वेतन प्रति पद
5-	कम्प्यूटर आपरेटर --	1	रू0 5000/- जिला वेतन प्रति पद
6-	सहायक लेखाधिकारी	1	
7-	लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर -	1	
8-	परिचारक	1	

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के समस्त सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें।

2- प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर : -

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिकशिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों,ब्लाक संसाधन केन्द्र,न्यायपंचायत केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा।सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें।संक्षेप में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें: -

1- सर्वशिक्षा अभियान की नीतियो एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना ।
6- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7- आच्छादन वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराकर।
8- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

9- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

10- अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना।

11- ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन तथा अनुश्रवण।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उपविद्यालय निरीक्षक ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण तथा कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना समिति को उपलब्ध करायेगें । इस हेतु प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। जिन विकास खण्डों में प्रति उपविद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं हैं उन विकास खण्डों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकास खण्ड कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये जायेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्षमता में वृद्धि के लिए मोटर साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु संगठनात्मक ढांचा: -

1- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान: - गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृण किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगें। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार किये जायेगें।

{1} सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा की अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध (क्रियात्मक शोध) के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3- ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारितशैक्षिक कार्यक्रमों,शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

4- जनपद स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

5- जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना,उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6- ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7- जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथाशैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8- जिले स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9- न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेसलाइन सर्वे कराना।

10- शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11- शिक्षकों समन्वयकों ई0सी0सी0ई0,वैकल्पिक शिक्षा.अनुदेशों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ,निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित कराना।

12- शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

{2} ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0): -

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। संचालित है और सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र के भवनों का निर्माण हो रहा है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकरण एवं सुसज्जित हो रहें है। वहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन के ऊपर एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा।जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना,संकलन,विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगें।

कार्य एवं दायित्वः -

1- अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2- विकास खण्डों की एकेडेमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना,शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
3- विद्यालयों का एकेडेमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना की नवीन विधियों के अनुसारशिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
4- ब्लाक स्तर पर एकेडेमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5- न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क के रूप में ब्रिज का कार्य करना।
6- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

{ 3 } न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) : -

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत में संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्वः -

1- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडेमिक निरीक्षण करना।
2- अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।
3- ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म विश्लेषण।

ई0एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ की स्थापना / सुदृढ़ीकरण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटराइज्ड एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटरों सिस्टम को संचालित करने हेतु दो कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत जो कम्प्यूटर स्थापित होगा, उससे शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकणों का संकलन सांख्यिकी (ई0एम0आई0एस0) तथा मैनेजमेण्ट इन्फारमेशन से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, संकुल प्रभारी बी0आर0सी0 समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उसे भरने, संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा। तथा कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स जैसे- सकल नामांकन अनुपात, नेट एनरोलमेण्ट रेशियो, ड्रापआउट दर, छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष छात्र अनुपात आंकड़ों का विश्लेषण आदि का प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु उपयोग किया जायेगा। ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों तथा माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों दोनों का समग्र रूप में विश्लेषण करते हुए स्कूल से बाहर बच्चों का आंकलन किया जायेगा और उनकी शिक्षा के लिये वार्षिक कार्य योजना के कार्यक्रम संपादित किये जायेगें।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये है, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ0प्र0 के 11 रेडियो केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों / वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	204	
2006-07	150	
योग	654	

कुल लक्ष्य 654 का है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - FARRUKHABAD

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting			6.00	7	42.00	7	42.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TUI			5.00	7	35.00	7	35.00	
7	Contegency			12.50	7	87.50	7	87.50	
	TOTAL BRC	0	0.00		21	164.50	21	164.50	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Condinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TUI			1.00	87	87.00	87	87.00	
11	Contegency			2.50	87	217.50	87	217.50	
12	Meeting & TA			2.40	87	208.80	87	208.80	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		261	513.30	261	513.30	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	45	11655.00	45	11655.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	20	2892.00	280.00	70	19600.00	90	22492.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	18	1260.00	18	1260.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	14	140.00	14	140.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	5	1915.00	5	1915.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	20	2892.00		152	34570.00	172	37462.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)								
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	14	504.00	14	504.00	
33	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	87	2940.60	87	2940.60	
34	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		102.00	3624.60	102.00	3624.60	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		102	3624.60	102	3624.60	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
35	Free Text Books PS			0.05	344	17.20	344	17.20	
36	Free Text Books UPS			0.15	24542	3681.30	24542	3681.30	
	TOTAL Text Book	0	0.00		24886	3698.50	24886	3698.50	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1493	1791.60	1493	1791.60	
	INNOVATIVE ACTIVITIES					5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education					0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE					0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education					0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention					0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
37	P.S.			5.00	933	4665.00	933	4665.00	
38	U.P.S.			5.00	134	670.00	134	670.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1067	5335.00	1067	5335.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			1460.00	0	1460.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	154	215.60	154	215.60	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		154	215.60	154	215.60	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	20	40.00	20	40.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	234	468.00	234	468.00	
	Total School Grant	0	0		254	508.00	254	508.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - FARRUKHABAD

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)					-	0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	60	7200.00	60	7200.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		60	7200.00	60	7200.00	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	45	2430.00	45	2430.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	210	12600.00	210	12600.00	6 Months
81	Salary of Additional Teacners (PS)			8.00	2	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	45	607.50	45	607.50	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	579	7816.50	579	7816.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		879	23454.00	879	23454.00	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		939	30654.00	939	30654.00	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	160	80.00	160	80.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1661	830.50	1661	830.50	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		1821	910.50	1821	910.50	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	45	450.00	45	450.00	
88	TLE UPS @50	20	1000.00	50.00	70	3500.00	90	4500.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	44	2200.00	50.00	1	0.00	44	2200.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	64	3200.00		115	3950.00	179	7150.00	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	30	63.00	30	63.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	131	183.40	131	183.40	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	941	988.05	941	983.05	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		1102	1234.45	1102	1234.45	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XXIII	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		6092.00			93874.05		99966.05	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
FARRUKHBAD

(In thousand Rupees)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0.00	0.00	45	11655	0	0	5	1280	0	0	50	12935
A2	New Upper Primary Schools	451	20.00	9020.00	70	19600	0	0	5	1400	0	0	95	30020
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	60.00	7560.00	60	7200	60	7200	60	7200	60	7200	300	36360
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0.00	0.00	45	607.5	45	1113.75	50	1237.5	50	1237.5	190	4196.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0.00	0.00	45	2430	45	4860	50	5400	50	5400	190	18090
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0.00	0.00	210	12600	210	25200	225	27000	225	27000	870	91800
A8	Teaching Learning Equipment		0.00	0.00	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0.00	0.00	45	450	0	0	5	50	0	0	50	500
A8.2	UPS	50	42.00	2100.00	70	3500	0	0	5	250	0	0	117	5850
A9	TLE UPS not covered OBB	50	44.00	2200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2200
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0.00	**20880.00**	0	**58042.5**	0	**38673.75**	0	**44017.5**	0	**41037.5**		**202551.25**
	Interventions for out of school children		0.00	0.00	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0.00	0.00	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0.00	0.00	0	0	30	633.75	100	2112.5	100	2112.5	230	4858.75
A11.2	Honoria	1	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0.00	0.00	0	0	20	422.5	70	1478.75	70	1478.75	160	3380
A13	AIE Upper Primary	1.2	0.00	0.00	14	504	30	1080	30	1080	30	1080	104	3744
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0.00	0.00	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0.00	0.00	87	2940.6	87	2940.6	87	2940.6	87	2940.6	348	11762.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0.00	0.00	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0.00	**20880.00**	0	**61667.10**	0	**44080.60**	0	**52059.36**	0	**49079.35**	**0**	**227766.40**
R	**RETENTION**		0.00	0.00	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0.00	0.00	0	0	10	1910	10	1910	0	0	20	3820
R2	Reconstruction - UPS	383	0.00	0.00	5	1915	5	1915	4	1532	0	0	14	5362
R3	**Additional Classrooms**		0.00	0.00	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0.00	0.00	0	0	250	17500	204	14280	200	14000	654	45780
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13.00	910.00	18	1260	70	4900	70	4900	0	0	171	11970
R4.1	Toilets Upper Primary	10	10.00	100.00	14	140	24	240	30	300	0	0	78	780
R4.2	Toilets Primary	10	0.00	0.00	0	0	300	3000	204	2040	150	1500	654	6540
R5.1	Drinking Water Primary	18	0.00	0.00	0	0	50	900	25	450	0	0	75	1350
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0.00	0.00	0	0	20	360	13	234	0	0	33	594
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0.00	0.00	933	4665	972	4860	972	4860	977	4885	3854	19270
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	134.00	670.00	134	670	158	790	228	1140	233	1165	887	4435
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - FARRUKHABAD

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)					-	0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	60	7200.00	60	7200.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	**0**	**0.00**		**60**	**7200.00**	**60**	**7200.00**	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	45	2430.00	45	2430.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	210	12600.00	210	12600.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	45	607.50	45	607.50	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	579	7816.50	579	7816.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	**0**	**0.00**		**879**	**23454.00**	**879**	**23454.00**	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	**0**	**0.00**		**939**	**30654.00**	**939**	**30654.00**	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	160	80.00	160	80.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1661	830.50	1661	830.50	
	TOTAL Teacher Grant	**0**	**0.00**		**1821**	**910.50**	**1821**	**910.50**	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	45	450.00	45	450.00	
88	TLE UPS @50	20	1000.00	50.00	70	3500.00	90	4500.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	44	2200.00	50.00	0	0.00	44	2200.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	**64**	**3200.00**		**115**	**3950.00**	**179**	**7150.00**	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	30	63.00	30	63.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	131	183.40	131	183.40	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	941	988.05	941	988.05	
	TOTAL Teacher Training	**0**	**0.00**		**1102**	**1234.45**	**1102**	**1234.45**	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
XXIII	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		6092.00			93874.05		99966.05	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
FARRUKHABAD

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0.00	0.00	45	11655	0	0	5	1280	0	0	50	12935
A2	New Upper Primary Schools	451	20.00	9020.00	70	19600	0	0	5	1400	0	0	95	30020
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	60.00	7560.00	60	7200	60	7200	60	7200	60	7200	300	36360
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0.00	0.00	45	607.5	45	1113.75	50	1237.5	50	1237.5	190	4196.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0.00	0.00	45	2430	45	4860	50	5400	50	5400	190	18090
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0.00	0.00	210	12600	210	25200	225	27000	225	27000	870	91800
A8	Teaching Learning Equipment		0.00	0.00	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0.00	0.00	45	450	0	0	5	50	0	0	50	500
A8.2	UPS	50	42.00	2100.00	70	3500	0	0	5	250	0	0	117	5850
A9	TLE UPS not covered OBB	50	44.00	2200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2200
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0.00	**20880.00**	0	**58042.5**	0	**38573.75**	0	**44017.5**	0	**41037.5**		**202551.25**
	Interventions for out of school children		0.00	0.00	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0.00	0.00	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0.00	0.00	0	0	30	633.75	100	2112.5	100	2112.5	230	4858.75
A11.2	Honraria	1	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(Including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0.00	0.00	0	0	20	422.5	70	1478.75	70	1478.75	160	3380
A13	AIE Upper Primary	1.2	0.00	0.00	14	504	30	1080	30	1080	30	1080	104	3744
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0.00	0.00	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0.00	0.00	87	2940.6	87	2940.6	87	2940.6	87	2940.6	348	11762.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0.00	0.00	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0.00	**20880.00**	0	**61667.10**	0	**44080.60**	0	**62059.35**	0	**49079.35**	**0**	**227766.40**
R	**RETENTION**		0.00	0.00	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0.00	0.00	0	0	10	1910	10	1910	0	0	20	3820
R2	Reconstruction - UPS	383	0.00	0.00	5	1915	5	1915	4	1532	0	0	14	5362
R3	**Additional Classrooms**		0.00	0.00	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0.00	0.00	0	0	250	17500	204	14280	200	14000	654	45780
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13.00	910.00	18	1260	70	4900	70	4900	0	0	171	11970
R4.1	Toilets Upper Primary	10	10.00	100.00	14	140	24	240	30	300	0	0	78	780
R4.2	Toilets Primary	10	0.00	0.00	0	0	300	3000	204	2040	150	1500	654	6540
R5.1	Drinking Water Primary	18	0.00	0.00	0	0	50	900	25	450	0	0	75	1350
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0.00	0.00	0	0	20	360	13	234	0	0	33	594
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0.00	0.00	933	4665	972	4860	972	4860	977	4885	3854	19270
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	134.00	670.00	134	670	158	790	228	1140	233	1165	887	4435
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0.00	0.00	0	0	579	14330.25	1086	26878.5	1136	28116	2801	69324.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0.00	0.00	0	0	507	48672	557	53472	608	58368	1672	160512
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0.00	0.00	579	7817	507	12548.25	50	1237.5	51	1262.25	1187	22864.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0.00	0.00	20	40	972	1944	977	1954	977	1954	2946	5892
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	134.00	268.00	234	468	258	516	263	526	263	526	1152	2304
R12	**Promoting Girls Education**		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0.00	0.00	0	0	35	157.5	35	157.5	35	157.5	105	472.5
R12.2	MCDA	75	0.00	0.00	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0.00	0.00	0	0	20	80	40	160	40	160	100	400
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0.00	0.00	0	0	8	200	8	200	8	200	24	600
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0.00	0.00	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0.00	0.00	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0.00	0.00	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0.00	0.00	0	0	70	262.5	70	262.5	70	262.5	210	787.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0.00	0.00	0	0	70	105	70	105	70	105	210	315
R13.5	Training		0.00	0.00	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0.00	0.00	0	0	0	0	70	4.9	70	4.9	140	9.8
R16	Community Mobilization		0.00	0.00	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0.00	0.00	0	0	1200	3360	1200	3360	1200	3360	3600	10080
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0.00	0.00	0	0	87	435	87	435	87	435	261	1305
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0.00	0.00	0	0	616	295.68	616	295.68	616	295.68	1848	887.04
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0.00	0.00	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0.00	1500.00	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	2900.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0.00	1649.00	10	5000	10	600	10	600	10	600	40	8449
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0.00	0.00	0	0	1200	3000	1200	3000	1200	3000	3600	9000
	RETENTION Sub Total		0.00	**5097.00**	0	**21974.5**	0	**123774.5**	0	**125187.88**	0	**121250.13**	**0**	**397283.99**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0.00	0.00	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0.00	0.00	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0.00	0.00	30	63	1086	2280.6	55	115.5	51	107.1	1222	2566.2
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	126.00	264.60	0	0	507	1064.7	70	147	51	107.1	754	1583.4
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	755.00	1057.00	131	183.4	3599	5038.6	3653	5114.2	3703	5184.2	11841	16577.4
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	0.00	0.00	941	988.05	1140	1197	1155	1212.75	1155	1212.75	4391	4610.55
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	0	0	1091	1527.4	1142	1598.8	2233	3126.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	66	138.6	0	0	0	0	66	138.6
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	21	14.7	21	14.7	21	14.7	63	44.1
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	87	60.9	87	60.9	87	60.9	261	182.7
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0.00	0.00	0	0	14	4.9	14	4.9	14	4.9	42	14.7
Q2	IED Provision for disable children	1.2	520.00	208.00	1493	1791.6	2230	2676	2275	2730	2320	2784	8838	10189.6
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.10	Awareness workshop	5.3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Pig. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0.00	0.00	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0.00	0.00	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0.00	0.00	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0.00	0.00	160	80	4915	2457.5	5023	2511.5	5123	2561.5	15221	7610.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	881.00	440.50	1661	830.5	1662	831	1677	838.5	1677	838.5	7558	3779
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0.00	0.00	344	17.2	126653	6332.65	126997	6349.85	129516	6475.8	383510	19175.5
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	12743.00	1911.50	24542	3681.3	20013	3001.95	20593	3088.95	21157	3173.55	99048	14857.25
Q5.5	School Library	0.15	0.00	0.00	0	0	1200	180	1200	180	1200	180	3600	540
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0.00	0.00	0	0	972	14580	972	14580	972	14580	2916	43740
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0.00	0.00	0	0	228	1710	228	1710	228	1710	684	5130
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0.00	0.00	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0.00	**3881.60**	0	**7635.05**	0	**41683.6**	0	**40300.65**	0	**40708.3**		**134209.2**
C	**CAPACITY BUILDING**		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0.00	0.00	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0.00	0.00	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0.00	0.00	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0.00	0.00	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0.00	0.00	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0.00	0.00	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0.00	0.00	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0.00	0.00	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0.00	0.00	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0.00	0.00	0	0	0	0	7	1008	7	1008	14	2016
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0.00	0.00	0	0	0	0	14	924	14	924	28	1848
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0.00	0.00	0	0	7	252	7	252	7	252	21	756
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0.00	0.00	7	42	7	42	7	42	7	42	28	168
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0.00	0.00	0	0	7	14	7	14	7	14	21	42
C2.8	Maintenace of Building	10	0.00	0.00	0	0	7	70	7	70	7	70	21	210
C2.9	TLM(per center)	5	0.00	0.00	7	35	7	35	7	35	7	35	28	140
C2.10	Consumables	5.0	0.00	0.00	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C2.11	Contigency	12.5	0.00	0.00	7	87.5	7	87.5	7	87.5	7	87.5	28	350
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0.00	0.00	0	0	7	25.2	7	25.2	7	25.2	21	75.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0.00	0.00	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C3	School Complex (NPRC)		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0.00	0.00	0	0	0	0	87	12528	87	12528	174	25056
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0.00	0.00	87	87	87	87	87	87	87	87	348	348
C3.4	Contingency	2.5	0.00	0.00	87	217.5	87	217.5	87	217.5	87	217.5	348	870
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0.00	0.00	87	208.8	87	208.8	87	208.8	87	208.8	348	835.2
C4	District Project Office/Management		1.00	636.00	0	0	1	0	0	0	0	0	2	636
C4.1	Staffing		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0.00	0.00	1	180	0	0	7	1260	7	1260	15	2700
C4.3	Salary of AE	15	0.00	0.00	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0.00	0.00	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0.00	0.00	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0.00	0.00	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0.00	0.00	0	0	8	144	8	144	8	144	24	432
C4.8	Travelling Allowances	10	0.00	0.00	8	80	8	80	8	80	8	80	32	320
C4.9	Consumaables	40	0.00	0.00	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0.00	0.00	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0.00	0.00	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0.00	0.00	7	840	7	840	7	840	7	840	28	3360
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0.00	0.00	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0.00	0.00	0	0	972	1360.8	972	1360.8	972	1360.8	2916	4082.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	176.00	246.40	154	215.6	228	319.2	228	319.2	228	319.2	1014	1419.6
C4.16	Contingency	100	0.00	0.00	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0.00	0.00	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0.00	**882.40**	0	**2353.4**	0	**5316**	0	**21036**	0	**21036**		**50623.8**
C5	MIS		0.00	0.00	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0.00	0.00	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0.00	0.00	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0.00	0.00	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0.00	0.00	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0.00	0.00	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0.00	0.00	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0.00	0.00	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0.00	0.00	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0.00	882.40	0	2587.4	0	**5316**	0	**21535**	0	**21535**	0	**51865.8**
	GRAND TOTAL		0.00	30741.00	0	93874.05	0	**214854.68**	0	239082.88	0	**232572.78**	0	**811125.39**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention												**FARRUKHBAD**	
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			10030.0		34570.0		30725.0		28326.0		15500.0		119151.0
Management			246.4		1675.6		3224.0		5043.0		5043.0		15476.0
Programme			20464.6		57628.5		180905.7		205713.9		212029.8		676498.4
Total			**30741.0**		**93874.1**		**214854.7**		**239082.9**		**232572.8**		**811125.4**
Percentage - Civil			**32.6**		**36.8**		**14.3**		**11.8**		**6.7**		**14.7**
Percentage - Management			**0.8**		**1.8**		**1.5**		**2.1**		**2.2**		**1.9**
Percentage - Programme			**66.6**		**61.4**		**84.2**		**86.0**		**91.2**		**83.4**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**